Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

शुक्रवार, २६ अप्रेल, १९५७

विधान सभा की बैठक प्रात: ११–७ बजे वि.ान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष, श्री रामनिवास मिर्धा, के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने सम्बन्धी विज्ञप्ति

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित) : I read out to the House a notification regarding the appointment of Shri Ram Niwas Mirdha, Speaker, Legislative Assmbly, as the person before whom the members shall make and subscribe Oath or Affirmation. :-

"In exercise of the powers conferred by article 188 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan has been pleased to appoint Shri Ram Niwas Mirdha, Speaker of the Second Rajasthan Legislative Assembly, as the person before whom members of the Second Rajasthan Legislative Assembly shall make and subscribe an oath or affirmation.

This is in supersession of the previous Notification of even number dated the 22nd April, 1957.

By Order of the Governor
Prabhu Dayal Loiwal
Secretary to the Government"

माननीय सदस्यों द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे ।

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित) :

श्री दामोदरलाल व्यास
(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह
(अनुपस्थित)

श्री लालसिंह शक्तावत
(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर
(शपथ ग्रहण की)

Page No.2

(श्री मनसाराम पुरोहित)

श्री रघुवीर सिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम

(अनुपस्थित)

११-१० म० पू०

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्रीमती सतवंत कौर।

करनपुर मण्डी में एक स्त्री की हत्या

१. **श्रीमती सतवंतकौर** (करनपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तारीख १ मार्च, १९५७ को करनपुर मण्डी में श्री माधोराम के घर पर एक स्त्री को डाकुओं द्वारा गोली से मार दिया गया था ? यदि हां, तो उस विषय में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री की ओर से (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) करनपुर में एक प्रकरण अंकित कर दिया गया है और अनुसंधान हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : जरा फिर ज़ोर से बोल दीजिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करनपुर में एक प्रकरण अंकित कर दिया गया और अनुसंधान हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यह प्रकरण कौन सी तारीख को अंकित हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रकरण १-३-५७ को अंकित किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : १-३-५७ को प्रकरण अंकित करने के बाद से लेकर अब तक इस प्रकार के गम्भीर मामले में इतनी देर करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई देरी नहीं है, उसका अनुसंधान जारी है ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस अनुसंधान के सिलसिले में किसी आदमी की गिरफ्तारी भी हुई है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इस अनुसंधान में किन्हीं व्यक्तियों पर शुबहा किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनके ऊपर शुबहा किया गया था उनके खिलाफ पुलिस में कार्यवाही हो रही है । इन आदमियों पर कोई भी किसी बात की सबूती नहीं मिली है, इस कारण किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही हो रही है उसके ऊपर कोई चीज सुबूत होती है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनके ऊपर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

शुबहा था उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं हुआ है। जब इन्वेस्टीगेशन किया गया तो कोई बात साबित नहीं हुई, मैं इससे ज्यादा डिटेल बताना ठीक नहीं समझता। लेकिन पुलिस की तरफ से इसमें कोई ढिलाई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शुबहा किया गया उसको पुलिस की तफतीश से मुक्त कर दिया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब इसके अन्दर कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी मुक्त करने का सवाल नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (१४) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कौन सी बात सही मानी जाये। पहले तो आपने कहा कि जिन पर शुबहा किया गया है उनके खिलाफ पुलिस में कार्यवाही की जा रही है और अब आप कह रहे हैं कि शुबहा किया गया ही नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कहा था कि इस मामले में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। मैंने शुबाह की कोई बात नहीं कही।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि जो फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें एक व्यक्ति का नाम बतौर शुबहे के दिया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : आपकी जानकारी में हो या न हो, मगर आप यह बतायें कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में उसका नाम है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष : यह उनकी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : उसमें किसी आदमी का नाम शुबहा में लिया गया है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह नहीं कह सकता। हां, यह जरूर बतलाया गया कि उस आदमी के साथ बहुत साल से दुश्मनी है। मगर रिपोर्ट में किसी आदमी का नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

मण्डी केशरीसिंहपुर में पिछले दो महीनों में चोरियें व हत्यायें

२. **श्रीमती सतवंतकौर (करनपुर)** : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मंडी केशरीसिंहपुर जिला गंगानगर में पिछले दो महीनों में चोरी और डकैतियों की कितनी वारदातें हुई तथा वहाँ कितनी स्त्रियों की अस्मत लूटी गई है?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने रोकथाम के लिए क्या प्रबन्ध किया है?

गृह मन्त्री की ओर से (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) मंडी केशरी सिंहपुर, जिला गंगानगर में पिछले दो मास में एक डकैती की, एक स्मगलिंग की और एक चोरी की रिपोर्ट है। इस तरह से इन घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में हुई है।

Page No.4

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इनमें से किसी भी घटना के अन्दर स्त्रियों की अस्मत नहीं लूटी गई।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।

गंगानगर में १९५४ का आबयाना आन्दोलन

३. **श्रीमती सतवंतकौर** (करनपुर) : क्या गृह मंत्री जी निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या गंगानगर में १९५४ में हुए आबयाना आन्दोलन को सरकार राजनैतिक आंदोलन मानती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस समय किसानों पर किये गये जुर्माने और उन पर लगाये गये खर्च माफ करने और जिनसे वसूल हो चुके हैं उनको वापिस देने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री की ओर से (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (१४) : किसी भी इस प्रकार के आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन मानने लिए क्या सरकार ने कोई परिभाषा मुकर्रर कर रखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार ने इस आबयाना आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन नहीं माना है, फिर परिभाषा का सवाल ही नहीं उठता। यह राजनैतिक आन्दोलन नहीं था।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यही तो मुझे मालूम करना था कि यह मानने के लिए कि कोई आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलन है अथवा नहीं, इसके लिए सरकार ने क्या क्राइटेरियन रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पोलटिकल पार्टीज़ आन्दोलन करती हैं उन आन्दोलनों को राजनैतिक आन्दोलन कहा जाता है। इसके लिए कोई परिभाषा थोड़े ही मुकर्रर कर रखी है। यह आन्दोलन किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखता था इसलिए इस आन्दोलन को एक राजनैतिक आन्दोलन नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि स्थानीय किसान सभा ने भी एक आन्दोलन किया था तो आपकी परिभाषा के मुताबिक इसको भी एक राजनैतिक आन्दोलन कहा जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा कहिये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस प्रकार का जैसा कि यह आबयाना आन्दोलन है स्थानीय किसान सभा ने भी आन्दोलन किया था, उसको राजनैतिक आन्दोलन नहीं कहेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं भी तो यही कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : एक राजनैतिक पार्टी जब इस प्रकार का आन्दोलन करती है तो फिर क्यों नहीं इन आन्दोलनों को राजनैतिक आन्दोलन समझा जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस आन्दोलन का मोटिव पोलिटिकल हो, तभी हम ऐसा कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इसका राजनैतिक मोटिव नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजनैतिक दलों में कई वाइट होते हैं जिनमें सामाजिक और

Page No.5

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इकॉनोमिक मोटिव भी होते हैं, इसलिए इनको पोलिटिकल नहीं कह सकते ।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं; मेरा क्वेश्चन बिलकुल स्पैसिफिक है । यदि कोई राजनैतिक दल यह आन्दोलन करता है तो वह राजनैतिक आन्दोलन होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का उत्तर साफ नहीं हुआ है ।

श्री ज्वालाप्रसाद (७२) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह प्रश्नोत्तर कोई इन्फोर्मेशन निकालने के लिए होते हैं । यहां पर मैं समझता हूँ कि इस समय सदन का समय फिजूल किसी की परिभाषा करने पर लिया जा रहा है, यह हम सब जानते हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे क्वेश्चन्स डिसअलाऊ किये जायें ।

श्री अध्यक्ष : यह एक हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है इसलिए इसको अलाऊ नहीं किया जा सकता । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

पदमपुर-सूरतगढ़ पर आर० बी० लोअर में पुल निर्माण

४. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जो सड़क पदमपुर से तामकोट के पास से होती हुई सूरतगढ़ जाती है उस पर आर०बी० लोअर में आज तक पुल न बनाए जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार अब यहां शीघ्र पुल बनवाने का प्रबन्ध करेगी ?

उप मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) व (ख) पदमपुर सूरतगढ़ सड़क पर व रास्ता तामकोट पर एक पुलिया १६४८५ आर० डी० पर, आर० बी० लोअर पर मौजूद है । इसके अलावा अगर जमीदारान को कोई और पुलिये की आवश्यकता है तो वे धारा १७, राजस्थान इरिगेशन व ड्रेनेज एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश को दरख्वास्त दें ताकि आगे इस पर विचार किया जा सके कि वाकई इसकी जरूरत है या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : कुछ सुनाई नहीं दिया, इन्होंने क्या कहा ?

श्री भीखाभाई : दोनों का एक ही साथ उत्तर है ।

पदमपुर-सूरतगढ़ सड़क पर व रास्ता तामकोट पर एक पुलिया १६४८५ आर०डी० पर आर० बी० लोअर पर मौजूद है ।

इसके अलावा अगर जमींदारान को कोई और पुलिये की आवश्यकता है तो वे धारा १७, राजस्थान इरिगेशन व ड्रेनेज एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश को दरख्वास्त दें ताकि आगे इस पर विचार किया जा सके कि वाकई इसकी जरूरत है या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो बिलकुल ही समझ में नहीं आया ।

श्री भीखाभाई : पदमपुर-सूरतगढ़ सड़क पर व रास्ता तामकोट पर एक पुलिया १६४८५ आर०डी०पर, आर०बी०लोअर पर मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती सतवन्त कौर : पुल तो बना हुआ ही नहीं है।

११-२० म० पू०

खाद्यान्न-स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मेरे पास एक कार्य स्थगन प्रस्ताव (श्री मुरलीधर व्यास का) आया है उसे प्रस्तुत करने की इजाजत चाही गई है। श्री मुरलीधर व्यास ने जो स्थगन प्रस्ताव भेजा है बीकानेर व राजस्थान के अन्य हिस्सों में जो खाद्यान्नों की स्थिति है उसके बारे में, उनका प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ ऐसी खास स्थिति नहीं है जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दी जाय। माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में जिक्र किया है और उस अभिभाषण पर सदन में वाद-विवाद होगा। माननीय सदस्य चाहें तो इस मसले को बहस के दौरान में उठा सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय इस बारे में विशेष तौर से जानकारी करके उत्तर दे सकते है। इसलिये यह प्रस्ताव पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती।

सभापति तालिका

पैनल ऑफ चेयरमैन की घोषणा की जाती है।

श्री बरकतुल्लाह खां।

श्री सज्जन सिंह।

श्री महेन्द्र सिंह।

श्री हरदेव जोशी।

राजस्थान मोटरवाहन नियमावली, १९५१ में संशोधन

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या डी० १४६०।एफ०१६ (४)।१७। एच०बी० ५६ दिनांक २६ दिसम्बर, १९५६, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूँ।

वित्त लेखा १९५४-५५ एवं उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं वित्त लेखा १९५४-५५ तथा उस पर अंकेक्षा-प्रतिवेदन १९५५ सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान नौका नयन नियमन(संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नौका नयन नियमन अधिनियम, सन् १९५६ ई० में संशोधन करने के हेतु विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ

कोड आफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री, विधि मंत्री के स्थान पर) अध्यक्ष महोदय, मैं कोड

Page No.7

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५७ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान वेक्सिनेशन विधेयक, १६५७ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेक्सिनेशन बिल, १६५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान पुलिस विधेयक, १६५७ (पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री, गृह मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस विधेयक, १६५७ को पुरस्थापित करता हूं।

११.२५ म० पू०

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री हरिदेव जोशी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, कल शाम को राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने इस सदन के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था इस सिलसिले में मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।'

माननीय अध्यक्ष, यह प्रणाली रही है कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है उसके पूर्व पहली मर्तबा राजस्थान के राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में होता है, जो अपनी सरकार के पिछले कार्यों का सिंहावलोकन करते हैं, राज्य सरकार की रीति-नीति और कार्य प्रणाली के बाबत में कुछ संकेत करते हैं। अगर हम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को देखें तो हमें यह महसूस होता है कि यह अभिभाषण राज्य सरकार के कार्यों का सुन्दर लेखा-जोखा है और राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की ओर यह संकेत करता है। अध्यक्ष महोदय,मुझे राजस्थान की प्रथम विधान सभा में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब प्रथम विधान सभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था उस समय इस पक्ष के माननीय सदस्यों और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस बात पर बहुत जोर दिया था, जिस विषय पर सबसे अधिक वजन दिया था, वह थी राज्य की शान्ति और व्यवस्था के बारे में। उस समय राजस्थान में चोरों-डाकुओं का आतंक था। राजस्थान की सीमा पर भी, जो करीब ७५० मील की है, उस पर भी, आतंक था। उस समय न केवल सारे राजस्थान में ही आतंक छाया हुआ था बल्कि मैं यह कहने की स्थिति में हूँ, उस समय किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। इस प्रकार से जब हम पिछले पांच वर्षों के कार्यों का सिंहावलोकन करते हैं तो हमें यह महसूस होता है, आज हम इस स्थिति में हैं कि हम आराम और संतोष की सांस ले सकते हैं, न केवल आराम की सांस ही ले सकते हैं बल्कि अपने

Page No.8

(श्री हरिदेव जोशी)

कार्यों पर अभिमान भी कर सकते हैं । जो नामी नामी डाकू थे उनको मार डाला गया अथवा पकड़ लिया गया और मैं यह समझता हूँ कि निकट भविष्य में राजस्थान को इस परिस्थिति से बिल्कुल मुक्ति मिल जायगी जो आज से पहले हम कठिन समझते थे । २०-२२ राज्यों के एकीकरण से जो राजस्थान राज्य बना उस समय जो परेशानियां हमारे सामने थीं उनसे आज हम मुक्त हो गये हैं और आज हमारा शासन सुव्यवस्थित और संगठित रूप से आगे बढ़ रहा है ....

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : On a point of order, Sir. this discussion on the Motion of Thanks by the hon'ble member at this stage is not permitted by Rule 14, Sir. Rule 14 lays down that the Motion of Thanks has got first to be moved and then it has got to be seconded before any discussion can start. It has not been seconded and it may not be seconded at all. Till it is seconded nobody has a right to speak, sir. It is not a regular motion so far till it is seconded.

श्री अध्यक्ष :He is speaking in support of the introduction of his Motion of Thanks.

श्री अर्जनदास : It should first be seconded before the mover has the right to speak on the motion.

श्री हरिदेव जोशी : (जारी रखते हुए) मैं निवेदन कर रहा था , राजस्थान सरकार इस सिलसिले में बधाई की पात्र है कि उसने राजस्थान को इस प्रकार के आतंक से मुक्त कर दिया है । राजस्थान की पुलिस में सब से बड़ी विशेषता केवल यह नहीं रही कि उसने डाकुओं के भय के आतंक से राजस्थान को मुक्त किया, अगर इन पांच सालों के इतिहास को देखें तो हम पायेंगे कि हिन्दुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक में एक विषय को लेकर काफी शान्ति भंग हुई और गोलियां भी चलीं, लाठियां भी चलीं, लेकिन जब हम राजस्थान के पांच साल के इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है और हमें इस बात का गर्व है कि भीषणतम परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान सरकार ने जनता पर गोली चलाने का कभी आदेश नहीं दिया । पुलिस को सुरक्षा का जहां कार्य सौंपा हुआ है वहाँ उसे गोली चलाने का कभी काम नहीं पड़ा, इसको मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं । जहां नागरिक सुरक्षा के लिए कठोरतम कदम उठाना पड़ता है वहां हमारे पुलिस विभाग ने परिस्थितियों से विचलित न होकर मनुष्य के जीवन के साथ खेलने का प्रयत्न नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के सामने शासन की कुछ कठिन परिस्थितियां थीं, वहाँ राजस्थान के सामने और भी कई हालात थे । हमारा यह युग एक प्रकार से प्लानिंग का युग है, विकास का युग है और इस युग के अन्दर हम ऐसा समझते हैं, कि, हम निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं ।

हमने यह देखा है कि हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना में काफी काम हुआ है और अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य को प्रारम्भ कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में भी राजस्थान में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना

(श्री हरिदेव जोशी)

पूरी होने के साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ था उस सिलसिले में राजस्थान सरकार ने अपने आंकड़े इकट्ठे किये और उनको एकत्रित करके उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार किया। उसने केन्द्रीय सरकार के सामने और प्लानिंग कमीशन के सामने उस चीज को प्रस्तुत किया। केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन ने जो योजना स्वीकार की उसके मातहत सभी स्टेटों को कुल मिलाकर दो हजार दो सौ छब्बीस पोइन्ट एक करोड़ रुपया अलॉट किया गया। उसमें से तत्कालीन 'ए' स्टेटों को १४६.६ और 'बी' को ५०१.२, 'सी' को १०६.८ और 'डी' को ५३.६ करोड़ रुपया अलॉट किया गया। अगर हम यह देखें कि जो अलॉटमेन्ट केन्द्रीय सरकार के द्वारा हुआ उसमें राजस्थान की स्थिति क्या रही, तो हमें मालूम होगा कि राजस्थान की स्थिति इस सिलसिले में बहुत ही अच्छी है। 'बी' स्टेटों को २२.४ प्रतिशत रुपया प्राप्त हुआ था जिसमें से राजस्थान का हिस्सा ९७.४ करोड़ आया है। इस आंकडे को देखने से हमें ज्ञात होगा कि राजस्थान की सरकार केन्द्रीय सरकार से अपने लिये धन-राशि का अपना हिस्सा प्राप्त करने में काफी सफल रही है। राजस्थान दूसरा राज्य है कि जिसको इतनी बडी राशि मिली है। पहला राज्य है, 'बी' राज्यों में हैदराबाद जिसे १००.२ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था और दूसरा है राजस्थान।

अध्यक्ष महोदय, अतः मैं ऐसा समझता हूँ कि जो रकम हमें प्राप्त हुई है उससे राजस्थान का विकास अवश्यम्भावी है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है। कई बार ऐसा समझा जाता है कि यह एक रेगिस्तान है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण, पिछड़े हुए प्रदेशों के कारण, जंगलों के कारण, ऊबड़-खाबड़ जमीन के कारण, राजस्थान में कृषि के विकास की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिये २६.८० लाख रुपया रखा गया है और इससे, मैं ऐसा समझता हूँ कि, हमारी समस्याएं हल होने वाली है। दूसरी तरफ बिजली और पानी मुहय्या करने से भी स्थिति अधिक उन्नत होगी। राजस्थान में जहां हम ऐसा समझते हैं कि भाखरा-नांगल योजना के कारण, चम्बल योजना के कारण, राजस्थान नहर योजना के कारण और छोटी मोटी दूसरी नहर योजनाओं के कारण जहां हमें एक ओर पानी मिलेगा वहां दूसरी ओर बिजली भी मिलेगी। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारा काम इतने से ही पूरा हो जाने वाला है और हमें इसी में सन्तोष कर लेना है। पर फिलहाल हमें इन योजनाओं से ३३ प्रतिशत अधिक आमदनी होगी कृषि के क्षेत्र में और इससे हमारे किसानों की, हमारे इस पिछड़े प्रदेश की, यहां के रहने वाले गरीब निवासियों की, किसानों की, अधिक उन्नति होगी। कृषि की उन्नति से व्यापार की उन्नति होगी, औसत आदमी की आमदनी बढ़ेगी और इस प्रकार इस प्रदेश का आर्थिक मापदण्ड ऊंचा होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में हमें और भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता जनता को और खास कर किसानों को कृषि के सुधरे हुए साधनों के देने की है, कृषि की सुधरी हुई पद्धतियों को काम में लाने की बात किसानों

Page No.10

(श्री हरिदेव जोशी)

को समझानी है, उन्हें कृषि के सुधरे हुए बीज देना है, जिससे हमारे किसान, जो पुरखों के जमाने से पुराने औजार काम में ला रहे हैं, उनमें से जो दुरुपयोगी हैं उनको छोड़कर और जो उपयोगी हों तो उनको साथ में लेकर या सभी अनुपयोगी हैं तो सभी को छोड़कर अथवा दूसरे सुधरे हुओं को लेकर वे अधिक से अधिक उन्नतिशील हो सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय हमारी कृषि-पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की अत्याधिक आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि द्वितीय-पंचवर्षीय योजना काल में राजस्थान सरकार इसकी ओर अधिकाधिक ध्यान देगी। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश होने से यहां बरसात पर लोग अधिकतर आधारित रहते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर बरसात समय पर हो जाती है तो किसान खुश होता है, वह जिन्दा रहता है, पर कभी अगर अतिवृष्टि या अकाल या अनावृष्टि हो जाती है, जैसा कि अक्सर होता रहता है, तो किसान बेदम हो जाता है और ऐसी स्थिति में आज हम भी जितनी आवश्यक होती है उतनी मदद किसान की नहीं कर पाते हैं। इसका असर सारे प्रांत की स्थिति पर भी बुरी तरह से पड़ता है। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि हम विज्ञान के इस युग में ऐसे साधनों को ढूंढें और उन्हें बढ़ावें कि जिससे हम किसानों को विपरीत स्थिति में भी, इन प्राकृतिक संकटों के दिनों में भी उन्हें निश्चिन्त कर सकें, उनका उस पर कोई असर न पड़ सके। हम उसे निश्चिन्त कर सकें बरसात के अभाव में आने वाली कठिनाइयों से, निश्चिन्त कर सकें उन्हें इस बात से कि प्रकृति की प्रतिकूलता में भी वह, उसके बच्चे, उसकी सन्तान और उसके पशु सुरक्षित रह सकें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो धनराशि हमें इस दूसरी योजना में खर्च करनी है उसके जरिये इस प्रदेश को अधिक से अधिक हरा भरा करने में सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज-स्थान सरकार का ध्यान बिजली उत्पादन की उन समस्याओं की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ जो उन बिजली उत्पादनकी योजनाओं में निहित हैं, जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार को पूरा करना है। चम्बल नदी घाटी योजना के अन्दर गांधी सागर बांध से हमें जहां सिंचाई की सुविधा होगी वहां हमें बिजली भी मिलेगी। इससे राजस्थान के कोटा डिवीजन को और जयपुर डिवीजन के कुछ हिस्से को बिजली मिलेगी, किन्तु वह बिजली इतनी पर्याप्त नहीं होगी जिससे हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आवश्यकता इस बात की है कि इसके साथ ही साथ प्रताप-सागर बांध को भी बांधा जावे और इसका कार्य भी उसी तेजी से होना जरूरी है जैसा कि दूसरे जिससे राजस्थान के अधिक पिछड़े हुए हिस्से को भी बिजली मिल सके, उसका भी उत्थान हो सके। वरना ऐसी स्थिति बन जाने वाली है कि एक तरफ जहां आज भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको तो इन योजनाओं से पूरा होने पर और भी अधिक सुविधाएं मिलने लगेंगी पर जिनको आज भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वे बाद में भी उन साधन और सुविधाओं से वंचित रह जाने वाले हैं। इसलिए अगर हम इस प्रदेश की सर्वांगीण और सर्वतोमुखी उन्नति करना चाहते हैं तो सारी योजनाओं को एक साथ लेना पड़ेगा। इसमें शक नहीं कि हमारे साधन

(श्री हरिदेव जोशी)

सीमित हैं, हमारी कठिनाइयाँ ज्यादा हैं, अर्थ-संकट भी है, पर फिर भी हमें कोई न कोई मार्ग इसके लिए निकालना पड़ेगा जिससे हम पिछड़े प्रदेशों को भी साथ लेकर आगे बढ़ सकें और सर्वांगीण उन्नति कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर राजस्थान के अन्दर द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के बाद में हमें लगभग ८८ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी जिसमें से ६४ हजार जल-विद्युत योजनाओं के जरिये मिलने वाली है। तो अगर हमारी इन जल-विद्युत योजनाओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया और इस सम्बन्धी शासन और व्यवस्था ठीक नहीं रही तो हम इस माने में पिछड़ जाने वाले हैं, जैसा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि बिजली सम्बन्धी काम में हम पीछे रहे हैं। बाहर से सामान और साधन नहीं आ सकने के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से हमारे ये कार्य पीछे रह गये हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस दूसरे योजना काल में इस स्तर तक आ जावेगी। आज इस बात की आवश्यकता है कि इस बारे में अधिक मुस्तैदी से कार्य किया जावे।

योजनाओं के क्षेत्र में राजस्थान की जो स्थिति है उससे हमें संतोष नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, पर आगे योजना को पूरा करने के लिये अधिक से अधिक व्यवस्थित रूप से अपने सारे साधनों का समुचित उपयोग करके कार्य करें और जन-मानस को इस प्रकार का बनावें जिससे राज्य सरकार के आह्वान पर योजना और विकास के कार्यों में पूरा पूरा जन-सहयोग सरकार को मिल सके।

इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि राजस्थान को बहुत सफलता मिली है। आज हम देखते हैं कि जो श्रमदान का कार्य राजस्थान में हुआ था हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में हुए श्रमदान के कार्य में राजस्थान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और यह एक ऐसी मिसाल हो सकती है जो हिन्दुस्तान के दूसरे राज्य उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस कार्य को अधिक से अधिक पॉपुलर बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी महसूस करता हूं कि आज कई कठिनाइयां हैं जनता के सहयोग लेने के अन्दर। ऐसी कठिनाइयां हैं, अध्यक्ष महोदय, कि जो सहायता सामुदायिक विकास क्षेत्रों में राजस्थान सरकार की ओर से दी जाती है उसको अच्छे ढंग से दी जाय तो मेरा ऐसा खयाल है अध्यक्ष महोदय, कि लोग उस ओर आकर्षित होंगे। लोकल डेवलपमेन्ट फन्ड में जनता को पैसा मिलता है उसमें भी ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जिससे बार बार लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, उनको अधिकारियों का मोहताज न होना पड़े। आज हम गांवों में जाकर लोगों को कहते हैं कि उनको सहयोग देना चाहिए। वे सहयोग देते हैं, अमुक काम में, सहयोग देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन होता यह है अध्यक्ष महोदय, कि लोग सहयोग तो देते हैं लेकिन जब सरकार की बारी आती है, पैसा देने में, तो जिन लोगों ने कुल्हाड़ा और फावड़ा चलाया उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और जो अपेक्षित राशि होती है वह उन्हें नहीं मिल पाती है और इसका परिणाम यह होता है कि कई काम अधूरे रह जाते हैं और आगे के लिए निराश हो जाते हैं। जब दूसरी बार हम उनसे काम लेने को

(श्री हरिदेव जोशी)

कहते हैं तो उनमें वह उत्साह नहीं पैदा होता है। तो जहाँ योजना का अर्थ है, विकास का अर्थ है और जैसा कि योजना कमीशन ने भी कहा है कि जनता का अधिक से अधिक सहयोग लेने की आवश्यकता है वहां राजस्थान सरकार को भी अधिक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस ओर ठोस कदम उठाये जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, योजना के कार्य में सबसे अधिक कठिनाइयां आती हैं वे यह हैं कि कार्य की जल्दी से जल्दी स्वीकृति और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के अन्दर जो शासकीय परिस्थतियां होती हैं उन्हें पूरा नहीं करना। इस दृष्टि से दो विभागों को सुधारने की ओर उनको ठीक करने की आवश्यकता है, एक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जिसे एफ. डी. कहा जाता है और दूसरा है एक्ज़ीक्युटिव। अभी कल ही राज्यपाल महोदय के यहां कुछ मित्र मंडली बैठी हुई थी तो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स ने कहा कि एफ. डी. फंड है। जैसे कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है और यह देखा जाता है कि कैसे चलाया जाय। तो यही हालत एफ. डी. में कागजों की हो जाती है, उसको कौन धक्का लगाये, कौन निकाले? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से वित्त मंत्रीजी से, जो अभी यहां नहीं हैं, निवेदन करूंगा कि वे आयें, उनके साथी ऐसा तरीका निकालें कि एफ. डी. में गये हुए कागज जल्दी निकल जायं और इस तरह से निकलें कि लोगों के मानस पर असर न हो।

अध्यक्ष महोदय, एक घटना बताऊं, यह एक सार्वजनिक संस्था से सम्बन्धित है। उसको ग्रान्ट–इन–एड मिलती है। वह ग्रान्ट-इन–एड उसको वर्ष के प्रारम्भ में मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वर्ष के आखिर में मार्च की ३० तारीख को मंजूरी आती है। अगर माननीय मंत्री और दूसरे सदस्य उस तारीख को जयपुर बैंक के दृश्य को देखें जो वहाँ पैसे लेने जाते हैं तो उन्हें सही स्थिति का अनुमान हो सकता है। इस योजना काल में आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता का सहयोग व्यवस्थित रूप में मिलना चाहिए और राज्य का सहयोग भी व्यवस्थित रूप से मिलना चाहिए जिससे दोनों अंगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मार्ग, हल निकाला जाना चाहिए कि जो लोग सहयोग लेते हैं उनको महसूस हो, वे गौरवान्वित हों, जो सहयोग देते हैं वे मेहनत करने वाले हैं। योजना तब तक सर्वांगीण, पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक इस प्रकार की बाधाओं को दूर न किया जाय।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक बहुत बड़ी चीज कही है और वह यह है कि शासकीय कार्यों में अधिकार है उनका विकेन्द्रीकरण करना। राज्य सरकार ने इसके लिए एक समिति बिठाई है कि नीचे के अधिकारियों को कैसे कैसे अधिकार देने चाहिए। आज तक यह होता रहा है कि अगर किसी कलेक्टर को पांच लिफाफे खरीदने हैं तो केन्द्रीय स्थान में आना पड़ता है, उनके क्लर्क को आना पड़ता है उसके लिए टी. ए., डी. ए. खर्च करना पड़ता है और यहां आकर अगर केन्द्रीय विभाग यह कह दे कि अभी नहीं है तो उसको वापिस जाना पड़ता है। यह चीजें अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। राज्य सरकार ने इस ओर कदम उठाया है वह अच्छा है, लेकिन कदम उठाने का मतलब यह नहीं है कि वह काम अच्छा होता है किन्तु देरी से किया जाता है, देरी से अच्छाई मारी जाती

Page No.13

(श्री हरिदेव जोशी)

है और जब उसकी अच्छाई मारी जाती है तो उसमें बुराई पैदा हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि शासन के कार्यों को तेजी से किया जाय, छोटे छोटे काम अच्छाई से किये जायं। राज्य अधिकारियों को परिचित किया जाय कि इन बदलती परिस्थितियों में वे अपनी जिम्मेदारियां समझें और जब समझते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि उन्हें विशेष पॉवर्स देते हुए कोई परेशानी महसूस हो, जो जितना काबिल है उनको मिलना चाहिए ताकि क्षमता का परिचय देकर राज्य की और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोगी बन सकें। अतः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो संकेत किया है वह श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है और जल्दी से जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल महोदय ने जो स्थानीय संस्थायें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उनको अधिक सुविधायें और अधिकार देने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां वह स्थानीय संस्थाओं को अधिकार देने की बात कहते हैं वहां उनको कुछ पैसा देने की भी बात कहनी चाहिए। आज कुछ ग्राम पंचायतों के पास, तहसील पंचायतों के पास पैसा नहीं। उन संस्थाओं के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए जुर्माने आदि करने पड़ते हैं, और इस प्रकार करने से वे अपने क्षेत्र में अनपोपुलर बन जाते हैं। मैं कुछ ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जिनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, टिकिट के लिए पैसे नहीं है। हमें चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियों को देखें, उनकी कठिनाइयों को दूर करें और उनके साधन बढ़ायें। जहां ऐसी स्थिति किसी संगठन की हो, स्थान की हो, काम करने का निश्चय करें, लेकिन उनके पास आने-जाने को पैसा नहीं, तहसील पंचायतों के सरपंच होते हैं वे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी के भी मेम्बर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत से ही उनको आने जाने का भत्ता मिलता है और जब उन पंचायतों के पास पैसा नहीं होता है तो परिणाम यह होता है कि उनमें उन मेम्बरों को नहीं पाते और उन कमेटीज़ को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जो हमारा पेक्ट था कि जनता का सहयोग लेंगे वहां नोन अफिशियल सहायता अच्छे ढंग से नहीं मिल पाती है और इस प्रकार से हमारा काम अपूर्ण रह जाता है और हमारी भावनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अधिकाधिक सक्रिय काम करें और उन्हें अधिक से अधिक योग्य बनावें। आवश्यकता आज पंचायतों और तहसील पंचायतों को सुव्यवस्थित करने की है। हम लोग जो अभी चुनाव लड़कर आये हैं उन्हें मालूम है कि उनमें कितनी खामियें हैं और पंचायतों और तहसील पंचायतों के कारण क्या क्या कठिनाइयां पैदा हुई हैं, इसलिए उनको सुदृढ बनाने के लिए उनको अधिकार देने की तो बात है ही लेकिन शासन के अनुरूप करने की भी आवश्यकता है। होता यह है कि एक क्लर्क जिसको २०–२५ रुपये तनख्वाह मिलती है वह चार-पांच पंचायतों के बीच क्लर्क होता है। वह साइकल लेकर आज एक गांव में जाता है और वहां पर पेशियें कराने के बाद दूसरी पंचायत में जाता है और वहां से तीसरी और चौथी पंचायत में जाता है और पेशियें कराता है, इस-

(श्री हरिदेव जोशी)

लिए उसका जो कर्तव्य है उसे वह पूरा नहीं कर पाता। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मेरा यह सुझाव है कि जहां उनके अधिकार बढ़ाने की आवश्यकता है वहां पंचों और सेक्रेटरियों की काबलियत बढ़ाने की भी आवश्यकता है और उन पर सुपरविज़न बढ़ाने की भी आवश्यकता है। आज बड़े बड़े जिलों में भी केवल एक इन्सपेक्टर होता है और सब-इन्सपेक्टर शायद होते ही नहीं हैं। वे अच्छी तरह से इन्सपेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनको दफ्तर के काम से भी मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, पूरी व्यवस्था होने की आवश्यता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कई सफलताएँ पिछड़े हुए प्रदेशों का के उत्थान के सिलसिले में पाईं। अभी पिछले दिनों भारत सरकार के पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के कमिश्नर से मिलने का मौका मुझे मिला था। उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने जो महसूस किया और मैंने जो समझा वह यह कि वे राजस्थान के कार्य से संतुष्ट थे। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में काम हुए पिछड़ी हुई जातियों में, जिनको ट्राइब्ज़ कहते हैं, उनकी माली हालत सुधारने की दिशा में काफी काम हुआ है, लेकिन यह काम अभी भी इतना कम है कि इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो सैकड़ों वर्षों की तबाही के बाद यह कल्पना करना उचित नहीं होगा कि जिनको दबा रखा था उनको ५—७ वर्षों में समान स्तर पर ले आवेंगे और यह एक झूठी कल्पना होगी। लेकिन जो धनराशि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये मुहैया की गई है वह काफी है। उसके अनुसार व्यवस्थित रूप से काम किया जाय तो मेरा खयाल है कि काफी अच्छा काम होगा।

हरिजन उत्थान, उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने और छूआछूत मिटाने के लिए जो प्रयत्न हुआ उसे हम जानते हैं। समाज के हर वर्ग से इस सिलसिले में सहयोग लिया जाय और प्रयत्न किया जाय तो जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। इस सामाजिक दोष को दूर करने के लिए राज्य सरकार जितना सहयोग जनता का ले सकती है ले और हमारे पिछड़े हुए समाज को उठाने में आगे आवे।

अध्यक्ष महोदय, जब कि हम आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में तरक्की करे उस समय हमको यह देखना है कि कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे मार्ग में आ रही हैं। जरूरत इस बात की है कि जहां हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि जनता का अधिकाधिक सहयोग लेकर तरक्की के काम को आगे बढ़ावें वहां इस बात की भी जरूरत है कि शासन के लिए मशीनरी ऐसी बनाई जाय जो आज की स्थिति के अनुकूल हो और वह राज्य सरकार और जनता को सहयोग दे। ऐसे भी कुछ कारण हैं जिनके कारण अफवाहें फैलती हैं और उनसे बाधा पड़ती है। पिछले दिनों मैं बासवाडा जिले में गया, वहां काफी अफवाहें फैली हुई थीं। बम्बई सरकार एक बांध बना रही है जिसका नाम 'माही' बांध है। वह भाखरा बांध के बराबर ही बड़ा है। हमारी कई तहसीलों की जमीन उसमें डूब जायगी, ऐसा कहा जाता है। बम्बई सरकार के सर्वे के अधिकारी वहां सर्वे करते थे। उनके कहने के अनुसार ऐसा

(श्री हरिदेव जोशी)

कहा जाता है कि लगभग ५ तहसीलों का हिस्सा इसमें डूबने वाला है। इस कारण से लोगों में आतंक फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि जमीन हमारी छिन जायगी, खेत पानी में डूबने वाले हैं, सडकें पानी में डूबने वाली हैं; तो हम उसके लिए क्यों महनत करें और आप हमें क्यों महनत करने के लिए कहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता, क्यों ऐसी अफवाहें फैलती हैं जो विकास कार्यों में बाधक होती हैं ? उनकी ओर भी हमें मुस्तैदी से देखना है। इस प्रकार की जो अफवाहें है चाहे वे सत्य हैं या असत्य हैं, उनका निराकरण किया जाना चाहिए ताकि लोगों में फिर से काम में लगने की भावना पैदा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमने पिछले सालों में जो काम किया है वह इतना काफी था कि केवल उसके कारण ही यह महसूस करते हैं कि राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पास किया जाता। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में जो स्थिति सामने आई है उससे राजस्थान की बहुत उन्नति होगी। सिंचाई, विद्युत, शिक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में राजस्थान चतुर्मुखी उन्नति करेगा और हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के समान ही अच्छी स्थिति में सामने आयेगा। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और उसे पास करेंगे।

श्री परसराम (ओसियां): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मेरे उदयपुर से आने वाले साथी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपलक्ष में धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मोटे तौर से देखा जाय तो उसमें सरकार की सफलताओं का दिग्दर्शन होता है और जो सरकार की आगामी नीति होती है उसका प्रतिपादन होता है। आजादी के बाद अपने देश का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसका नक्शा है, उसमें बहुत कुछ हेर फेर हुए हैं और उसी का यह नतीजा है कि आज राजस्थान हिन्दुस्तान के १४ प्रदेशों का एक अङ्ग है। आंकड़ों के हिसाब से जो कुछ उन्नति हमको नजर आती है उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व और कार्य सदन का है, क्योंकि, सदन के द्वारा जो बहुत से विधेयक पारित किये गये थे उन्हीं के फलस्वरूप राजस्थान एक प्रशासनिक इकाई के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है।

श्रीमान् राज्यपाल ने अपने भाषण में सरकार की नीति का जो दिग्दर्शन किया है उसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष अर्ज करूं कि मोटे तौर पर जो बातें राज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष प्रस्तुत कीं उनमें सबसे पहली बात थी पंच वर्षीय योजना के बारे में। श्रीमान् राज्यपाल ने पहली और द्वितीय पंच वर्षीय योजना का तुलनात्मक लेखा—जोखा सदन में प्रस्तुत किया था। पहली योजना से राजस्थान के विकास में काफी सफलता मिली है लेकिन आश्चर्यजनक सफलता नहीं मिलने का विशेष कारण था और वह यह कि पंच वर्षीय योजना को बने हुए साल, सवा—साल हुआ था तभी राजस्थान वृहद् राजस्थान के रूप में देश के नक्शे पर आया था।

ऐसी सूरत में जब राजस्थान में दूसरी प्रशासनिक कठिनाइयां उठ रहीं थीं और देश के दूसरे सूबों में पंच वर्षीय योजना का काम

Page No.16

(श्री परसराम ओसियां)

शुरू हो गया था, उस समय में हमने शक्ति और काम करने की लगन लगाई और पिछले दो—ढाई वर्ष में पंच वर्षीय योजना को पूरा करने में जो प्रगति की है, उस दो—ढाई साल की इस प्रगति को देखेंगे तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि राजस्थान में विकास के क्षेत्र में, सभी मुद्दों पर आशाजनक प्रगति हुई है। मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद जिस प्रजातांत्रिक ढांचे में हम ढलते जा रहे हैं, उनसे हर आदमी के मन में यह चीज रहती है कि हम विकास कार्यों में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें और ऊँचे से ऊँचे लक्ष्य प्राप्त करें। इस दृष्टि से भी अगर हम आज से पिछले पांच साल पहले का नक्शा देखें और आज का नतीजा देखें तो स्वत: इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि राजस्थान में हर क्षेत्र में आशाजनक उन्नति हुई है और हमने उद्देश्य को प्राप्त किया है। खास तौर से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं कि सामुदायिक विकास योजना, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड राजस्थान में जितने खुले हुए हैं, उनसे मैं समझता हूं, कि लाखों इंसानों को लाभ मिला है। आप देखते हैं कि गांव गांव में स्कूल बने हैं, गांव गांव में तालाब बने हैं, पुराने तालाबों की मरम्मत हुई है, उन्नत बीज का वितरण किया गया है, कृषि की उन्नति के लिए भी रसायनिक के खाद का वितरण किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हर गांव में नहीं, तो बड़े बड़े गांवों में डिस्पेन्सरीज़ और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ खुली हैं। इन सब कामों के करने से आप देखेंगे कि गांव के निवासियों में एक नई उमंग है, एक नया उत्साह पैदा हुआ है। इस नई उमंग को देख कर हममें यह विश्वास पैदा हुआ है कि हमें राजस्थान के लिए, हम सबके कल्याण के लिए उत्तरोत्तर कोशिश करनी चाहिये। उन्नति की आशा लोगों के मन में दृढ़ता प्राप्त करने लगी है। पहली पंच वर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वह एक प्रयोग मात्र थी। उस योजना को हमने उत्साह के साथ शुरू कर दिया लेकिन हमारे मन में डर था कि यदि सफलता नहीं मिलती है और पहली पंच वर्षीय योजना नाकामयाब हो जाती है,तो जनतन्त्र खतरेमें पड़ सकता है। लेकिन मुझे खुशी है कि पहली पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था हर चीज के लिए; कृषि के लिए, उन्नति के लिए, उस लक्ष्य को पूरा किया है। राजस्थान ने खाद्य के मामले में पहली पंच वर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी आगे बढ़ा है। लेकिन हो सकता है कि खाद्य का मामला अभी तक राजस्थान के सामने एक विकट समस्या हो। अभी थोड़ी देर पहले श्रीमान् अध्यक्ष महोदय के सम्मुख 'काम रोको' प्रस्ताव आया खाद्य के सम्बन्ध में और कहा गया कि अभी भी राजस्थान में खाद्यान्न का अभाव है। मैं आपको बताऊँ कि अभाव अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण है। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान एक फसली इलाका है और एक फसली इलाका होने के कारण इसमें हमेशा अकाल का भय लगा रहता है और यहां अनाज का अभाव रहता है, अनाज की बहुत बड़ी कमी रह जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिए हमारी सरकार हिन्दुस्तान की सरकार से बातचीत कर रही है। लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि यह खाद्यान्न का जो मसला है वह राजस्थान के सामने ही सिर्फ एक समस्या नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में खाद्य की कमी आ गई है और खाद्यान्नों के भावों में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इससे

(श्री परसराम ओसियां)

भारत सरकार चिन्तित है और हमें आशा है कि राजस्थान सरकार भी इसको प्राथमिकता देगी। कल श्रीमान् राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि खाद्य की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार जागरूक ही नहीं है, बल्कि बहुत चिन्तित भी है और भविष्य में ऐसी आशा है कि इस पर काबू पाने की कोशिश जायगी।

१२. ०७-म० प०

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून और सुरक्षा का सवाल है, सरकार ने, मैं समझता हूँ, कि बहुत बड़ी प्रगति की है और उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे खास तौर से ऐसे इलाके में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिस इलाके में से राजस्थान के बड़े बड़े डकैत इधर से उधर निकला करते थे। आप पांच साल के अरसे का अगर पूरा ब्यौरा अपने सामने रखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े डाकुओं के दल का और बहुत बड़ी संख्या में डाकुओं का हमारी सरकार सफाया करने में कामयाब हुई है। मुझे एक करुणाजनक दृश्य याद है। आज से पांच वर्ष पहले या पांच वर्ष से भी ज्यादा अरसा हो गया होगा जब कि मैं राजस्थान की धारा सभा के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था, उस समय कानून की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था, मैं मानता हूं, नहीं के बराबर थी और उस वक्त डकैतों के गिरोह इधर से उधर फिरा करते थे, जिस तरह कि चारागाहों में रेवड़ों के रेवड़ फिरा करते हैं। उसी अरसे में मुझे उम्मीदवार के लिए खड़े करने वाले प्रपोज़र और सेकिन्डर को डकैतों ने गोली से उड़ा दिया था। उस वक्त एक 'काम रोको प्रस्ताव' भी रखा गया था लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा करुणाजनक दृश्य मुझे आज भी याद है कि जोधपुर से २० या २५ मील दूर पर मलार गांव में १८-१६ आदमियों को एक घन्टे में गोली से भून दिया गया था। इस प्रकार की कानून व व्यवस्था की हालत थी कि डकैत चाहे जब भयंकर स्थिति पैदा कर देते थे। उन डकैतों पर काबू पाने के लिए पुलिस के अधिकारियों ने क्षमता, कुशलता और कर्तव्य-परायणता दिखाई और सरकार ने व्यवस्था को कायम करने के लिए भरसक प्रयत्न किया है; उसके लिए, मैं समझता हूँ कि श्रीमान् राज्यपाल के भाषण में हमें संकेत मिलता है। इसके लिए श्रीमान् राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि कानून की व्यवस्था की स्थिति में सुधार किये बगैर विकास कार्य सम्भव नहीं थे। इसलिए कानून और व्यवस्था पर काबू पाने के बाद में जो प्रगति हमने विकास क्षेत्रों में की है, वह बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है।

सिंचाई के बारे में जो काम किया गया है वह भी सराहनीय है। सिंचाई के साधनों के कारण पिछले पांच वर्षों में करीब ५ लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आई है और इसकी वजह से, मैं समझता हूँ कि, काफी प्रगति हुई है। इस बात से माननीय सदस्य परिचित होंगे कि खाद्यान्नों की समस्या काफी हद तक हल की जा चुकी है। पांच साल में जो प्रगति हुई है उसका संकेत श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण में मिलता है। सिंचाई की योजनाओं पर बहुत बड़ी धन-राशि रखी गई है और उस धन-राशि से छोटी परियोजनाओं के अलावा बड़ी बड़ी परियोजनायें राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है; जैसे राजस्थान नहर परियोजना है। राजस्थान नहर परियोजना

Page No.18

(श्री परसराम ओसियां)

के सम्बन्ध में, सरकार ने, काम शुरू करने के लिए, अन्य कार्यवाही समाप्त कर दी है, सर्वेक्षण का काम हो चुका है, सेटलमेंट का काम यानी बन्दोबस्त का काम काफी हद तक समाप्त होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई १९६१ तक शुरू हो जायगी। इस योजना के शुरू होने से जो राजस्थान का इलाका एक फसली इलाका है और इस इलाके में आबादी इतनी थोड़ी है कि ५ और १० मील पर एक एक गांव बिखरा हुआ पड़ा है। इन पिछड़े हुए लोगों की नसीब राजस्थान नहर सुधारेगी। मैं समझता हूं कि यह पिछड़ा हुआ इलाका देश में सबसे ज्यादा अन्न उपजाऊ इलाकों में से एक हो जायगा और इससे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है क्योंकि इसका सम्बन्ध विकास के दूसरे कार्यों से, मसलन आवागमन के साधनों को उपलब्ध करने से और बड़ी बड़ी मण्डियां बसाने से है। यदि ये सब योजनायें कार्यान्वित की गई तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का राजस्थान बेहतरीन और धनाढ्य इलाका हो जायगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जो जनता है, रहने का जो स्तर है, वह दिनोदिन ऊँचा उठना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान एक कृषि प्रधान अंग है, यहां पर जो कृषि के लायक भूमि है और भूमि सुधार के साथ साथ सिंचाई आदि का समुचित प्रबन्ध होगा, तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे आगे जाकर जन-जीवन की स्थिति सुधारने में हमारी सरकार कामयाब साबित होगी।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि भूमि-सुधार के मामलों में भी हमारी सरकार ने जो कार्य किये हैं उनका सिंहावलोकन मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। भूमि के सुधार के मामलों में जागीर उन्मूलन का कार्य आगे बढ़ रहा है, करीब साढ़े छः हजार, पौने सात हजार के करीब जागीरों का उन्मूलन कर दिया गया है। इसके अलावा श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण से यह उल्लेख मिलता है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का राजस्थान सरकार विचार रखती है और उस पर अमल शीघ्र ही किया जायगा।

तीसरा भूमि सुधार के बारे में श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण से संकेत मिलता है, वह भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में है। इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग ख्याल हैं, पर मेरा ख्याल है किसानों की माली हालत सुधारने में इससे सहयोग मिलेगा। भूमि सुधार के आधार पर जो किसानों को खेती की उन्नति के लिए, उन्नत खाद, खेती के उन्नत औजार और उन्नत बीजों के बारे में जो कार्य सरकार की ओर से किये गये हैं उनसे किसान को बड़ी भारी राहत मिली है और इन कार्यों से लोक कल्याणकारी राज्य की ओर हम अग्रसर हुए हैं।

कल श्रीमान् राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जो सदन के सामने प्रस्तुत किया उसमें एक बात की ओर खास उल्लेख था और वह बात यह थी कि ५५–५६ में विकास योजनाओं के लिये जो खर्चा रखा गया था वह पूरा खर्च नहीं किया जा सका, उसका एक कारण राजकीय कर्मचारियों का चुनाव में लग जाना था और दूसरा कारण यह था कि विकास योजनाओं का अलग अलग विभागों में समन्वय नहीं है। इसके लिये सरकार ने विशेष कमेटी बिठाई जिसमें वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग और सम्बन्धित शास-

Page No.19

(श्री परसराम ओसियां)

कीय विभाग के प्रतिनिधि रखे गये हैं, यह कमेटी योजनाओं को, जांच करके पहले ही तैयार कर लेगी। जो यह विशेष कमेटी बिठाई है इसने अपना कार्य समय पर पूर्ण कर दिया तो एक भी पैसा, जो योजना के बारे में खर्च किया जाने वाला है, लेप्स होने वाला नहीं है और इस तरह जब एक भी पैसा लेप्स नहीं होगा तो हमारे प्रान्त की उत्तरोत्तर समृद्धि होती जायगी।

दूसरी बात का संकेत श्रीमान् राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो किया है वह भ्रष्टाचार के बारे में है। यह रोग राजस्थान में ही नहीं लगा हुआ है बल्कि यह संक्रामक रोग सारे देश में लगा हुआ है। इस रोग को तिलांजलि देने के लिये सरकार का जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। तमाम विकास-कार्य तभी सफल हो सकते हैं जब कि शीघ्रता और कर्तव्यशीलता से इनका संचालन किया जाय। इस तरह कार्य का संचालन किया गया तो शीघ्रता से विकास कार्य सफल हो सकते हैं। जो काम में देर लगती है, इसी सम्बन्ध में मेरे एक साथी जो अभी श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण के उपलक्ष में धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन्होंने पेश किया था कि डेवलपमेण्ट वगैरह के कार्यों में गतिविधि कम है; इसके बारे में मेरी मान्यता यह है कि जहां तक सरकार का सवाल है सरकार ने इस बीमारी को कम करने के लिये यह किया है कि सरकारी विभागों में जो बड़े बड़े मदों पर चीजें खरीदी जाती हैं, चाहे किसी कार्य के लिये हों, सेंट्रल पर्चेज ओर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी। इस व्यवस्था के कायम होने से योजना का बहुत सा पैसा जो ठीक तौर से यानी सही रूप में लगना चाहिये उसे सही रूप में लगाने की झलक मिलती है और इसके अलावा जहां तक सेक्रेटेरियेट में और दूसरी जगह इस प्रशासन के मामले में शीघ्रता लाने का सवाल है इसके लिये सरकार ने ओर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड्स की एक ब्रांच सेक्रेटेरियेट में खोल रखी है, जिसके फलस्वरूप राजकीय कामों में काफी गतिविधि हुई है।

भ्रष्टाचार की बीमारी का उन्मूलन तभी हो सकता है जब कि यहां बैठे हुए सभी साथी यह महसूस करें कि इस बढ़ती बीमारी को नहीं रोका गया तो देश में एक बहुत बड़ा काम जो होने वाला है वह इससे रुकने वाला है। चीन के पतन का सबसे बड़ा कारण जो था वह था भ्रष्टाचार अपने देश में भ्रष्टाचार की रोक-थाम नहीं हुई और आप व हम सब ने मिलकर इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये सहयोग नहीं दिया तो आज सरकार जो योजनाएं चालू करने जा रही है वे सफलतापूर्वक जनता को फायदा नहीं पहुँचा सकेंगी।

भ्रष्टाचार होते हुए भी एक चीज आप देखेंगे कि ग्रामीण जनता में अपनी हालत सुधारने के लिये, गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिये एक नई लहर और एक नई चेतना पैदा हुई है और वे लोग इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि हमें हमारे ग्रामों और तहसीलों का निर्माण करना है। सरकारी संरक्षण में रह कर सामुदायिक विस्तार योजना और विकास खंडों के अन्तर्गत जो विकास कार्य किये जा रहे हैं वैसे दुनिया में कोई सरकार इस्तेमाल में नहीं ला रही है।

माननीय अध्यक्ष, जो हम देश की गरीबी का उन्मूलन करने जा रहे हैं और जनता के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश

Page No.20

(श्री परसराम ओझियां)

में हैं इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि लोक सभा में विलायत की मजदूर पार्टी के नेता श्री बेविन ने एक बात कही थी कि पश्चिमी देशों में जो जनता की उन्नति हुई है वह निरंकुश शासन के नीचे हुई थी—लेकिन हिन्दुस्तान प्रजातन्त्री तरीकों से तरक्की कर रहा है। जैसा कि मैं समझता हूँ इसमें शक करने की गुंजा-यश नहीं रहती। तो हम दुनियां के सामने एक ऐसा उदाहरण रखने जा रहे हैं जिसका दुनियां में कोई सानी नहीं है।

विकास के क्षेत्र में जो कार्य हमारे राज-स्थान में होने जा रहे है उन कामों मे जो खास काम, जिसका जिक्र श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था वह है शिक्षा और चिकित्सा के बारे में। इसके बारे में अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि गांवों में शिक्षा और चिकित्सा के मामलों में पूर्ण सहायता दी जायगी। अभी जो चिकित्सा का अभाव है वह पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां कि छोटी डिस्पेन्सरी नहीं खुलेगी।

हमारी सरकार ने ५ साल में जो काम किये हैं उससे हमारे राष्ट्र की तरक्की की नींव रखी है और अगले पांच वर्षों में जो काम हमारी सरकार करने वाली है वे काम जन--जीवन के स्तर को ऊपर उठाने की नींव के ऊपर इमारत के रूप में होंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं खास तौर से आगे जो बात कहूंगा वह यह है कि कोई भी योजना तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कि शासकीय दल की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से सद्भावना और सहयोग प्राप्त न हो। जहां तक मुल्क के निर्माण का प्रश्न है, राजस्थान हमारा है और हम राजस्थानी हैं और इस भावना को लेकर अगर हम देश के काम में जुट जाते हैं और जो कुछ इसमें थोड़ी बहुत कमी है, वह कमी चाहे प्रशासन की वजह से हो या और किसी दूसरी वजह से हो या श्रमदान की कमी की वजह से हो, इस प्रकार की जो थोड़ी बहुत कमियें रह जाती हैं उनको पूरा करने में, मैं समझता हूँ, हम समर्थ हो सकते हैं। सरकार पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है और मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में बहुत चिन्तित है कि हमारे राजस्थान का विकास जल्दी से जल्दी हो और राजस्थान की पब्लिक को जो आज सुविधायें उपलब्ध हैं उनसे अधिक दी जावें।

जहाँ तक सोशियल सर्विसेज़ का सवाल है उसके बारे में सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में योजना रखी गई है और जितनी सोशियल सर्विसेज़ पब्लिक को उपलब्ध होंगी उससे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, मैं समझता हूँ, पूरी हो जावेंगी और इसके साथ साथ जो बड़ी योजनाएं हैं; उद्योग के बारे में, सिंचाई के बारे में, बेकारी को मिटाने के बारे में, मैं समझता हूं कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में इन सभी का संकेत किया है और जो सरकार इनके लिए सतत् प्रयत्न आगे करने वाली हैं उसके उपलक्ष में, मेरे उदयपुर से आने वाले साथी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : अध्यक्ष

(श्री छोटूसिंह)

महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में जो नज़ीरें दी गई हैं वह पिछले·······

श्री अध्यक्ष : (रावल श्री नरेन्द्र से) आप बोलेंगे ? आप बोल लीजिये ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ था और उस पर दोनों महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये, उसके बारे में विरोधी दल की तरफ से मैं अपने भाव व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

यह पहला समय है कि जब मैं विधान सभा के अन्दर अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं । इस बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता की तरफ से यह निवेदन करूंगा कि मैंने अपने जीवन के लम्बे काल में और उसके अन्तर्गत राज्य के कार्य को और पब्लिक की सेवा के कार्य को करते हुए जो कुछ किया है और मैंने जो आगे भी संकल्प किया है, सामने है । देखा जाये तो राज्यपाल महोदय ने थोड़े समय से अपना कार्यभार सम्भाला है और इसके पहले राजप्रमुख महोदय कार्य करते रहे हैं । इस थोड़े समय के अनुभव पर उन्होंने जो भी शब्द फरमाये वे एक तरह से जैसे कि औपचारिक तौर पर कहा जाता है, उस प्रकार कहने के समान थे । कई बातें भ्रष्टाचार, बेईमानियों के बारे में, जो भी उन्होंने अपने भाव दर्शाये, यह थोड़े से काल के अनुभव की बात है । मेरा निवेदन यह है कि हमारे मुख्य मन्त्री को बधाई दिये बिना नहीं रह सकूंगा कि जिन्होंने ४—५ वर्षों के अन्दर अपने पद पर आसीन रहने के लिए जो जो भी कार्य किये हैं व जिस जिस प्रकार इस पद को प्राप्त करने व बने रहने के लिए प्रयास किये हैं वे अद्भुत हैं ।

श्री छोटूसिंह : माननीय अध्यक्ष, सुनाई नहीं देता है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में पहले पांच वर्षों के कार्य में जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने श्री मुख्य मन्त्री के पक्षपात, भ्रष्टाचार और मन्त्री मण्डल की दूसरी कई बातों में जो लीपा--पोती की है वह भी कम धन्यवाद के काबिल बात नहीं है ! यह कोई नवीन बात नहीं है जो आज हमारे सामने आ रही है, मुझे इसका अनुभव है । मैंने २० वर्ष तक इस जयपुर राज्य के मन्त्री पद और ५, ७ साल तक चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्य-संचालन करके सन् १९३९ में रिटायर होकर और आगे और पीछे के समय का प्रबन्ध भी मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार यह कहा जाता है कि चोरियें और भ्रष्टाचार कम हो गये हैं व यह सब वर्तमान मन्त्री-मण्डल के प्रयास का फल है, यह सब मृग-मरीचिका मात्र है; इसके पहले जिस समय राजाओं का राज्य था और जागीरदारों से संचालन होता था उसमें किसी तरह की कमी नहीं थी । मैं जानता हूं कि उस वक्त इससे भी ज्यादा अच्छा प्रबन्ध यहां और दूसरी रियासतों में; जैसे जोधपुर, उदयपुर आदि में रहा है । यह नहीं कहा जा सकता कि संधि-काल में अगर कोई खराबियें पैदा हो गई हों तो उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । सबसे बड़ा प्रयास किसका रहा है, यह तो भविष्य बतलावेगा ?

(रावल श्री नरेन्द्र सिंह)

यह भी कहने की बात नहीं है कि जो चोर और लुटेरे दुनिया में फिर रहे थे उनको खत्म करने की कोशिश आज की गवर्नमेंट ने की, उसमें मुझे मालूम है काफी हाथ जागीरदारों और रईसों का रहा है। मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय राजस्थान के बाहर पंजाब और सिंध के अन्दर बहुत बड़ा अत्याचार मुसलमानों व हिन्दुओं की तरफ से हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने जितनी सतर्क होकर कार्य किया और प्रतिबन्ध करना चाहती थी उतना प्रबन्ध नहीं हो सका। यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता का जो झण्डा है वह बिना एक बूंद खून बहाये फहराया, मुझे इसके बारे में कोई नुक्ता-चीनी नहीं है; लेकिन कुछ इस प्रकार की गलती होगी यदि यह कहा जाय कि वह खून बहाये बिना स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। ठण्डे खून से हजारों व्यक्तियों ने प्राण दिये व हजारों नन्हें बच्चे, मर्द, औरत खत्म हो गये यह वह समय था, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि यहां के राज्य के जो संचालक (राजा) थे उन्होंने उस समय यह किया कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर और बीकानेर में एक भी मुसलमान व हिन्दू को नुक्सान नहीं होने दिया। मेरा निवेदन यह है कि पहले की जो राज्य की फाइनेन्शियल पोजीशन थी, जो दूसरे काम हो रहे थे वह सभी काम ठीक चलते रहे, लेकिन इस समय जो तीन-चार वर्षों के अन्दर कार्य हो रहे हैं, मैं वह आदमी हूँ कि मैं अपने हृदय से यह कहता हूं कि मुझको सिर्फ कल शपथ खाने का अपने ३५ वर्षों के ऑफिशियल केरियर के अन्दर पहला समय मिला। लेकिन इसके पहले जहां भी मैं रहा मेरा सिद्धांत यही रहा कि मैं वह चेष्टा करूं कि मनसा-वाचा-कर्मणा में कभी भी बुरी बात अपने हृदय में न लाऊं, इसी भावना से प्रेरित होकर मैं केवल कटु सत्य चाहे इधर हो या उधर, यहाँ निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे पंचायतों के बारे में और दूसरे उपयोगी, जनोपयोगी सेवा के कार्यों के अन्दर यह प्रश्न आता है कि इन वर्षों के अन्दर बहुत बड़े काम हुए हैं। जोबनेर खुद ही एक ऐसा ही हिस्सा है कि जहां यह प्रयास बराबर होरहा है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इन सभी कामों के अन्दर जितना भी विकास खंड में धन व्यय होता है उसका शायद दशमाँश भी ठोस काम में नहीं आता है।

अब यह सवाल आता है कि मैंने रामराज्य परिषद में क्यों प्रवेश किया ? तो मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे महात्मा बापू का भी यही सिद्धान्त रहा है और हमारे जो महाराज करपात्री जी हैं उन्होंने भी हाल ही में यही फरमाया था कि चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, चाहे अपनी पार्टी हो उनके जो गुण - दोष हों उनकी विवेचना के लिये बराबर सत्य कहना चाहिये। मेरा कर्त्तव्य इस पार्टी के नेता के हिसाब से ही नहीं मगर मैं मानता हूं कि मैं मनुष्यता की हैसियत से गिर जाऊंगा यदि मैं राज्य में कोई कमी हो उसके लिये कुछ न कहूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि इसके पहले जो राजस्थान था उसमें भी बराबर यह रहा है और कांग्रेस के काल में भी कांग्रेसियों ने भी मेरी सेवा व संस्थाओं की सेवा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और सहायता दी है। मैं इसका एक जीता-जागता वृद्धावस्था के अन्दर उदाहरण सामने हूं। मेरे काल में ही नहीं बल्कि मेरे पिता के काल से जोबनेर में हाई स्कूल ६४ वर्षों से चल रहा है। कृषि का

(रावल श्री नरेन्द्र सिंह)

और आर्ट्स का कॉलेज जोधनेर में दस वर्ष से ऊपर अलग चल रहा है। मैं इसका किसी दूसरे का अपराध न कह कर अपना ही और विधि का ही अपराध कहूँगा कि इस संस्था को क्षति पहुँची। इसके लिये अनेक प्रयास भी किये गये जिसके लिये आज भी यह जो टाउन हॉल सभा भवन है व इधर के ही नहीं बल्कि उधर के जो विरोधी दल के कांग्रेसी महानुभाव हैं और उनके जो वक्तव्य हैं उनसे यह गूंज रहा है। इसको एक देशीय भावना कहा जाय या क्या कहा जाय, मेरी समझ में नहीं आता। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिनके लिये मेरा मस्तक नम्रता से झुकता है वे जो कार्य कर रहे हैं वे वास्तव में सराहनीय हैं। लेकिन साथ ही मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि किस मुसीबत से और किस मुश्किल से जोधनेर की प्रजा और राजस्थान के सभी प्रांतों की प्रजा इस कॉलेज के लिये कुछ कर पाई है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह संस्था आज मौजूद है और हर तरह से तैयार है लेकिन उसके वास्ते स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है और उसके लिये अभी तक ज्यों के त्यों भाव मंत्रीमण्डल के बने हुए हैं। आज वहां ६० लाख रुपये की व्यवस्था है लेकिन जोधनेर में वही संस्था होते हुये भी आज ८ लाख रुपये की व्यवस्था भी नहीं है। मैं इस कॉलेज को कोई अपनी चीज नहीं समझता हूँ। इसके लिये कोई निवेदन करने की बात नहीं है लेकिन अब इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि यह जितने भी दूसरे प्रचार हैं, जो कार्य हैं उनमें मंत्रीमण्डल का यह भाव बराबर बना हुआ रहा है कि जहां तक हो सके यह चेष्टा की जाय कि उसमें इस चीज का समावेश रहे कि अपने प्रांत की जितनी सेवा की जाय और उसको जितनी सहायता दी जाय उतनी मेरी संस्था को न दी जाय। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि चक्की के दो पत्थर के पाट होते हैं और वह जड़ पदार्थ भी जिस समय चक्की चलती है तो बराबर आटे की मात्रा पूरी के अन्दर आती है। पुरानी संस्था के मुकाबिले उदयपुर का कृषि कालेज बहुत कम सहायता का पात्र है।

दूसरे शहरों की आमद से राज्य के खजाने में शायद १० प्रतिशत भी हिस्सा नहीं पहुंचता होगा और ६० प्रतिशत बाहर से आता है तो इसके विरुद्ध बाहर से जितना रुपया आता है उसमें से १० प्रतिशत भी बाहर खर्च न होकर शहरों के अन्दर ६० प्रतिशत खर्च होता है इसकी विभीषिका क्या है और यह क्यों होता है। इसके लिए मुझे निवेदन करने की जरूरत नहीं है। उसमें यह बराबर हिसाब रहता है कि दूसरे देशों के शासक जो बाहर से आते हैं वह शहरों के अन्दर अपनी राय कायम करके वापिस चले जाते है। शहर बढ़ रहे हैं और ग्राम छोटे हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां के लोग पनपते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह जरूर कहुँगा कि जिस प्रकार बड़ी से बड़ी आयोजनायें आज जो पहले के राजस्थान में, जैसे उदयपुर, कोटा वगैरा के अन्दर जिनका चौथा हिस्सा भी राजस्थान का नहीं है मेरी इस बारे में कोई नुक्ताचीनी करने की भावना नहीं है पर जब रुपया बराबर सब जगह से आता है तो उसका वितरण उसी चाकी के चून के समान सब जगह बराबर होना चाहिए। इस बारेमें जब मैं पहले मिनिस्टर था तब और आज भी यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस चीज का मैं विरोधी रहा कि बड़े बड़े बांध और बड़ी बड़ी योजनायें जिनमें करोड़ों रुपया खर्च होता है बनाये जावें जिनमें काफी रुपया खर्च होता है।

Page No.24

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इसके अतिरिक्त राजस्थान में छोटे-छोटे बांध, छोटे-छोटे कुएं आदि बनाने की भी बहुत जरूरत है। बीकानेर और जैसलमेर में जो आयोजनायें हो रही हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि प्रेजेन्ट गवर्नमेन्ट, राजस्थान ही नहीं, बल्कि जो सेन्टर की गवर्नमेन्ट भी अवश्य धन्यवाद की पात्र है और यही नहीं सबसे बड़ी बात यह रही है कि महाराजा गंगासिंह जी ने, भागीरथ के समान पानी लाकर के जो प्रयास किया है उसके लिए हम राजस्थानियों की, चाहे उस पार्टी या इस पार्टी के हों, उनके स्वर्गीय चरणों के सामने हमारे नेत्रों की पलकें बिछी हुई हैं और वही प्रयास अब भी चल रहा है। मैं अपने हिस्से में जहां भी गया वहां क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या पानी का प्रबन्ध, क्या इन चीजों की ओर बहुत कम ध्यान गवर्नमेन्ट की ओर से दिया जा रहा है। मैं बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ राज्य सत्ता को यह भाव निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको चाहिए कि जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें हों सबसे पहले उन इलाकों की मदद करें। मैंने अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी में ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। मैं यह जानता हूं कि जहां इतना समय भी नहीं और न यह स्थान ही ऐसा है जहां छोटी छोटी बातों को कहा जाय। मैं ऐसी बातें बराबर अपनी विचारधारा के साथ निवेदन करता रहूँगा ताकि इनके बारे में ठोस काम हो सके।

बहुत से आदमियों ने मुझे यह भी कहा कि तू क्या ऑथोरिटी है ऐसी बातें कहने की। उस समय मैंने उनसे निवेदन किया कि जिस वर्ग में मैंने जन्म लिया इस कारण, और मनुष्य की आयु के नाते, जन-सेवा के नाते, तीन तीन संस्थायें जो ६४ साल से चली आ रही हैं, जिसने बीस साल तक राज्य की सेवा की है, जिसको ३५ वर्ष का राज-काज का अनुभव है उसी आधार पर कह रहा हूं ....

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : राजशाही तो अब खत्म हो गई।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नये राजा बन रहे हैं, उस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : ये तो जनता के चुने हुए हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चुने तो हुए हैं किन्तु अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजा लोग पहले थे वे भी बड़े ऊँचे भाव रखते थे।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री ज्वालाप्रसाद : वे लौटने वाले नहीं हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हममें से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो छोटी-छोटी पार्टीज़ में हों लेकिन देखा यह जाता है कि उनको किसी भी कार्य में कोऑप्ट नहीं किया जाता और मैं देखता हूँ कि जहां छोटी छोटी चीजों का सवाल आता है वहां भी उन लोगों से सलाह नहीं ली जाती। कल हमने सदन के सदस्यता की शपथ ली थी। हम उस शपथ पर विचार करें और देखें कि हम किस ओर बढ़े जा रहे हैं। हमें चाहिए

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तो यह कि चाहे कोई भी पार्टी विजयी हो, किसी भी पार्टी का आदमी विजयी हो लेकिन जिन चीजों से जनता का लाभ होता है उन पर तो गौर करना चाहिये।

मैं उदाहरण की तौर पर निवेदन कर दूं, जो बात महाराज मानसिंह जी की कांग्रेस के प्रति सहायता जिस यज्ञ में रही है व इस अकिंचन ने भी कांग्रेस की सेवा में जो जो त्याग किया है वह अश्वत्थामा के प्रणवत् आज तक गुप्त रही है, वह प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जो इस प्रकार है। देश व्यापी दुर्भिक्ष संवत् १९९७ याने १९३९ सन् में व्याप्त था। उस समय अकिंचन जयपुर कौन्सिल का एज्युकेशन व सीनियर मिनिस्टर के साथ फेमीन मिनिस्टर का काम करता था व सब कांग्रेस के नेता सीखचों में बन्द थे व कांग्रेस का नाम लेना अभिशाप समझा जाता था। जयपुर नरेश ने विलायत जाते समय मुझे आज्ञा दी कि कहत में कांग्रेसियों से कोआॅप्ट करना। मैंने इस पर मैंने फेमीन कमेटी में चिरन्जीलाल अग्रवाल को चुना व १५००० मन गेहूँ जमनालाल जी बजाज व १५००० मन जो कपूरचन्द पाटणी से खरीदे। इस पर मेरे से रुष्ट होकर ए० जी० जी० सर लोथियन साहब रेज़ीडेण्ट सर केटरसाहब ने मुझको बुला कर धमकाया कि किसके हुक्म से तैने कांग्रेस के साथ कोआॅप्ट किया। वे हिज़ हाईनेस द्वारा मुझको हुक्म देने की बात जानते थे व मेरे कह देने पर मैं बरी था, पर मैंने साफ कह दिया कि मैने अपनी डिसक्रीशन काम में ली व इस्तीफा देकर कांग्रेस की व मालिक की सेवा के लिए बलिदान हो गया। यह किस्सा मैं आज दुनिया के सामने लाता हूँ। त्याग का घमंड समझने वाले कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करूं, कि जिस समय भी महामान्य सुखाड़िया जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये बातें आती हैं कि जागीरदारी खत्म कर दी गई, रईसी खत्म हो गई, लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि जागीरदारी और रईसी जो खत्म हुई है वह कैसे खत्म हुई है ? मैं आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेन्ट यहां से जाने लगी उस समय राजाओं और जागीरदारों से यह कहा गया कि हम लोग जा रहे हैं, आप चाहे जिस पार्टी में मिल सकते हैं, लेकिन उस समय राजपूतों, जागीरदारों और रईसों ने, जिनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी, मैं नहीं कह सकता कि इतनी मजबूत स्थिति इन वर्गों की गत पांच हजार वर्षों में कभी नहीं रही। वे चाहते तो किसी अन्य पार्टी से मिल सकते थे लेकिन उन्होंने जिस प्रकार हाथी फूल माला को तोड़ कर फेंक देता है, ब्रिटिश शासन के लालच को तोड़ फेंका। यह उस जाति का जीता जागता इतिहास है जिसका गुणगान महामना सरदार पटेल ने उस समय बहुत किया था। आज के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे भी जानते हैं इन बातों को।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इन बातों के अलावा एक बात और निवेदन करनी है वह है मेरी संस्था के बारे में। मैं निवेदन करूं, जिसको अगर देखा जाय, श्री श्यामजी, कृष्ण वर्मा, गणेशनारायणजी सोमाणी श्रीमन रामनारायणजी चौधरी और पंडित हीरालाल जी शास्त्री आदि बीसों कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस संस्था

Page No.26

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जोबनेर ने पैदा किया है। बहुत से आदमी कुम्भारामजी आदि वहां जाते हैं और मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं कि जोबनेर ठाकुर ने इसलिए यह संस्था चलाई है व जीविकोपार्जन का एक प्रकार से उपाय निकाला है।

(विरोधी पक्ष द्वारा 'शेम शेम')

श्रीमती सुमित्रा देवी (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं बोल रहा हूँ जनता के लाभ के पक्ष में व मैं अपनी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ और माननीय अध्यक्ष की इजाजत से बोल रहा हूं। मेरे निवेदन को सुन लीजिये, उसके बाद आप कुछ कहना चाहें कहें ।

श्री ज्वालाप्रसाद : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। जब मैंने पोईन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है तो माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहां कुछ कहा नहीं जाना चाहिये क्योंकि उस व्यक्ति को यहाँ जवाब देने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो सदन में आकर जवाब नहीं दे सकते उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाना चाहिये। जैसे इन्होंने कुम्भाराम जी आदि का नाम लिया, वे सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उनके बारे में कुछ कहना हमारी कार्य-प्रणाली के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव हमारे सामने चल रहा है उसी पर बोलें। राज्यपाल के अभिभाषण पर ही वे अपने आपको सीमित रखें, दूसरे मसलों को वाद-विवाद में न लाया जाय।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वे इसी से सम्बन्ध रखने वाले हैं। इस समय यह सवाल आया हुआ है। कहतसाली के मामलों में अन्न की कमी के मौकों पर दूसरी पार्टियों का भी क्यों न सहयोग लिया जावे ?- तो इस मामले में मैं अपना ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। इस बीच में दूसरे सज्जन बोले तो थोड़ा सा उनको जवाब देने के लिए मुझे कहना पड़ा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय सम्वत् १९९६ का कहत पड़ा था, उस वक्त मैं फेमीन मिनिस्टर था। महाराजा जयपुर ने मुझे यह फरमाया कि इस मामले में मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बराबर सहयोग लूं, परिणाम की चिन्ता किये बगैर। तो जयपुर नरेश की यह भावना कितनी ऊँची थी और इससे ही प्रेरित होकर मैंने यह किया थी। मैंने चिरन्जीलाल जी अग्रवाल को फैमीन कमेटी का मेम्बर बनाकर साथ लिया और १५ हजार मन गेहूँ श्रीमान् जमनालाल जी बजाज से खरीदे व १५००० मनजी कपूरचन्दजी पाटणी के सहयोग से खरीदे। वह समय बड़ा विकट था। उच्च कांग्रेस कार्यकर्ता उस समय सीखचों में बन्द थे। उस वक्त कांग्रेस का नाम लेना, उनसे सहयोग करना खतरे से भरा था। सर लोदियन ए. जी. जी व सर केटर रैजिडैन्ट ने इस पर मेरे से सवाल किया। मैंने जयपुर हिज हाईनैस का नाम लेना उचित नहीं समझा कि उनके हुक्म से यह सहयोग लिया। मैंने यही कहा कि मैंने अपना Discretion काम में लिया और

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जो उचित समझा किया । मुझे उस वक्त इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देकर मैं घर चला आया । तो त्याग करने का माद्दा हममें है । आप ऐसा त्याग करके बतलावेंगे तब जानूंगा । त्याग करने का समय आया था तब कांग्रेस का सहयोग लेकर अपना कैरियर भी खतम कर दिया । पर इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ । तो मेरा अर्ज करना यह है कि हमें जो भी प्रगति के काम हों उनमें सबका सहयोग लेकर चलना चाहिये और इसमें अगर त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिये और हमसे सहयोग लेना चाहिये ।

आगे कल-कारखानों और स्टील प्लान्टों के बारे में जो फरमाया वह बड़ी स्तुत्य चीज है । इस बारे में जब भी, जो भी हम प्रगति करेंगे उस समय आप जरूर धन्यवाद पाने के काबिल होंगे ।

लॉ और आर्डर के बारे में सवाल आया, उसके बारे में मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया है ।

सड़क, स्कूलें, अस्पताल आदि खोलने के बारे में मैं निवेदन करूं कि मैं इन तीनों डिपार्टमेंटों में काम कर चुका हूं और उसके आधार पर कह सकता हूँ कि काम बराबर हो रहा है पर आगे आगे सड़क बनती जाती है और पीछे–पीछे टूटती जाती है और मेन्टीनेन्स के बजट बनते जाते हैं ।

जागीरदारी के बारे में जो अभी प्रश्न पैदा हुआ वह विषयान्तर नहीं है । मैं सरकार उसे समझता हूं जो अपने वचनों में पक्की हो । आज इस सरकार के प्रण कहां तक पूरे हो सके हैं, यह मैं नहीं कह सकता ? मुझे जागीरदारों के वास्ते भी यही कहना है । पहले पाँच हजार की जागीरों की समाप्ति की बात चल रही थी, पर सरकार वहीं तक सीमित नहीं रह कर आगे बढ़ी । वह आज एक हजार को भी लेने की बात सोच रही है और अब तो एक हजार से भी नीचे उतरने का सवाल है । तो मैं यह निवेदन कर दूं कि मुझे किसी बात का खेद नहीं है । राजपूत की जाति मरने के वास्ते और त्याग करने के लिए दुनियां में पैदा हुई है आज भी जो बड़े-बड़े महल हैं, किले हैं और उनके जो प्रांगण हैं वे सभी राजपूतों के रक्त से लाल हैं और सतियों की जो राख है उससे आज भी वे सफेद हैं, इसके लिए मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि राजपूत जाति भी आज वही है । समय आने पर वह इस भारत देश के लिए वहीं त्याग फिर करेगी । जमीनों का उनके सामने कोई प्रश्न नहीं है । जमीनें उनके हाथ में नहीं रहें, वे बे-जमीन हो जावें, आप लोग यह समझते हैं यह बड़ी दिक्कत की चीज है । आप चाहते हैं कि इन्टरमीजियरीज़ सारे खत्म हो जाने चाहिये । तो आप कर दें खत्म, पर उनके निर्वहन की समस्या तो आपको हल करके ही रहना होगा । जब देश के लिये मौका पड़ेगा तो मैं समझता हूँ आप पीछे रह जावेंगे । पर हम लोग होंगे जो देश के लिये सब कुछ त्यागने को तत्पर होंगे; जैसे स्कॉटलैंड के स्कोच लोग देश पर संकट आने पर बलिदान हुये । स्कॉटलैंड पर आफत आई तो उसके लिये जानें दीं और इंगलैंड के लिये जरूरत पड़ी तो उसके लिये जानें दीं, नॉर्मण्डी और फ्रान्स के मैदानों में मौका पड़ने पर जानें दी । डोन कज्जाक व वान कज्जाक (डोन व वान नदी की वैलीज के कज्जाक) जिस प्रकार बादशाह ज़ार के वक्त काम आये. बोलशेविज्म के समय भी स्टैलिनग्रेड से लेनिनग्राड

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तक की धरती उनके खून से लाल है, उसी प्रकार मेरा कहना यह है कि जिस वक्त भारत पर काम पड़ेगा उस वक्त यह जाति अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए और सर्वस्व त्यागने के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। हम लोग दूसरे नहीं हैं, हम भी राजस्थानी हैं। हमारे ही नाम के पीछे इस प्रदेश का नाम एक समय राजपूताना था। 'राजस्थान' के नाम में भी इस शब्द का समावेश आज भी मौजूद है। तो हमारा यह निवेदन है कि आज हम चाहें कितने ही पददलित हों, हमें नष्ट करने के लिये आज चाहे जितने भी षड़यन्त्र खेले गये हों पर जिस समय भारत पर आक्रमण होगा हम सबसे आगे होंगे। जो भी आज की राजनीति का और स्ट्रेटेजिक स्थानों के ज्ञाता हैं आज की स्थिति की नब्ज उनसे दूर नहीं है। वे जानते हैं कि आज दुनिया में अगर युद्ध की अग्नि भभकती है व इस देश का उत्तरापथ पेशावर से लेकर राजस्थान की सीमा तक होता हुआ आसाम और मणिपुर तक फैला हुआ है व आज इधर से अमेरिका और उधर से रूस दोनों के चंगुल के अन्दर यह हिस्सा फंसा हुआ है; यह आज राजनीति के किसी भी जानकार से या जो रोजाना पत्र पढ़ते हैं उनसे छिपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष, मैं बड़े अदब से निवेदन कर देना चाहता हूं और मेरे ये भाई और उनके जो दूसरे भी भाई हैं वे निवेदन कर देना चाहते हैं कि जिस समय राजस्थान पर ही नहीं अपितु समूचे भारत पर भी जिस वक्त हमले के काले बादल आवेंगे उस समय मरने के लिये हम ही सबसे आगे आवेंगे, इसमें किञ्चित मात्र भी सन्देह की बात नहीं है।

(करतल-ध्वनि)

सभी समझदार लोग कहते हैं और जानते हैं कि भोजन ठंडा करके किया जावे तो उचित होगा, गरम-गरम में मुंह जल जावेगा, हाथ जल जावेगा, तकलीफ पावेंगे। गरीब राजपूतों के दाणों का आज आप लोगों के सामने गरम-गरम भोजन है, आपको सत्ता का मद है। इस सत्ता के भोजन को ठंडा करके खाइये।

(हँसी)

आज आप में इसकी गरमी है और इसी से रोजाना इस प्रकार के सवाल लाये जाते हैं और गरमागरम बातें कही जाती हैं कि राजपूत जाति को जाना है, वह गद्दार है, वह जुल्मी है....

श्री ज्वालाप्रसाद : नहीं-नहीं, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा।

श्री नरेन्द्रसिंह : यह जागीरदारी का सवाल है इसको लेकर....

श्री ज्वालाप्रसाद : जागीरदारों का सवाल राजपूतों का नहीं है। इसमें दूसरी जातियां भी हैं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस तरह से इन्टरप्शन नहीं किया जाना चाहिये, उन्हें बोलने दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इन्टरप्शन नहीं कीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह : मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझसे अधिक आपने अपने भाषण में बातें कहीं, पर मैंने

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तो इस तरह से इन्टरप्शन नहीं किया। आप मेरी बातों को जरा सब्र से सुनिये।

१—म० प०

आज जो जितने भी लोग हैं, क्या सेक्रेटेरियेट के अन्दर, क्या हाट पर, क्या बाजार के अन्दर, क्या खेत में, यही कानाफूसी होती है कि कांग्रेस ने जिस राज्य को सम्हाला था और जिसकी बागडोर उनके हाथों में दी थी वे इस चीज के लिए ज्यादा फलीभूत नहीं हुए और थोड़े दिनों पहले राज्यपाल महोदय ने यह कहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो शीघ्रातिशीघ्र खत्म होना चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सोच लें कि इस बात से संसार का सवाल है वह पूरा नहीं होगा। ज्यादा आदमी जिस पार्टी के होते हैं, 'हां' और 'ना' बोलो; 'हां' और बोलो 'नां' दोनों के हित में निवेदन करना चाहता हूं

(हंसी)

आप सुन लीजिये, हंसने का सवाल नहीं है। यह हंसने का सवाल रोने में परिवर्तित होगा, आप लोग सच्ची बात निकालें, जैसा कल राज्यपाल महोदय ने कहा था, मैं यह निवेदन करूंगा कि थोड़ी पार्टी होने से अगर यहां 'हां' और 'नां' के लिए यही क्राइटेरिया रखा जाय तो मैं यह समझूंगा कि जो शपथ आपने ग्रहण की है उसके खिलाफ चीज होगी। मेरा निवेदन है और इतना ही कह कर मैं इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि हमारी ओर से दूसरे महानुभाव बोलेंगे। मैं यह कहूँगा कि थोड़ा ठंडे दिल से करें। आप लोग इसमें ऑथोरिटी रखते हैं लेकिन मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेन्ट रहा हूं। लोर्ड डलहौज़ी की डोक्ट्रिन ऑफ लेप्स की जो पोलिसी थी उसका फल आंखें मल-मल कर लोर्ड केनिंग को भोगना पड़ा। खाने की जो चीज़ है यदि उसको अधिक मात्रा में खाया जाय और वह हजम न हो और उसके बाद और खा ली जाय, तो लोर्ड केनिंग को जो दुःख भोगने पड़े वे आपको भी भोगने पड़ेंगे।

बुड्ढे राजनीति के पंथ के क्षुद्र से पथिक की यह क्षुद्र सी परामर्श है व यह ध्रुव सत्य व कटु सत्य है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह: मैं बहुत से अंश से सहमत हूं और कुछ से असहमत हूँ, इस चीज को आप भी समझते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मेरे ख्याल से आप राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह: आप दे दें, मैं दे दूं, आपको भी दे दिया है, उनको भी दे दिया।

(हंसी)

आप जिस प्रकार रंगीन चश्मे से देखते हैं, नजर नहीं आते हैं दूसरे। व उनके दुःख-दर्द, मेरे विचार में गत पांच वर्ष में श्रीमानों

(श्री रावल नरेन्द्रसिंह)

की गर्वनमेन्ट ने पक्षपात व क्षेत्रीय भावनायें अपनाई हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं वही पालीसी बर्ती गई तो भय है राजस्थान दूसरा 'केरल' न हो जावे पांच वर्ष बाद।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान सरकार के गत पांच वर्षों का ब्योरा और आगे आने वाले पांच वर्षों में जो कुछ राजस्थान सरकार करने जा रही है उसका लेखा-जोखा है। यह बात निर्विवाद सत्य है कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान ने काफी कार्य किया है और जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रतीत होता है आने वाले पांच वर्षों में भी काफी कार्य होने जा रहे हैं। यदि पिछले पांच वर्षों में अगर हम काश्तकारों की प्रोब्लम को लें तो राजस्थान में बहुत अच्छे २ कानून बने, काश्तकारों को बेदखल होने से रोका गया, इसके अलावा रेन्ट कन्ट्रोल लागू किये गये, जो काश्तकारों के साथ में जमीनदारों और जागीरदारों के जुल्म होते थे उनको रोका गया और मैं यह बात कहूँ कि भारतवर्ष की जितनी स्टेट्स हैं, अन्य सूबे हैं उनमें आज तक वे प्रगतिशील कानून नहीं बनाये गये जो कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान सरकार ने बना कर काश्तकारों को राहत पहुंचाई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह भी प्रतीत होता है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान सरकार जमींदारी प्रथा को खत्म करने जा रही है। यह भी बात जाहिर है कि सरकार जल्दी से जल्दी सीलिंग फिक्स करने जा रही है और जिनके पास अधिक मात्रा में जमीन है उनसे छीन कर उनको देने जा रही है जिनके पास जमीन नहीं है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है यह बात जाहिर है कि भाखरा नांगल से लगभग ३४ हजार एकड़ भूमि सिंचाई के काम में आ रही है और अन्य योजनायें जो हैं उनसे करीब करीब पांच लाख भूमि सिंचाई में आ रही है और उम्मीद की जाती है कि जब राजस्थान केनाल बन जायगी तो बहुत सा जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वह भी सरसब्ज हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विषय में, जैसा जाहिर है, कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में ६७८ प्राइमरी स्कूल्स खोले गये, लगभग १०० मिडिल स्कूल्स और २६ हाई स्कूल्स खोले गये तथा और भी दूसरी दिशा में जहां तक सड़कें बनाने का ताल्लुक है, सड़कें बनी हैं, पंचायतें कायम हुई हैं और जितने खनिज पदार्थ हैं उनकी ओर राजस्थान सरकार का ध्यान गया है और खाद्य समस्या को हल किया है और पिछली पंचवर्षीय योजन के जो आंकड़े थे और जो विकास का अनुमान था उससे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, क्या यह कुछ काफी है, हमारा संतोष है और क्या हम कह सकते हैं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी संतोषजनक है? कांग्रेस सरकार भारतवर्ष में एक समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रही है तो क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से वे परिस्थितियां पैदा होती हैं जो समाजवादी व्यवस्था कायम कर सकेंगी। यहां स्कूल खोले जा रहे हैं, पढ़ाई का इन्तजाम कर रहे हैं, वहाँ प्रतिवर्ष राजस्थान में अनएम्प्लायमेन्ट

Page No.31

(श्री छोटूसिंह)

बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह पता नहीं चला कि आगे जो व्यवस्था की है, आगे आने वाले पांच वर्षों में क्या करने जा रहे हैं जिससे अनएम्प्लायमेन्ट की प्रोब्लम हल हो।

जिस तरह से जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया उसके लिए राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। हमारे प्रान्त में जागीरदारी प्रोब्लम नहीं है। लेकिन आज गरीब आदमी है वह तो और भी गरीब होता जा रहा है और जो अमीर आदमी हैं, जिनको केपिटेलिस्ट्स कहते हैं, वे दिन-रात तरक्की करते जा रहे हैं, अमीर अधिक अमीर बनते जा रहे हैं। मैं तो यह उम्मीद करता था कि राजस्थान में ऐसा तरीका अपनाया जायगा कि जहां हम जमीनों का सीलिंग फिक्स कर रहे हैं वहां अपर इनकम को भी फिक्स करेंगे। लेकिन आज जो डिस्पेरिटी है, आमदनी की डिस्पेरिटी है, ठीक है अभी कुछ दिनों पहले यह मालूम हुआ कि जिन कर्मचारियों की १००) रु० माहवार से कम तनख्वाह है उनको पांच रुपया बढ़ाने जा रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन क्या यह मामला संतोषजनक है, क्या इससे काम चलने वाला है? जहां छोटे कर्मचारियो को पांच रुपये की तरक्की होगी तो बड़े कर्मचारियों की तनख्वाहों में १००–२०० की तरक्की होने जा रही है। तो मैं अर्ज करूं कि आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें ५ करोड़ रुपया खर्च करने की बात राजस्थान सरकार सोचती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व भाइयों ने माना और चीफ मिनिस्टर महोदय मानते हैं और समस्त सदस्य इस बात को मानते हैं और अध्यक्ष महोदय आप भी इस बात से कन्विन्स होंगे कि आज हमारे यहां भ्रष्टाचार और करप्शन का दौरदौरा है। जो कार्य चालू किये हैं उनके इम्प्लीमेन्ट पूरी तरह से करना चाहते हैं लेकिन उनका इम्पलीमेन्टेशन पूरा नहीं कर पाते। अगर यही रफ्तार चलती रही तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जहां पांच करोड़ के कार्य करने जा रहे हैं, वहां अगर ३०–३५ पर्सेन्ट करप्शन के मार्जिन के लिए छोड़ दें तो उससे ८० लाख रुपयों का कार्य कम होने वाला है।

मैं बहुत अदब के साथ आपके जरिये चीफ मिनिस्टर साहब को यह बात कनवे करना चाहता हूं कि जो आज टोप प्रायोरिटी की सबसे बड़ी समस्या है उसको क्यों नहीं प्राथमिकता दी जाती है? यह ठीक बात है कि सरकार ने राज्य में अमन कायम किया। अमन कायम करना सरकार का काम था। अमन कायम करना बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं है लेकिन आज की पोजिशन क्या है, यह देखने की बात है। जिस तरीके से आज कोई ईमानदार अफसर है उसको लोग कहते हैं कि वह बहुत ईमानदार है लेकिन ईमानदार होना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ईमानदार तो सभी अफसरों को होना चाहिये। लेकिन आज बेईमान ज्यादा हैं, भ्रष्टाचारी ज्यादा हैं और ईमानदार कम हैं इसलिए कोई ईमानदार है तो उसकी तारीफ की जाती है। इसी तरह से सरकार को अमन कायम करना चाहिये था इसलिये अमन कायम किया। लेकिन आज-कल वकीलों की दलीलों के कारण कितने ही कातिल बरी हो जाते हैं और कितने ही डाकुओं को बरी कर दिया जाता है, कितने ही भ्रष्टाचारी अफसरों को रिश्वत लेने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है। राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इस बात

Page No.32

(श्री छोटूसिंह)

के फैक्ट्स और फिगर्स देते कि कितने डाकुओं को सजा दी गई, कितने भ्रष्टाचारी अफसरों को सजा हुई, उनका कन्विक्शन हुआ ?

(करतल-ध्वनि)

तो हम कह सकते थे कि आगे बहुत अच्छी ईमानदारी रखी जायगी। मुझे आज उम्मीद है और मैं मानता हूं कि शायद ओमिशन से यह बात कहनी रह गई है। लेकिन आने वाले पांच वर्षों में चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की ओर ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं यह नहीं कहता कि आज राजस्थान के सब अफसर करप्ट हैं लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अधिक मात्रा में अफसर करप्ट हैं लेकिन ईमानदार आदमी के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे मालूम है कि कुछ ईमानदार अफसर भी ज्यादा बेईमानों के बीच फंस जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारे श्री बद्रीप्रसाद जी जब पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के मिनिस्टर थे तब उन्होंने कार्यभार संभालते ही, आते ही आते चार-पांच अफसरों को सस्पेन्ड कर दिया। हमें यह भी मालूम है कि इसके बाद में उन पर कितना दबाव पड़ा कि आपने इतना गलत कदम क्यों उठाया ? मैं समझता हूं आगे कार्यवाही हुई ही नहीं और उन्होंने यह अच्छा समझा कि उस विभाग के कार्यभार से छुट्टी ले ली और दूसरा कार्यभार संभाला। मैं किसी की इन्टीग्रिटी पर डाउट नहीं करता लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि सरकार उसे पनपाना नहीं चाहती है, लेकिन यह भी सच है कि इस मसले को अहमियत नहीं दी जाती है और समझा जाता है कि करप्शन कोई मामूली चीज है और ओटोमेटिकली खत्म होने वाला है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस एक मसले को हल कर पायेंगे तो बहुत से मसले ओटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं।

श्री हरिदेव जी ने प्रस्ताव रखा राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के सम्बन्ध में, उसमें उन्होंने कहा कि एक किसान जब छोटी से छोटी बात के लिये भी अदालत में जाता है तो वह अपने आपको एक अजीब सी हालत में पाता है। चपरासियों से लेकर ऊपर तक उसको फटकार ही फटकार मिलती है और जब तक दो, चार या पांच रुपये अपनी हैसियत के माफिक खर्च नहीं कर पाता तब तक उसका काम नहीं बनता।

(श्री हरिदेव जोशी, सभापति, पदासीन)

(१–१२ म० प०)

हमको मालूम है कि यहां पर कई ऐसी योजनाएं चलीं जिनके लिए कहा गया था कि आम लोगों का सहयोग लेंगे। अगर सहयोग लेकर काम करते तो बहुत अच्छी बातें होतीं। इन्हीं को फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर देखें; उदाहरण के तौर पर जल बोर्ड आदि की तरफ से जो एडवान्स दिया गया उसके खर्च का कोई हिसाब नहीं है। इस पैसे से जो कुए आदि बने हैं उनको यदि चार-पांच महीनों बाद देखते हैं तो पता चलता है कि वे जितने जल्दी बने उतने ही जल्दी ढह गये। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। २-३ वर्ष पूर्व श्री सुखाड़िया जी से निवेदन किया था इस बारे में और उन्होंने कोशिश भी की। मैं समझता हूं अभी हमें तेजी से इस दिशा में चलना है। इसमें दो पक्षी राय नहीं हो सकती।

Page No.33

(श्री छोटूसिंह)

इसमें वाम पक्ष या इधर या उधर के लोगों का सवाल नहीं है। हम सब को मिलकर काम करना चाहिये, लेकिन हो नहीं रहा है।

चेयरमैन महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण में यह बात जाहिर नहीं है कि समाजवाद के तरीके से किस तरह से काम करना चाहते हैं? उदाहरण के तौर पर जितनी बस–सर्विसेज हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। जैसा यू० पी० आदि में है उसी तरह से एसेन्शियल सर्विसेज को अपने हाथ में ले लिया जाता है तो आर०टी०ओ०, हाई कोर्ट आदि में रिट की बात है वह मिट जाती है और अभी भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि में लोगों का टट लग जाता है, वह मिट जाता है और परेशानियां मिट जाती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो बस सर्विसेज हैं या एसेन्शियल कार्य हैं जिनका जनता से सीधा सम्पर्क है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। आखिर समाजवादी व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था यह है कि जितने बीच के एजेन्ट्स हैं उनको हटाकर सीधा सम्पर्क कायम हो। तो ऐसी दशा में मैं उम्मेद करता हूँ कि जरूर कोई न कोई कदम उटाया जायगा और आने वाले चार–पांच वर्षों में यह कार्य ठीक तरीके से किया जा सकेगा। इतना ही कहकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपलक्ष में धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : चेयरमैन महोदय, आज राज्यपाल के भाषण के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अभिभाषण के शुरुआत में जो नये लोग धारा सभा में आये हैं उनके लिये दो शब्द कहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम लोग जो नये आये हैं उनको समय समय पर मार्ग दर्शन मिलता रहेगा। इसके बाद उनके भाषण मे जो इन्टीग्रेशन का सवाल आया है उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं और मानता हूँ कि इन्टीग्रेशन में काफी मुश्किलात का सामना करके उसको हल किया है। साथ ही साथ जो युनिफाइड लॉ है, जिसके द्वारा कानून में युनिफोर्मिटी लाये हैं उसके लिये भी वे सराहना के पात्र हैं। इसके अलावा सर्विसेज़ में युनिफाइड पे स्केल्स लाये हैं उसके लिये भी सराहना करता हूँ। लेकिन, फिर भी जो स्केल्स लागू किये हैं उनका आज भी झगड़ा हल नहीं हुआ है जब कि युनिफाइड पे स्केल्स सन् ५१ में लागू हुई थीं। झगड़ा आज भी चालू है, रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स के अन्तर्गत आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एरियर्स बाकी हैं। इन सबके लिए जल्दी से जल्दी इन्तजाम करने की कोशिश करें।

दूसरी बात जो आती है वह लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में है। राज्यपाल के भाषण में इस पर संतोष प्रकट किया है। मैं मानता हूँ कि लॉ एण्ड ऑर्डर के मेन्टीनेन्स में सरकार ने काफी कामयाबी हासिल की है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, उससे हमें संतोष नहीं। जो लॉ एन्ड ऑर्डर की हालत है, वह आज इस सदन में शुरूआत में जो श्रीमती सतवंत कौर ने सवालात रखे, उससे साफ जाहिर होती है। हमारे राज्य में लॉ एन्ड आर्डर बराबर कायम नहीं है। दूसरी बात

(श्री पी० के० चौधरी)

जो लॉ एन्ड आर्डर के सवाल से सम्बन्ध रखती है वह हमारे राज्य की विशेष परिस्थिति की वजह से है क्योंकि पाकिस्तानका एक लम्बा-चौड़ा बोर्डर हमारे राज्य से लगा हुआ है, करीब पांच सौ, छः सौ मील लम्बा बोर्डर है। डाकुओं के बारे में जो हमारे राज्यपाल ने कहा, उसे, मैं नहीं मानता हूँ। डाकू लोग आज भी साफ नहीं हुए हैं! अज भी वे आते हैं, अत्याचार करते हैं और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो फिर बाउन्डरी के उस तरफ चले जाते हैं।

इसके अलावा एक और सवाल हमारे समाने है कि आज कल एक इन्टर्नेशनल स्मगलिंग चलता है। कुछ दिनों से आपने पत्रों में देखा होगा कि काफी तादाद में सोना परदेशों से आता है व हमारे यहां से करेन्सी ले जाते हैं। अभी दो-तीन दिन पहले का पत्र बताता है कि पंजाब की सरहद से ८० लाख का सोना हर रोज बाहर से यहां आता है और यहां से करेन्सी बाहर चली जाती है। लोग कहते हैं कि इसके पीछे इन्टर्नेशनल षडयन्त्र है और यह षडयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना को फेल करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ है और राजस्थान की बाउन्डरी पर यह वारदात चलती है या नहीं? जो यह इन्टर्नेशनल स्मगलिंग होता है और करेन्सी बाहर जाती है, इसके बारे में राजस्थान सरकार क्या करती है, यह मैं नहीं जानता। मैं समझता हूं कि हमारे राज्य की जो पुलिस की मशीनरी है उसको इस सम्बन्ध में काम करना चाहिए। It should be geared up to face the task.

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट फाइव इअर प्लान के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में सन्तोष प्रगट किया है कि हमारे राज्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे ज्यादा तरक्की की है। मैं इसको सही नहीं मानता और समझता हूँ कि फर्स्ट फाइव इअर प्लान में हमको जितना काम करना था, वह नहीं कर पाये और हमको बहुत करना बाकी है। फर्स्ट फाइव इअर प्लान की जो सक्सेस है, जो सफलता है, उसको उन्होंने पैसों की दृष्टि से बता दिया है। उन्होंने बताया है कि फर्स्ट फाइव इअर प्लान में ७० लाख रुपया जो खर्च करना तय किया था उसमें से हमने ८५ प्रतिशत खर्च कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह गलत है क्योंकि सफलता या असफलता मानने को यह कोई यार्डस्टिक नहीं हो सकती कि हमने अनवाइजली खर्च किया है, अनाप शनाप खर्च किया है। असली सफलता को एस्टीमेट करने का तरीका यह है कि कोन्क्रीट मेटीरियल और गुड्स और सर्विस में क्या चीज मिली है। यह सफलता को देखने का माप दण्ड है। मैं चाहता हूं कि जो योजना की सफलता को देखने के लिए यार्डस्टिक बताई जाती है कि हमने ५१ करोड़ खर्चकरना तय किया था और इसमें से ४० करोड़ खर्च कर दिया है और इस प्रकार हमारी योजना सक्सेसफुल हो गई है, यह गलत है। मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि ४० करोड़ रुपया खर्च करके जो काम किया है उसमें गुड्स और सर्विस के लिहाज से कितना काम हुआ है जो काम ४० करोड़ में हुआ है वह २० करोड़ में भी बन सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकारने जो यार्डस्टिक अपनाई है उसको बदलना चाहिए। हमारी जो योजना है, जो

Page No.35

(श्री पी० के० चौधरी)

प्लान है उसकी सफलता की याडस्टिक यह होनी चाहिए कि गुड्स और सर्विस, कोन्करीट मेटीरियल कितना पैदा किया है, कितनी तरक्की की है, यह यार्डस्टिक होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस तरफ ध्यान देगी। योजनाओं की सफलता को मापने की यार्डस्टिक जो हमारी सरकार ने अपनाई है कि इतना एक्सपेन्डीचर कर दिया तो इतनी सफलता मिली, यह सही यार्डस्टिक नहीं होती। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि, जो अर्थशास्त्र से ताल्लुक रखते हैं वे जानते हैं कि हमारा जो रुपया है उसकी जो वेल्यू है वह ग्रेज्युअली १० साल से घटती जा रही है। The intrinsic value of the rupee is going down. यानि रुपये की जो कीमत है वह घटती जा रही है। इस रुपये के खर्चे से सफलता का मापदण्ड करें तो वह गलत होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सफलता को मापने के लिए नई यार्डस्टिक अपनाये और गुड्स और सर्विस तथा कोन्करीट मेटीरियल के रिज़ल्ट से सफलता और असफलता का हिसाब लगाये।

तीसरी बात इर्रिगेशन के बारे में कही गई कि हमने काफी सफलता प्राप्त की है। छोटूसिंह भाई ने भी बताया है कि इर्रिगेशन के काम से उनको संतोष हुआ है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पानी बिल्कुल नहीं है। जैसा कि गवर्नर ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमारे राज्य में जो एग्रीकल्चर की जमीन है, जो कि काम में ली जा सकती है, उसके १० पर्सेन्ट में इर्रिगेशन के साधन हैं, बाकी में नहीं हैं। इसलिए इर्रिगेशन के लिए जो संतोष प्रगट किया है, वह चीज गलत है। मैं समझता हूँ कि इर्रिगेशन के बारे में और ज्यादा हमको तवज्जोह देनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जो पैसा दूसरे कामों में लगाया जाता है, उस पैसे को इर्रिगेशन में देना चाहिए और यह देखना चाहिये कि काम बराबर होता है या नहीं? इर्रिगेशन के लिए पैसा दिया जाता है, तकावी दी जाती है लेकिन इसकी कोई चिन्ता नहीं होती कि पैसा बराबर इस्तेमाल होता है या नहीं, इस पैसे से लाभ होता है या नहीं? इसकी कोई चिन्ता हमारी सरकार की तरफ से नहीं होती है।

तीसरी बात रास्ते (सड़कों) के बारे में बताई गई है और उस पर काफी संतोष प्रगट किया गया है। रास्ते के बारे में कहा गया है कि ६७५ नया रास्ता बनाया। यह कोई गर्व की बात नहीं है। यह राजस्थान में नहीं के बराबर है। जब राजस्थान में यह हालत है तो सरकार को सड़कें और बनानी चाहिये। हम रास्तों के बारे में सन्तोष प्रकट नहीं कर सकते जब कि ज्यादा से ज्यादा रास्ते हर गांवों के लिए न बना सकें :

It will take eternity

हमारे यहां जो मंडियां हैं, उनसे गांवों को संबंधित करने में, यदि इस प्रकार काम चला तो हजारों वर्ष लग जायेंगे। यदि ६७५ रास्ते बनाने का काम तेजी से न चलाया गया तो यह काम वर्षों में पूरा होगा।

अध्यक्ष महोदय, सेकेंड फाइव इयर प्लान के बारे में जो रकम दी जा रही है उसके लिए मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसका जनता में काफी प्रचार किया जाय जनता का सहयोग लिया जाय। हम योजना

(श्री पी० के० चौधरी)

पास करते हैं, लेकिन दुःख की बात है कि किसी एम. एल. ए. को स्टेट प्लान की कॉपी नहीं मिलती है, जो गवर्नमेंट आफ-इन्डिया का प्लान बना है, वह मिलता है, बाजारों से खरीदा जा सकता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है, उसकी कॉपी किसी एम. एल. ए. को नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे । सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कॉपी बाजार में नहीं मिलती है। हम लोग जनता के नुमाइन्दे हैं, हम अंगूठा छाप लगाकर काम करना नहीं चाहते। हर योजना की डिटेल्स हर सदस्य को देनी चाहिए और योजना की कॉपी हमको दी जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मैं समझता हूँ कि वूल और शीप ब्रीडिंग इन्डस्ट्री पर ध्यान दिया गया है। राजस्थान में १० पर्सेंट जनता का इनसे परिपालन होता है। उसके लिए जो पैसा पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, वह कम है। वूल और शीप ब्रीडिंग के लिए १२ करोड़ रुपया रखा गया है हमारी पंचवर्षीय योजना में। यह एक धन्धा और उद्योग ऐसा है कि इससे प्रान्त की १० पर्सेंट जनता का निर्वाह होता है, इसके लिये इतना कम पैसा रखना ठीक नहीं है। इसलिए इस इन्डस्ट्री की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज वूल और भेड़ों को जो रखते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। उनको बसाने के लिए और इस इन्डस्ट्री की तरक्की करने के लिए हमारी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के सम्बन्ध में, मैं समझता हूँ, हमने काफी कम तरक्की की है। शिक्षा के बारे में जो फिगर दिये गये हैं, वे संतोषजनक नहीं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष से कम स्कूल गोइन्ग ३६ पर्सेंट बच्चों को शिक्षा देने का प्रबन्ध था। अगली पंचवर्षीय योजना में ११ वर्ष से नीचे के बच्चों के ५६ पर्सेंट की शिक्षा का प्रबन्ध किया है। इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे सकते ११ से १४ वर्ष के जो मिडिल स्कूल में पढ़ने लायक बच्चे हैं, उनको १९६१ में मिडिल स्कूल की शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसी मौके पर मैं सरकार का और अध्यक्ष-महोदय, आपकी मार्फत, इस सदन के मेम्बरान का कॉन्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया में जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें यह हिदायत दी गई है कि हिन्दुस्तान में इस संविधान के अमल में आने के बाद १० से १४ वर्ष के बच्चों को १० साल में कम्पलसरी शिक्षा देने का स्टेट सरकार प्रबन्ध करेगी। यह प्रिन्सिपल मैं आपको पढ़ कर सुना दूं।

"45 Directive Principles of state Policy;—

The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

तो मैं समझता हूँ कि जिस रेट से शिक्षा की व्यवस्था रखते हैं उससे १९६१ में जाकर १४ साल के बच्चों को साढ़े बाईस पर्सेंट मिडिल स्टेज में व्यवस्था करते हैं, यह स्टेट पोलिसी का पालन नहीं करते हैं। इस—

(श्री पी० के० चौधरी)

लिये हम शिक्षा के बारे में संतोष प्रकट नहीं करते हैं और हम यह चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में और दिया जाय। पैसे के बगैर शिक्षा नहीं चल सकती, यह उसूल गलत है, if finance is going to be the criterion for deciding about compulsory education-

इस तरह से तो २००-३०० वर्ष लग जायंगे। जो इस बात को मान कर चलते हैं कि पैसा है उसके आधार पर शिक्षा का प्लान बनावेंगे तो वह नहीं चल सकता है इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जोर दे और शिक्षा को फाइनेन्स के साथ लगा देते हैं वह छोड़ दे। बगैर फाइनेन्स के शिक्षा चल सकती है। १० साल तो ६१ में खत्म हो जाते हैं और २० पर्सेंट को ही शिक्षा मिलती है, इसके बाद ८० फीसदी बाकी रह जाते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि शिक्षा की योजना को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ किया जाय और इसको करने का दूसरा तरीका निकालें।

इसके बाद श्रीमन् राज्यपाल महोदय ने इनएफिशियेन्सी, रेड टेपिज्म और करप्शन के बारे मे कहा। इससे जाहिर होता है कि सरकार इस बारे में जागरूक है। इसके लिये सरकार को धन्यवाद है, हम सरकार की इसके लिये सराहना करते हैं। यह जो नया तरीका डेलिगेशन ऑफ पोवर्स का सोचा है यह बहुत जरूरी है। यह आज नहीं आज से बहुत पहले कर देना चाहिये था। गवर्नमेंट ऑफ-इन्डिया में अमेरिका से और बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाये थे, उन्होंने यह राय दी कि जो आफिसर ओन दी स्पोट रहते हैं उनको यह सत्ता नहीं दी जाती है, इसलिये यह बात होती है। तो यह जो कदम उठाया गया है कि ओन दी स्पोट जो अफसर रहते हैं, उनको सत्ता देने का, यह होना चाहिये। इसके साथ ही सरकार को ख्याल रखना चाहिये कि ये अफसर समझ से काम करें और पब्लिक ड्युटी की सेंस उन अफसरों में हो। जरा सी सत्ता अफसरों के हाथ में होती है, उससे जनता में त्राहि-त्राहि करा देते हैं, उनकी बदमाशी से जनता कराहती है, ऐसे अफसरों को ज्यादा सत्ता मिल जायगी तो जनता कुचल दी जायगी। इसलिये ऐसी सत्ता ओन-दी स्पोट जो अफसर हैं उनके हाथों में देने के साथ साथ यह देखना है कि ऐसे अफसर रखने हैं जो ईमानदार हों।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर साहब को आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ कि जब इस पोलिसी को काम में लायेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओथोरिटी है उसका ओवर-हॉल कर दें और ऐसे अफसर रखें जिनमें सेंस ऑफ ड्युटी हो और वे ईमनदार हों।

जहां तक करप्शन का सवाल आता है वहां सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय ने इसको मिटाने का कोई ठोस कदम नहीं बताया है। मैं ठोस सुझाव देना चाहता हूँ जिससे करप्शन मिट सकता है। एक बात मैं सरकार के ध्यान में इस विषय में लाना चाहता हूँ; जो कृपलानी कमेटी, करप्शन कमेटी रेल्वे ने मुकर्रर की थी, उस कमेटी ने सिफारिश की है, उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि करप्शन साबित करना मुश्किल है। हम कहते हैं, फलां अफसर करप्ट है, हम सुबूत नहीं दे सकते, आगे कोर्ट में केस जाता है तो साबित नहीं होता, और जब तक फैसला नहीं

(श्री पी० के० चौधरी)

हो जाता तब तक गवर्नमेन्ट उस अफसर को सस्पेन्शन में रखती है, वह मामला साबित नहीं होने पर इस सस्पेन्शन पीरियड की पूरी तनख्वाह उसे गवर्नमेन्ट को देनी पड़ती है, इससे गवर्नमेन्ट को बड़ा नुकसान होता है। कृपलानी ने सा. सुझाव रखा है कि यह जरूरी नहीं है कि गुनाह साबित हो, जिसकी रेपुटेशन खराब हो उसकी तरक्की रोक दी जाय और दूसरा सुझाव यह रखा है कि तीन साल से ज्यादा एक अफसर को एक जगह नहीं रखा जाय। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि जिस अफसर की रेपुटेशन खराब हो उसको कम्पलसरी रिटायरमेन्ट करने का अधिकार होना चाहिये। यह अधिकार होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इल्जाम लगाना जरूरी है। कन्ट्राक्ट ओफ सर्विस के अनुसार एक महीने की तनख्वाह देकर घर भेज दिया जाय, इल्जाम लगाना भी जरूरी नहीं।

इसके साथ ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को समेरी पोवर्स रहने चाहिये। कुछ दिनों पहले सुना कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज्यादा पोवर्स अपने हाथ में करप्शन को रोकने के लिये रखना चाहता हूं। इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी यह सत्ता अपने हाथों में लें कि जिस अफसर की रेपुटेशन खराब हो उसको घर भेज दें। दूसरे गवर्नमेन्ट की मशीनरी जो है which has fallen into dust, दकियानूसी चालसे ऐसे गड्ढे में पड़ गई है कि उसमे बाहर नहीं निकल सकती, इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ट्रीटमेन्ट देना चाहिये, इसकी शुरुआत होनी चाहिये, जितने सेक्रेटरीज हैं उनको बदल देना चाहिये। बम्बई व मद्रास जहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा समझते हैं; उनको वहां भेज दिया जाय और गवर्नमेन्ट के आई. सी. एस. ऑफीसर लेकर रखे जायँ। इसके साथ यह भी होना चाहिये कि मिनिस्टर्स जो हैं वे पोलिसीज़ ले डाउन करें, सेक्रेटरीज़ का जो रोजमर्रा का काम है उसमें इन्टरफियरेंस नहीं करें। एम्पोइन्टमेन्ट, रिक्रूटमेन्ट होते हैं उसमें मिनिस्टर्स की तरफ से जो दखल होता है वह बन्द कर देना चाहिये।

(करतल-ध्वनि)

मौजूदा जितने सेक्रेटरीज़ हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाय। हमारे चीफ मिनिस्टर जोनल कॉन्फ्रेंस में मंजूर करके आये हैं, वह किया जाय कि मिनिस्टर लोग शपथ खायं कि डे टू डे एक्टीविटीज़ में जो रुटीन वर्क है, उनके पद का तकाजा है कि पोलिसी ले डाउन करें, उसको अमल देना सेक्रेटरी का काम है। डेमोक्रेसी का तकाजा है कि डे टू डे डिपार्टमेंटल के जो टेक्निकल काम हैं उनमें नुक्ताचीनी करने की कोई जरूरत नहीं। इससे काम बिगड़ता है। अपोइन्टमेन्ट के बारे में कोई काम नहीं करेंगे, यह दो चीजें करना जरूरी हैं।

दूसरी बात, जो करप्शन होता है उसका एक और कारण है। वह यह है कि राजस्थान के मुलाजिमों की तनख्वाह बहुत कम है, पुलिस का अधिकारी जिसके हाथ में लॉ एन्ड ऑर्डर सब सौंप दिया है, और जो चौबीसों घंटों के लिए नौकर है उसकी तनख्वाह ४५ रुपया है, उसकी ड्युटी चौबीसों घंटे रहती है, इससे वह कैसे गुजर करे? ड्युटी में जाता है तो उसको खाना नहीं दिया जाता, उसे बाजार खरीद कर खाना खाना पड़ता है। इस हालत में पुलिसमैन कैसे इनकरप्ट रह सकता है? मैं समझता हूँ कि पुलिसमैन को

(श्री पी० के० चौधरी)

जो ४० रुपये मिलते हैं, पटवारी जो गांव का हाकिम है उसको इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि वह चोरी नहीं करेगा तो जावेगा कहां? इसलिए मैं समझता हूँ कि पुलिस मैन है, पटवारी है उनको सफिशियेन्ट तनख्वाह देनी चाहिये। उन्हेंही नहीं बल्कि राजस्थानके क्लास फोर्थ के नौकर हैं उनको भी सेन्टर के अनुसार वेतन देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस ओर सोचा नहीं है। राजस्थान सरकार ने अपने क्लर्कों का वेतन तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट बेसिस पर कर दिया मगर क्लास फोर्थ का क्या हुआ जब कि उनको ४०) रु० ही मिलते हैं। जब कि सरकार ने क्लर्कों का सेन्ट्रल के बराबर वेतन कर दिया तो इनका भी कर देना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको तनख्वाह कम दी जा रही है और उनपर जिम्मेदारी ज्यादा डाल दी गई है। जब ज्यादा जिम्मेदारी होती है तो उनको तनख्वाह भी अच्छी मिलनी चाहिये। यही वजह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, जो जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस वगैरह हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हैं और इसीलिये देते है कि वे लोग निष्पक्ष होकर बगैर किसी टेम्पटेशन में आकर अपना जजमेंट दे सकें, उनको किसी प्रकार से पैसे का लोभ न हो। यह बात जजों के लिये ही नहीं बल्कि सब के लिये लागू होती है। रेवेन्यु विभाग के पटवारी के लिए भी यही बात लागू होती है, पुलिसमेन के लिये भी और दूसरे सभी लोगों के लिये भी यही बात लागू होती है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूँ कि वे भी इस पर सोचें और इस समस्या को हल करें। मैं समझता हूं कि मैंने जो ऊपर सुझाव रखें हैं अगर उन पर अमल करेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है।

तीसरी बात जागीरदारी एबोलिशन की है। जागीरदारी को एबोलिश करके सरकार ने काफी हिम्मत से काम किया है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो इस सम्बन्ध में सीलिंग कमेटी बनाई थी उसको आज दो वर्ष हो गये हैं और दो वर्षों से वह कोल्ड स्टोरेज में रखी है। इसलिए अगले सेशन में जब हम यहां मिलें तो जमीन की क्या लिमिट होनी चाहिए, उसके लिए बिल पेश होना चाहिए और वह जो सीलिंग कमेटी मुकर्रर हुई है उसकी रिपोर्ट इस समय में हासिल कर ली जानी चाहिए।

चौथी बात इन्डस्ट्रीज़ के बारे में है। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की काफी गुंजायश है, पोटेन्शियलीटीज़ हैं; मगर हमने उनका बराबर उपयोग नहीं किया है। हमारे यहाँ राजस्थान में काफी पैसे वाले लोग हैं जो कलकत्ते और बम्बई में रहते हैं और उसको चमन किया है, मगर जितना उन्होंने बम्बई और कलकत्ते को सरसब्ज किया है यहां कुछ नहीं किया है। इस लिए इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कुछ करना चाहिए और इसके लिये इन्डस्ट्री मिनिस्टर ही जिम्मेदार नहीं कर दिया जावे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए समिति बनाई जावे जिसमें सदन के सदस्य भी मेम्बर्स हों और यह जो कमेटी हो वह सरकार को अपनी राय दे कि कहां कहां और कौन कौन सी इन्डस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करनी चाहिए और कहां पर कौनसी डेवलप हो सकती है। अलग अलग डिवीजनों में जरूरत के माफिक डिफरेन्ट इन्डस्ट्रीज़ होनी चाहिए। इसके लिये हाई पॉवर कमेटी सदन के सदस्यों की बनाई जावे

(श्री पी० के० चौधरी)

और वह कमेटी सरकार को एडवाइज़ करे और उसकी राय पर उसको आगे चलाने का काम किया जावे ।

दूसरी बात पंचायतों के बारे में कही गई है। पंचायत कायम करके हमने गांवों में प्रजातन्त्र प्रणाली कायम कर दी है ! हम पंचायतों को ज्यादा पॉवर्स देना चाहते हैं लेकिन पंचायतों की वजह से हर एक गांव में दो पार्टीज बन गई पंचायतों की पोटेन्शियेलिटीज़ हैं और हमे उनको ज्यादा पॉवर देना चाहिये लेकिन इसके कारण हर गांव में हमने देखा है कि दो पार्टी बन गई हैं। सरकार ने पंचायतों की स्थापना की है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ जो भावना पैदा हो गई है उसको हमें नहीं भुलाना चाहिये। आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां दो पार्टी नहीं हों। जो सरपंच होता है उसकी पार्टी होती है और एक दूसरी पार्टी होती है। हम हर एक गांव में गए हैं और जिन जिन गांवों में गये है वहां सब गांवों में दो पार्टीज़ देखी हैं, एक माइनोरिटी और दूसरी मेजोरिटी पार्टी। हमने पंचायतें इसलिए स्थापित नहीं कीं कि वहाँ गांवों में गुट बन्दी और दल बन्दी और जातिवाद पैदा हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह गुट बन्दी पैदा न हो, यह फ़ेक्शनिलिज़्म जो पैदा हो रही है उसको रोकने की तरफ सरकार सोचे और इसके लिए उसे हमसे सलाह लेनी चाहिये, सदन के सदस्यों से सलाह लेनी चाहिये। एक बात मैं जानता हूँ कि इस गुट बन्दी के लिये बड़े बड़े लीडर्स और मिनिस्टर भी जिम्मेदार हैं। १९५३-५४ के चुनावों में, हमको खबर मिली है कि मिनिस्टर ने भी एक या दूसरे केन्डीडेट के नाम से प्रचार किया।

(हर्ष-ध्वनि)

ऐसा नहीं होना चाहिये। इसका नतीजा यह होता है कि गुटबन्दी पैदा हो जाती है और जिस सिद्धान्त को लेकर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंन्ट की स्थापना करना चाहते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते है वह नहीं होता है। हम जहाँ डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं वहां उसका मर्डर होता है। मैं समझता हूं कि पंचायतों को जो यह गुटबन्दी आदि इविल्स हैं उनको पहले उठाना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और पंचायतों को ज्यादा पॉवर्स देंगे तो उन पवर्स का दुरुपयोग होगा। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि पंचायतों को ज्यादा पॉवर्स देने से पहले सरकार इस पर सोचे। मैं मानता हूँ कि पंचायतों को ज्यादा पैसा और पॉवर देने चाहिये लेकिन इससे पहले यह देखना है कि जो गुटबन्दी चलती है उसको रोकने की आवश्यकता है। पोलीटीशियन्स जो हैं और दूसरे लोग हैं वे कहते ही हैं कि इसको रोका जावे और मैं समझता हूं कि यही वजह थी कि कांग्रेस ने यह फैसला किया कि कांग्रेस की तरफ से पंच के इलेक्शन के लिये किसी को खड़ा नहीं किया जावे। आप जानते हैं कि विधान सभा में, धारा सभा में, लोक सभा में कांग्रेस अपने आदमी खड़े करती है लेकिन यही वजह थी कि कांग्रेस ने पंचायत के लिये आदमी खड़ा करने से इन्कार किया। हम जानते थे बुजुर्ग लोग जो दिल्ली में बैठे हैं इस बात को जानते है कि पंचायत में गुटबन्दी हो जावेगी। कांग्रेस की तरफ से

Page No.41

(श्री पी० के० चौधरी)

या पोलीटिकल पार्टी की तरफ से पंच के लिये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं मानता हूं कि अन्दर की तरफ से यह सिलसिला है लेकिन वास्तव में यह बात नही है। इसलिये इसको रोकना चाहिए और पंचायत ऑफीसर जो हैं हमारे पास खबर आती है; डी० पी० ओ०, सी० पी० ओ० होते है वे भी इस चुनाव के मामलों में शरीक होते हैं। वे भी एक के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में होते हैं, यह नहीं होना चाहिये। इसके बाद में हमें चाहिये कि जब इस प्रकार की गुटबन्दी नहीं हो तब पॉवर्स दिये जाने चाहिये।

इसके बाद एम्पलोयर-एम्पलोई और मजदूर और मालिकों के संबन्ध में राज्यपाल ने संतोष जाहिर किया है। मैं इससे सहमत नही हूं। यह सम्बन्ध राजस्थान में ठीक नहीं रहे। यहां पर जो भी मजदूरों ने संगठन बनाया उसको कुचलने के लिये सब तरह से प्रयत्न किये गये और आज हमारे यहां दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर मजदूरों का एक भी मजबूत संगठन नहीं है। यह सब लोग जानते हैं कि यह इस मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है और अगर कोई मजदूर संगठन नहीं हैं तो यह राजस्थान में ही है। इसलिये यह कह देना कि मजदूर और मालिकों का सम्बन्ध संतोष जनक रहा है बिलकुल गलत है। किशनगढ़ मिल के मजदूरों को देखें। आज तीन वर्षों से मिल बन्द है। मिल मालिक ने मिल बन्द कर रखी है। जयपुर में भी पिछले साल मजदूरों का संगठन हुआ था उसको तितर बितर किया गया था। पाली में जो मजदूरों का संगठन है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहां भी मजदूर लोग संगठित होकर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं उनको कुचल दिया जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मजदूर और मालिकों का संबन्ध संतोषजनक रहा है या पीसफुल रहा है, यह उचित नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि यह संबन्ध शमशान की तरह रहा है, ग्रेव यार्ड की पीस रही है, it is apeace of the grave-yard.

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, one Hon'ble Member is sleeping on that side.

(हँसी)

तो यह जो मजदूरों और मालिकों के संबन्ध के बारे में कहा है, यह बात बिल्कुल गलत है। आज मजदूर संगठित नहीं हैं, उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुँचती है; इसीलिये सरकार मजदूरों में संगठन न होने का फायदा उठा रही है। मैं तो कहूँगा कि सरकार को मजदूरों के लिये कोई एनलाइटन्ड पोलिसी अख्तियार करनी चाहिये ताकि उनका भला हो। राज्यपाल के भाषण में टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र है और उसके लिये उन्होंने कहा है कि सरकार उसकी सिफारिशों पर जल्दी ही अमल करेगी, लेकिन उस रिपोर्ट पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। यह कमेटी जब बैठी थी तो इसकी रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लग गये और जब इस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है इसलिये इस बात को कहना कि मजदूरों और मालिकों के बीच अच्छा सम्पर्क रहा, इन्डस्ट्रियल पीस रही, यह गलत है। It is the peace of the grave-yard.

दूसरी बात मैं अनाज के लिये कहूंगा।

(श्री पी० के० चौधरी)

अनाज के बारे में राज्यपाल के भाषण में काफी कहा गया है और उन्होंने बतलाया कि अनाज के मामले में काफी तरक्की हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूं १९५३ के बाद से अब तक अनाज का प्रोडक्शन बराबर स्टेडिली डिक्रीज़ हुआ है। प्रोडक्शन में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इसलिये खुराक के बारे में हम नहीं कह सकते कि आगे क्या हाल होगा ? चारों तरफ फैमिन हो रहा है। बिहार में अभी फैमिन है। अनाज की इतनी भारी कमी है कि लोगों को नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि बिहार की सी हालत यहां भी हो सकती है। आज आपको पता नहीं है कि हमारे राजस्थान में भी खुराक की कितनी कमी है। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे राजस्थान से लाखों मन अनाज बाहर चला जाता है। पहले जो अनाज हार्वेस्ट होकर आता था तो उस वक्त अनाज का भाव गिरता था लेकिन आपने ख्याल करके देखा होगा कि इस बार अनाज हार्वेस्ट होकर आया तो अनाज का भाव घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है। हम देखते हैं कि अनाज राजस्थान से बाहर जाता है। मैं कहता हूं कि सरकार को यह बात मालूम करनी चाहिये कि कौन से रेल्वे स्टेशन से अनाज बाहर जाता है, यह जो प्रांत के बाहर अनाज जा रहा है इसकी बुकिंग कौन से रेल्वे स्टे..न से होती है ? इसकी रोक की जाय। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो जो हालत बिहार की हुई है वही हालत यहां राजस्थान में भी हो सकती है। इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हर एक स्टेशन पर पता लगाया जाय कि अनाज कहां कहां एक्सपोर्ट हो रहा है और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सजा दी जाय। अगर ऐसा होगा तो इस राजस्थान की जो प्रजा है उसका हित हो सकता है। अनाज का एक्सपोर्ट जो जोरों से चल रहा है उसको रोकने का इन्तजाम किया जाय।

इतना कहते हुए मैं राज्यपाल साहब को धन्यवाद देता हूं और जोशी साहब का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूँ। इतना कह कर मैं खत्म करता हूँ।

जय हिन्द।

श्री मुकिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय चेयरमैन, कल राज्यपाल महोदय ने जो हाउस के अन्दर अपना भाषण पेश किया और उसके अन्दर राजस्थान सरकार के बारे में पंचवर्षीय योजना, शिक्षा, बिजली और दूसरे कामों के बारे में चर्चा की और उसमें बताया कि इतनी योजनायें सफल हुई, मैं माननीय चेयरमैन साहब के सामने उस भाषण का विरोध करता हूं और जितनी भी बातें इस भाषण में कहीं हैं वे सभी गलत मानता हूं और जिस तरह की योजना भारत में बनी और राजस्थान में बनीं, व योजनायें इस तरह की न बनकर दूसरी तरह की होनी चाहिये। आज बड़े से बड़े जो देश हैं, जो कि हिन्दुस्तान से बाहर के देश हैं उन्होंने भी यह माना है कि हमने इस तरह की योजना बना कर गलती की और हमारी योजनायें गलत साबित हुई, तो आज हिन्दुस्तान के अन्दर इस तरह की योजना बनाकर हम हिन्दुस्तान को खुशहाल नहीं बना सकते। आज हम लोग जो हाउस में बैठे हैं इन योजनाओं को, जो आज हिन्दुस्तान में चल रही हैं, उनको सही नहीं मान सकते और सफल योजनायें यह हों, ऐसा भी नहीं मान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सकते। मैं आप लोगों को इस पंचवर्षीय योजना के बारे में जो राज्यपाल ने बताया है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम सफल हुए तो मैं माननीय चेयरमैन साहब, आपको इस बारे में यह बता देना चाहता हूँ कि इस पंचवर्षीय योजना का तरीका यह होता कि आज पहले सारे तहसीलों और सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर और सारे राजस्थान के अन्दर सर्वे होना चाहिये था और सर्वे करवा कर यह बताना चाहिये था कि आज किस तहसील में, किस इलाके में किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है ? किस उद्योग की और किस धन्धे की कहां आवश्यकता है, इन चीजों का पहले सर्वे हो जाता तो उस सर्वे के मुताबिक ही सारी योजनायें बनतीं तो ये योजनायें सफल हो सकतीं थीं। लेकिन जब राजस्थान के एक भी विभाग का सर्वे नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी योजनायें सफल होंगी ? जिस प्रकार से हम आज तक काम करते आये हैं उससे हम कैसे अपनी इस पंचवर्षीय योजना को सफल बना सकते हैं ? यह भारत के अन्दर जो पंच वर्षीय योजना चल रही है वह पंच वर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो रही है और न होने पायेगी। जब तक कि पूरे हिन्दुस्तान के उद्योग, इन्डस्ट्रीज और जितने भी बाँध वगैरह का सर्वे नहीं होगा और उस सर्वे की रिपोर्ट आज आप लोगों के सामने, सरकारी ऑफिसरों के सामने, और मन्त्री महोदयों के सामने जब तक नहीं रखी जायेंगी तब तक हमारी पंच वर्षीय योजना सफल नहीं हो सकती। आज पंच वर्षीय योजना बनाने के पहले हमारे देश में यह सर्वे की योजना हो, उसके बाद ही हम पंच वर्षीय योजना में सफल हो सकते हैं और माननीय चेयरमैन महोदय, मैं उदाहरण के लिए यह बता सकता हूँ कि आज जो इतना बड़ा देश रशिया है उसके कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि जिस तरह से अमेरिका ने पंच वर्षीय योजना चलाई है उस तरह से हमने भी चलाई, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुये और आज जिस तरह की पंचवर्षीय योजना हम चलाना चाहते हैं वह नीचे से चलायेंगे और उसमें हम जरूर ही सफल होंगे। अब पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से अमेरिका और रशिया ने काम किया और उसमें सफल नहीं हुये तो मैं आज राजस्थान सरकार के अधिकारियों को और माननीय मुख्य मन्त्री को यह बताना चाहता हूं कि वह नीचे से पंचवर्षीय योजना को चलायें और इसके लिए राजस्थान के सभी विभागों का सर्वे करें। जितनी भी चीजें हैं वे सारी सर्वे करवा कर ही हम पंचवर्षीय योजना में आगे काम करें। इस प्रकार का नमूना अगर हम अपनी योजनाओं का जनता के सामने रखें तो हम अपनी योजनाओं में सफल हो सकते हैं। आप इस तरह की पंचवर्षीय योजना हमारे सामने लाकर यह दावा करते हैं कि हम पंचवर्षीय योजना में सफल होंगे, तो मैं भी आपको दावे के साथ यह बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी सफल नहीं होंगे। जब तक हम १७६ एम. एल. एज़, में जो यहां बैठे हैं, शक्ति नहीं है अपने देश पर कुर्बान होने की तब तक हम पंचवर्षीय योजना में सफल नहीं हो सकते हैं। हम आज किराए के लिए झूठे-झूठे बिल बनाकर यहां पेश कर देते हैं और वास्तव में जो हमें नहीं करना चाहिए वह हम करते हैं, यह बड़े शर्म की बात है।

(करतल-ध्वनि)

तो जब तक सरकार कामों को नीचे से नहीं

Page No.44

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लेगी तब तक हम पंचवर्षीय योजना में सफल नहीं हो सकते। जैसा कि आज रशिया का प्लान है और वे उसमें सफल भी हुए हैं, उसी प्रकार से यहां भी होना चाहिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : ओन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, सर,....

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान में सभी विभागों का सर्वे होना चाहिए और फिर यहां का बजट पेश किया जाय। राजस्थान में ब्लोक डेवलपमेन्ट खोले जा रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : ओन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,........

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं, बोलने क्यों नहीं देते ?

(हँसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि माननीय मेम्बर ने हाउस के सभी मेम्बरों के ऊपर आरोप लगाया है कि बिल झूंठे देते हैं। इनको ये शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं वापिस नहीं लूंगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह हाउस का अपमान है। मैं चेयरमैन महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इन शब्दों को वापिस लिवावें।

श्री सभापति : उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : सब मेम्बरों के लिए कहा है।

श्री सभापति : सबके लिए नहीं, कुछ के लिए कहा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय चेयरमेन, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि, ब्लॉक एरिया जो खुल रहे हैं.......

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : Does the Hon'ble Member think that the reference was made to him only.

श्री सभापति : NO, no. Not that.

श्री मुक्तिलाल मोदी : डेवलपमेन्ट ब्लॉक जहां जहां खुल रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ कहना है। हम विरोधी-दल के सदस्य जहां से चुनकर के आये है वहां यह ब्लॉक्स नहीं खोले गये और जहां जहां भी ब्लॉक एरिया खुले हुए हैं वे ऐसे स्थान पर हैं जहां से या तो मिनिस्टर लोग चुनकर आये हैं या कांग्रेस के एम० एल० एज०। हमारी राजस्थान सरकार को जितना भी डेवलपमेन्ट के लिए रुपया मिला है वह केवल उन्हीं इलाकों पर खर्च किया जाता है जहां कांग्रेस के लोग आये हों। अध्यक्ष महोदय (श्री सभापति), मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी में दो तीन तहसीलें ऐसी हैं जहां के लोगों ने एक रुपये की जगह सवा-रुपये का काम करके बताया है, जिसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल भी हो चुकी है, किन्तु वहां पर ब्लॉक डेवेलपमेन्ट एरिया नहीं खोला गया। ये ऐसी जगह खोले जाते हैं जहां पर कांग्रेसी एम० एल० ए० को जीतने की

Page No.45

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आशा होती है, या ऐसी जगह खोले जाते हैं जहां से जीत कर आने की आशा कम होती है वहां के लोगों को प्रलोभन देने की नीयत से भी ब्लॉक एरिया खोले जाते हैं। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि ब्लॉक डेवेलमेन्ट में कितना काम हुआ है, किस किस तहसील में कितना कितना काम हुआ है उसकी जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त करे और अपनी रिपोर्ट दे कि किस किस तहसील में कितना कितना काम हुआ है, कहां कहां की जनता कितने उत्साह से काम कर रही है? इन सारे दृष्टिकोणों से देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस जगह के लोग ज्यादा काम करने के लिए तैयार हों वहां डेवलपमेंट ब्लॉक खोले जांय। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिन इलाकों से कांग्रेस के लोग नहीं आ पाये हैं और उनकी जगह दूसरे दल के आदमी आ गये हैं अगर ऐसे एरियाज़ में डेवलपमेन्ट अधिकारी कोई ब्लॉक खोल देते हैं तो उनके खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके ट्रान्सफर के लिये मिनिस्टरों से मिलते हैं. उनके खिलाफ तहसील कांग्रेस कमेटियों में अर्जियां देते हैं और उनको डिसमिस करवाने की कोशिश करते हैं। मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि उसको सब इलाकों को एक नजर से देखना चाहिए। जब हमने कल शपथ ली थी, उस समय हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम ईमानदारी, जिस पद को ग्रहण करने वाले हैं उसके कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। लेकिन आज हम देखते क्या हैं कि जो सदस्य इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं वे काम कैसा करते हैं? माननीय चेयरमेन, इस हाउस के अन्दर ऐसे सदस्य हैं जो ट्रेवल तो किसी दर्जे में करते हैं और टी० ए० बिल पहली क्लास का बनाते हैं। अगर आज हाउस के अन्दर ऐसे लोग हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो ऐसे लोगों को यहां रहने नहीं देना चाहिये। अगर माननीय चेयरमेन, हम इस हाउस के अन्दर अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, तो हम यहां मुंह नहीं दिखायेंगे। आज हम देखते क्या हैं कि जिन इलाके से अपोजीशन के लोग आये हैं उन इलाकों में ब्लॉक एरिया नहीं, स्वास्थ्य के उचित प्रबन्ध नहीं, शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ब्लॉक्स की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त करे और उस कमेटी में विरोधी पक्ष से भी आदमी लें। चाहे आपकी तरफ से पांच आदमी लें तो हमारी तरफ से दो ही लें, लेकिन लें तो सही, ताकि वे सही जांच करके बता सकें।

२. ५—म० प०

दूसरी बात माननीय चेयरमेन, यह है कि इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर ७० प्रतिशत रुपया खर्च हुआ है, तीस प्रतिशत रुपया हम खर्च नहीं कर पाये। जब चेयरमेन महोदय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त फाइनेन्स कमीशन यहां आया था उसकी रिपोर्ट यह थी कि राजस्थान सरकार का रुपया लेप्स बहुत होता है। मेरे दिल्ली के अन्दर भी दोस्त हैं उनसे मेरी जब कभी बातचीत होती है, उनसे जब मैं मिलता रहता हूँ तो वे मुझे कहा करते हैं कि आप कैसे विधान सभा के सदस्य हैं जो आप यह नहीं कहते कि आपका जो रुपया लेप्स होता है वह क्यों होता है? चेयरमेन महोदय, मैं आपको बताऊँ इस बार भी करीब

Page No.46

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

४८ लाख रुपया शिक्षा के मद में लेप्स हुआ है। मुझे मालूम नहीं उसमें से कितना रुपया स्कूल में खर्च हुआ कितना भविष्य में होगा। इस बारे में मैं एक बात निवेदन कर दूँ। हमारी एक हाई स्कूल है जिसमें सब विषय पढ़ाये जाते हैं, उस संस्था को आठ हजार रुपया दिया गया था और उसके साथ यह कहा गया था कि फलां फलां फर्म से माल खरीद लिया जाय। उस फर्म के झूँठे बिल बनाकर ट्रेज़री से रुपया ड्रॉ कर लिया गया। वे बिल अभी मौजूद हैं। सरकार को चाहिए तो यह था कि हेड मास्टर जो स्कूल का गजटेड ऑफिसर होता है उसको रुपया दे दिया जाता और कह दिया जाता, जहां से आपको अच्छा जंचे वहां से माल खरीद लिया जाए और वाजिब दामों पर खरीद लिया जाय। अभी मुझे मालूम हुआ कि करीब ४० लाख रुपये की किताबें खरीदी गईं लेकिन पता नहीं उसमें से कितनी किस किस स्कूल को दी गईं।

योजना पर ७० लाख रुपया खर्च किया गया, उसमें, से मैं समझता हूं ४० प्रतिशत जनता के काम में आया और तीस प्रतिशत इधर उधर अधिकारियों के हाथ में: तो ऐसी हालत में माननीय चेयरमेन, मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने रुपये जिस स्कूल को दिए जांय उस गांव की एक कमेटी बना दी जाय और उन गांव वालों को अधिकार दिया जाय कि जहां से वे खरीदना चाहें खरीद लें।

स्वास्थ्य के बारे में मेरा यह निवेदन है कि मेडिकल विभाग की ओर से जितने भी औषधालय खोले गए वहाँ मैंने देखा एक जगह ऐसी है जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी अस्पताल है और गवर्नमेन्ट द्वारा भी औषधालय खोला गया है, लेकिन उसी तहसील के पास, जहां पचास हजार की पोपुलेशन है, वहां न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ही अस्पताल है और न गवर्नमेंट की डिस्पेन्सरी। मैं चेयरमेन महोदय, जयपुर डिवीजन की बात कह रहा हूँ। आज हमारे प्रांत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव भी नहीं हुए हैं, केवल बीकानेर और जयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुने हुए हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आधा रुपया जनता से टैक्स के रूप में प्राप्त होता है और आधा रुपया सरकार देती है उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुपये का पता नहीं, वह किस तरह से खर्च होता है। इनमें नोमीनेटेड आदमी रहते हैं, वे किसी भी सदस्य को कोई हिसाब बताते नहीं। कोई भी इस विषय में गौर नहीं करता कि जनता का रुपया किस प्रकार खर्च होता है? मैं स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे या तो इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का जल्दी से जल्दी चुनाव करायें या इन्हें भंग कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा या तहसील पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिया जाय कि वे इस पैसे को खर्च करें। चेयरमेन महोदय, मेरी तहसील के अन्दर ८-९ हजार जनसंख्या की एक पंचायत है उसके अन्दर जो मेम्बर हैं उनमें शिड्यूल कास्ट की तरफ से सरकार द्वारा नोमीनेटेड मेम्बर्स हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को म्युनिसिपैलिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में नोमीनेटेड मेम्बर्स रखने ही नहीं चाहिए, यह नोमीनेशन खतम होना चाहिए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारियों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिये, इस प्रकार का प्रोवीजन म्युनिसिपल एक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हमें रखना चाहिए।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

प्रोविजन कर दिया कि जो १०० रुपयों पर होगा उसका पी० एस० सी० द्वारा चुनाव होगा और उसके अधिकार जो सरकारी क्लर्क या अफसर के होंगे वही उसके भी माने जावेंगे। तो ऐसी हालत में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून बना है उसके अन्दर यह नहीं है। तो इसके अन्दर सरकार को अमेन्डमेन्ट लाना चाहिये।

दूसरी बात जो इसमें इन्सपेक्टर हैं, वैद्य हैं और जिन पर लांछन लगे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रक्खा है। ये इन्सपेक्टर इन वैद्यों और मास्टरों पर नाजायज दबाव डालकर चाहे जैसा अन्याय करने को तैयार रहते हैं और चुनाव के दिनों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वैद्यों और मास्टरों पर अनुचित दबाव डाला गया और उन्होंने एक दल विशेष के पक्ष में खुले आम प्रचार किया और प्रचार करने से मतलब क्या हुआ, आज राजस्थान में कोई सरकार नहीं है और राजस्थान में इस तरह का वातावरण पैदा हुआ। मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मास्टर, वैद्य और इन्सपेक्टर खुले आम जाकर प्रचार करते हैं कि कांग्रेस को वोट दो और फलां को वोट दो। तो यह क्या तरीका है ? जब राजस्थान सरकार इतना रुपया इन पर खर्च करती है तो इन बातों की तरफ सरकार को क्यों नहीं देखना चाहिये ? मैं बताऊं मेरी कान्स्टीटुयएन्सी में लखनलाल वैद्य ने खुले आम प्रचार किया और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। उन्होंने खुले आम मास्टरों पर दबाव डलवाया। इस वैद्य ने झूठे तरीके पर फॉर्म भरा, झूठे पर्चे दूसरों से बनवाये और अपना नाम उसमें लिखवाया और कांग्रेस के नाम में प्लेज भरा और लालबहादुर शास्त्री ने नोट भी लगाया। तो ऐसे आदमी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सर्विस करते हैं, यह कितनी लज्जा वाली बात है राजस्थान सरकार के लिये।

('शेम शेम' की आवाज)

इस तरह की पचासों बातें हैं। मैं कहां कहां तक उनको गिनाऊं ? राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह इन सारी बातों को देखे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बजट की जांच भी करवाया करे। वह देखे कि कौन आदमी इसमें कैसा है और किस तरह से काम करता है। पर यह सरकार नहीं देख पाती। आज जयपुर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इनके सामने पड़ा है। सरकार नहीं देखना चाहती। नोमिनेटेड पड़ा है।

मैं यह भी कहूँ चेयरमैन महोदय, कि एक चेयरमेन जिसने कि एक लाख और कई हजार का गबन किया और भारत सरकार की तरफ से इन्क्वायरी हुई पर राजस्थान सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं किया। उसकी जगह आज मेरे जैसा आदमी होता तो मेरा तो गला ही काट देते।

(हंसी)

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : फांसी तो नहीं होती ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : फांसी में भी तो गला ही कटता है। तो माननीय चेयरमैन, आज राजस्थान में क्या २ होता है यह अगर देखा जावे तो बहुत कुछ गिनाया जा सकता है। ४४ हजार के कम्प्रेसर्स में से २८ हजार के ही आकर रह गये। बाकी का क्या हुआ, पता ही नहीं। ऐसी ऐसी एक क्या अनेकों

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बातें हैं। पर सरकार का इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है क्योंकि वे एक कांग्रेस के आदमी हैं, पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं। थोडी इलेक्शन में भाग-दौड़ कर ली होगी, किसी की खुशामद कर ली होगी, उधर बैठने वाले किसी माननीय सदस्य की या मिनिस्टर महोदय की या कांग्रेस के महामन्त्री या दूसरे किसी लीडर की खुशामद कर ली होगी। इसलिये ये सारी चीजें होती हैं। तो इसका क्या मतलब है? मैं बताना नहीं चाहता सदन में। मेरे पर एक आदमी ने दावा किया, उसमें चीफ मिनिस्टर गवाही देकर आये। पर गवाही सही देकर आये। मैं आज किसी भी पोजीशन में होऊं इसका उन्होंने ख्याल नहीं किया और सही सही बात कही। झूठी गवाही नहीं देकर आये। यह जरूर अच्छी बात है।

श्री चन्दनमल वैद : आपकी तारीफ कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : धन्यवाद है आपको और उनको।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो बात हुई। थी वह सही कह कर आये थे। तो ऐसा है कि राजस्थान सरकार जो कुछ करती है वह यह नहीं कि नहीं करती है परन्तु जितना करना चाहिये उतना नहीं करती है।

मैं खादी के बारे में भी अर्ज करूं। खादी के बारे में अगर सरकार पूरा पूरा ध्यान दे तो बहुत उन्नति हो सकती है। पर आज ये जो छोटी छोटी बहुत सी अलग अलग संस्थाएं खोल दी हैं, जैसे कृष्ण भंडार है, खादी भंडार है, ग्रामोद्योग भंडार है या दूसरे दूसरे नाम से भंडार हैं, तो इसका मैं इसलिये विरोध करता हूं कि एक ही चीज अगर सारे राजस्थान में हो तो उस पर कन्ट्रोल आसानी से रक्खा जा सकता है और काम भी अच्छा हो सकता है। यहां के जो खादी के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं और जो बहुत अर्से तक गांधीजी के शिष्य रहे हैं इन्द्राणी जी उनसे भी मैंने यह निवेदन किया था। खादी का काम एक सूत्र में, एक नियन्त्रण में हो तो इससे खादी की अधिक वृद्धि होगी और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी फरमाया था कि वे भी पूरी मदद इसमें करेंगे। पर इसमें सतर्क बहुत रहना है। मैं बताऊं शाहपुरा खादी संघ है उसके बीस हजार रुपयों का अभी तक कोई हिसाब ही नहीं। तो राजस्थान सरकार की तरफ से इसके लिये एक जांच विभाग भी होना चाहिये। इसमें काम करने वालों को पोलिटिक्स में भी भाग नहीं लेने देना चाहिये। मैं अर्ज करूं वे आम प्रचार करते हैं। करें, भले ही करें पर कांग्रेस को तो वोट दिलावें। मेरे को नहीं दिलावें न सही पर कांग्रेस को भी नहीं दिलावें, और जो आदमी शराब पीता है, शराब पिलाता है उनका साथ तो नहीं देना चाहिये। जो शराब पीकर, पिलाकर जनता पर नाजायज कार्यवाही करना चाहते हैं उनका उन लोगों ने साथ दिया। इस तरह की एक गुट्टबन्दी थी हमारे इलाके में, जातवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में जाट भी वैसे ही मेरे सिर पर हैं जैसे अहीर और गूजर, बनिये और ब्राह्मण। सभी मेरे सिर पर हैं। मैं उनके जूते उठाकर सिर पर रखने को हमेशा तैयार रहता हूं।

(हंसी)

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तो वैसी हालत में अगर वे लोग कोशिश भी करें तो यह चीज रहने नहीं दूंगा और मैं ऊपर के माननीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी इस चीज को हर एरिया में न फिरायें। और इस तरह का चुनाव हुआ, मैंने अलग खड़े हुए तो उसके लिए भी मेरा खुद का विरोध है ? इस हाउस के अन्दर कि ऐसा नहीं होना चाहिए । लेकिन यह हुआ और भारत सरकार के लोगों ने और राजस्थान के लोगों ने रिपोर्ट दी जो गलत थी। जातिवाद फैला, एक चीज में आया तो फिर दूसरी चीज में और फिर तीसरी चीज में। अगर यह चीज नहीं होती तो दूसरे लोगों में यह चीज नहीं होती। यह राजस्थान के अन्दर हुआ, गलत हुआ और जिसके कारण गलत आदमी आये । जिन लोगों को रोटी की परेशानी है उनको दिक्कत हो गई और वे यह समझने लग गये कि राजस्थान में जातिवाद फैल जायगा, कल जाटवाद फैला तो परसों बनियावाद और फिर ब्राह्मण वाद फैलेगा, फिर तीसरा फैलेगा; तो फिर इस राजस्थान में हमारे जैसे आदमी रह ही नहीं सकते जिसका अन्न पानी का ठिकाना नहीं है।

('२५० रुपये मिलते हैं' ऐसी आवाज)

२५०) मिलता है वह तो ऐसे ही चला जाता है।

खादी के बारे में कह रहा था कि राजस्थान सरकार के मेडीकल, पुलिस, जेल और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट हैं जिनके अन्दर काफी खादी काम में लाई जा सकती है, तो उसके लिए माननीय उद्योग मंत्री जी साहब ऑर्डर करेंगे कि पूरी तरह से वहां काम में लायी जाय और मिल का कपड़ा न लें। राजस्थान में यहां खादी का पहला केन्द्र है और यहां खादी का जितना उत्पादन होता है वहाँ दूसरे प्रान्तों में कम होता है। राजस्थान सरकार को चाहिये कि खादी के लिये जो छोटी छोटी संस्थायें बनी हुई हैं, राजस्थान सरकार का बोर्ड बना हुआ है, उन छोटी छोटी संस्थाओं को अलग हटा दे क्योंकि उनमें वहां लोगों पर हुकूमत कर काम लेते हैं । समाजवाद यहाँ लाना है उनको अलग कर दें और एक संस्था बना दें और रुपये की आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार से लिखा-पढ़ी कर इस योजना को उनको बतायें और इस योजना के बारे में वह कहें कि यह खादी की योजना है और इससे लोगों की उन्नति हो सकती है। भारत सरकार इस पर ध्यान दे सकती है, इसको आगे बढ़ाना चाहिये।

ऊन के बारे में यह कहूं कि जैसलमेर और बीकानेर के हिस्से में ज्यादा ऊन पैदा होती है और वहां पर छोटे छोटे आदमियों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर पैसा देना चाहिये, बड़े आदमियों को पैसा देने से कोई लाभ नहीं होगा। बड़े आदमियों को पैसा दिया, जयपुर स्पिनिंग मिल्स है, पचास लाख रुपया राजस्थान सरकार का बाकी है और उसके शेयर की कीमत क्या है, शेयर का भाव सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। जहां १००) का शेयर है उसका भाव है ३०) और ३०) में भी उसको कोई लेनेके लिये तैयार नहीं। इस प्रकार पचास लाख रुपया दे दिया; रामनाथ जी पोद्दार की वह मिल है। राजस्थान सरकार की यह हिम्मत नहीं है कि रामनाथ जी पोद्दार को यह कहें कि कितना प्रोफिट हुआ, कितना लौस हुआ, कितनी आमदनी बढ़ी और

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आमदनी बढ़ाने का क्या प्रयत्न करते हैं। खुद का रुपया कम है, शेयर के हैं और राजस्थान सरकार के रुपये हैं, अपने अपने आदमियों को बनाकर घर किया, गोल मटोल किया कि पता नहीं चलता। शेयर १००) का भाव ३०), तो ऐसे मिल को रखने से क्या फायदा है? रामनाथ जी पोद्दार ने खरीद रखे हैं, गरीब आदमियों की मीटिंग नहीं बुलाते, डाइरेक्टरों से कन्सल्ट नहीं करते, उनकी मीटिंग बुलाते नहीं, ऐसी हालत में राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह मिल रामनाथजी पोद्दार से हटा लेनी चाहिये और अपने हाथ में लेकर राजस्थान सरकार को कमेटी बिठाकर उसको चलानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सिमेन्ट कारखाने के बारे में ७० लाख रुपया दिया गया था सवाई-माधोपुर सिमेन्ट फैक्ट्री को। ७० लाख के अलावा राजस्थान सरकार ने और दिया है परन्तु राजस्थान सरकार के रोयल्टी के पांच लाख हो गये हैं। अगर राजस्थान सरकार लाइमस्टोन रोयल्टी पर देती और अगर राजस्थान सरकार का हिस्सा नहीं होता तो पांच लाख रोयल्टी के मिल जाते। राजस्थान सरकार ने कितनी फेसीलिटीज़ दीं, जयपुर गवर्नमेन्ट ने कितनी फेसिलिटीज़ दीं, इसका पता नहीं। किन्तु ७० लाख रुपया दिया उसका बजट में ब्याज का प्रोविजन नहीं बताया, ब्याज भी ६ आना से ८ आना हो गया। उसके बाद भी और रुपया दे दिया। अरे भाई, एक बार चोर चोरी करेगा तो क्या उस चोर को भी दुबारा घर में घुसने देंगे? मैं आपके घर में अगर एक बार चोरी करूं तो दूसरी दफा कौन घुसने देगा? ७० लाख रुपया दिया फिर और देते हैं, यह राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं। राजस्थान सरकार सोचे, हमारी लाइमस्टोन फेसीलिटीज़ गयीं, ब्याज गया, मैं यह बता देना चाहता हूं कि ब्लेक मार्केट से कितने ही टन सिमेन्ट अलग से बेचते हैं। एक मेरे दोस्त का कहना है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ओफिसर हैं, यह हुआ कि चार हजार टन जब देंगे जब आप दो हजार टन के लिये वैगन का इन्तजाम कर देंगे। उस आदमी ने इन्तजाम किया तब चार हजार टन सिमेन्ट मिला और दो हजार टन सिमेन्ट का ब्लेक मार्केट किया। यह है इसका सार और उनको पचास-पचास हजार रुपया, एक एक लाख रुपया दे देते हैं, जो एजेन्ट बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट के, जयपुर, जोधपुर के, उनसे अलग ले रखे हैं डालमियांजी साहब ने, उनसे कमीशन कमाते हैं, ऐसी हालत में कैसे इस आदमी का विश्वास करती है राजस्थान सरकार? वे पहले ही दो आना, चार आना मन एक बोरी पर ज्यादा चढ़ाते हैं उसके बारे में हाउस में बहुत कहा था लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब मेरे एक दोस्त थे श्री श्रीदासजी गोयल, वे बार बार इसको घिसा करते थे उनका भी न मालूम किसने मुंह बंद कर दिया जो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया। तो यह हालत है राजस्थान के उद्योग के बारे में, माइनिंग इन्डस्ट्री के बारे में। फोरेस्ट इन्डस्ट्री के बारे में सर्वे करना चाहिये। जब सर्वे नहीं होगा तो आप ही क्यों भूल मानेंगे, इसमें भूल माननी चाहिए थी। लेकिन जब रशिया के लोगों ने कहा कि पंचवर्षीय योजना बनाई उसमें कई गलतियां हुई हैं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पीछे से उन्होंने कहा कि हम अब की फिर बना रहे हैं जो नीचे से बना रहे हैं। वह सारा नक्शा आपके सामने आ जायगा, कहां कूए खुदाने हैं, कहां हाई स्कूल बनाने हैं, कहां कॉलेज बनाने हैं, कहां फोरेस्ट का एरिया रखना है, कहां माइनिंग उद्योग खोलना है, यह सब उसमें होगा लेकिन जब तक सर्वे नहीं करेंगे तब तक पूरा पता नहीं चल सकता। यदि सर्वे नहीं करते हैं तो पटवारियों, तहसीलदारों आदि से राय मांग लेते तो आपके सामने नया नक्शा पैदा होता।

जहां आपने मल्टीपरपज़ हाई स्कूल खोली वहां कहीं पर २०० लड़के हैं तो कहीं पर १०० या उससे कम लड़के हैं और बिल्डिंग्ज़ आदि पर तीन तीन लाख रुपये खर्च किये वे सब व्यर्थ गये, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के तो हैं ही नहीं। लेकिन जहां ३००-४०० लड़के हैं और आस-पास २०--३० मील का एरिया लगता है वहां पर जरूरत होने पर भी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं खोलते हैं। हमारी तहसील में, अमरसर में, मैंने २ लाख रुपये पब्लिक से डोनेशन के रूप में लेकर खर्च किये। मनोहरपुरा, शाहपुरा में पब्लिक से सहायता ली, कुछ डेवलपमेन्ट संगे से भी रुपये मिले हैं उससे काम किया, लेकिन वहां एक भी सेकन्ड्री स्कूल नहीं है; श्री माधोपुर, दांता, नीम का थाना आदि का भी यही हाल है। ऐसी हालत में जहां चार-पांच, सात-सात स्कूलें एक ही तहसील में हैं वहाँ और खोली जा रही हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा? कोई हम लोगों की तरफ देखे तो सही। हम लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोग भी आपके ही आदमी हैं। मनुष्य आप भी हैं, हम भी हैं। काम करोगे तो हमारी आत्मा आशीष देगी, आखिर मनुष्य हम भी हैं। राजस्थान सरकार को सब ओर देखना चाहिये। जहां अच्छा काम है, जनता पैसा देती है, लोग काम करने को तैयार हैं वहां काम करना चाहिये। इससे राजस्थान की ही उन्नति नहीं होगी बल्कि भारत की भी उन्नति होगी। दूसरे देशों से आने वाले लोग कहेंगे कि वहां कुछ काम किया गया है, नहीं तो वे लोग कहेंगे कि कोई इन्ट्रेस्ट लेने वाला नहीं है और एक पैसे की जगह दो पैसे भी खर्च होंगे।

पंचायतों के लिये भी अर्ज किया गया है। बिजली के लिये जितने रुपये रखे हैं उनमें भी काफी काम हो सकता है। भाखरा बांध के लिये यह कहा गया था कि वह सन् ५७ तक बनकर तैयार हो जायगा और यह भी कहा गया था कि चंबल का बांध भी तैयार हो जायगा, लेकिन ये पूरे हुए नहीं। बिजली के लिये हालांकि ५ लाख रुपये सेंक्शन किये जाते हैं, लेकिन सेंक्शन करने से क्या होगा, जब कि पब्लिक की मांग पूरी नहीं होती? जयपुर में देखते हैं तो वहां भी पब्लिक की मांग पूरी नहीं हुई तो दूसरी जगह तो रुपये खर्च होकर भी होगी या नहीं? जहां पर सारे ओफिसेज़ हैं, एम० एल० एज़ आते हैं, सेन्टर के भी ओफिसेज़ हैं फिर भी यहां बिजली का इन्तजाम पूरा नहीं हुआ। यहां पर गटर की भी यही दशा है। राजस्थान सरकार केपिटल में भी पूरा इन्तजाम नहीं कर सकती तो दूसरी जगह तो क्या कर सकती

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

है ? आज यहां की म्युनिसिपेलिटी की वही हालत है जो जयपुर रियासत के जमाने में थी, उसमें कोई चेन्ज नहीं आया है। थोड़ा बहुत तो चेन्ज होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है । मैं माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कम से कम यह तो ध्यान रखें कि जहां आप रहते हैं वहां तो पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखें । जितनी गंदगी जयपुरमें है उतनी शायद ही कहीं होगी ।

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : पूरा कीजिये मुक्तिलालजी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी: जल्दी ही खत्म करता हूँ । भ्रष्टाचार के बारे में एक बात और कहनी है । माननीय चेयरमेन, यह सबसे मोटा पोइन्ट है । मैं यह मानकर चलता हूँ कि हर आदमी, हर एम. एल. ए., हर तहसील का आदमी, हर ग्राम पंचायत का मेम्बर शपथ लेता है ईश्वर की और काम करता है । यदि वे लोग सारे के सारे यह सोच लें कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये तो मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार राजस्थान में ही क्या सारे हिन्दुस्तान में नहीं होगा । लेकिन भ्रष्टाचार फैलाने वाले हम ही लोग हैं । मैं भी उनमें से हूँ, अलग नहीं हूँ, मैं भी सिफारिश करता हूँ, चोरी नहीं करता हूं, लेकिन सिफारिश करता हूं तो वह भी भ्रष्टाचार हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य: चोरी करते हैं क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : चोरी नहीं करता हूं लेकिन किसी की नौकरी लगानी है तो हाथ पांव जोड़ता हूं । दूसरे आदमी पर कुठाराघात है । तो हर आदमी, हर एम. एल. ए. आदि यह विचार ले कि भ्रष्टाचार को रोकना है और टेलीफोन ऑफिसरों को नहीं करें, टेलीफोन प्रेक्टिस छोड़ दें तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है । जो सदस्य रूस नहीं गये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां भी एम.एल.एज्. हैं, पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं, पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें हैं, और म्युनिसिपेलिटीज़ हैं; डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं हैं लेकिन वहां पर टेलीफोन प्रेक्टिस नहीं है, सिफारिश की प्रेक्टिस नहीं है और दूसरी बात यह है कि वे खुद सोचते हैं कि देश हमारा है क्योंकि हम इसमें पैदा हुए हैं; किसी मिनिस्टर, एम.एल.ए., सरपंच या पंच का ही नहीं है । हर आदमी और एम. एल. ए. सोचता है कि देश की उन्नति नहीं करेंगे तो हमको कौन पूछेगा ? इसलिये सब देश की उन्नति करने में लगते हैं । किसी काम के लिये ५ लाख रुपये रखते हैं तो उसमें २० लाख रुपयों का काम होता है । ५ लाख की जगह ५ लाख ही खर्च करें तो भी २० लाख रुपयों जितना काम हो जाता है । आज हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का ढाँचा बना हुआ है, आज राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए हम पुलिस वालों को कहते हैं । पुलिस वालों की सिफारिश कौन करता है ? एम. एल. ए. नाराज तो होंगे , लेकिन हम लोग ही सिफारिश करते हैं, हम लोग सिफारिश करते हैं थानेदार की, मुंसिफ की, माननीय चेयरमेन, हम लोग ही सिफारिश करते हैं । लेकिन पुलिस वाले बदनाम होते हैं । पुलिस वालों को तनख्वाह सबसे ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मौत का कुठाराघात इनके ऊपर ही होती है, ये लोग ही मौत के सामने आते हैं । कोई और नहीं मरता है, पुलिस वाले ही मरते हैं । इनकी

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ज्यादा तनख्वाह हो, भले ही हमारी तनख्वाह २०० से घटाकर १०० रु० कर दी जाय।

(करतल-ध्वनि)

हम इस बात को मंजूर करते हैं। आप इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए क्योंकि पुलिस वालों के एक आदमी के ८ बच्चे होते हैं और इनकी तनख्वाह होती है ४१ या ५०१; आजकल बच्चों की पैदा भी ज्यादा होने लगी है

(हँसी)

ऐसी हालत में पुलिस वालों की, सी. आई. डी. वालों की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, यह मेरी रिक्वेस्ट है।

इसके अलावा इनकी सीनियॉरिटी का सवाल है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजा जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो इनकी सीनियॉरिटी तय करती है, उससे ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। जब ६० रुपये के ऊपर पाने वालों का पब्लिक सर्विस कमीशन इन्टरव्यू करता है तब थानेदार को, जिसको १२५ रुपया मिलता है और सब इन्सपेक्टर को, हैड कान्सटेबल को ७५ रुपया मिलता है, इनकी सिनीयारिटी एक कमेटी बनाकर क्यों तय करते हैं ? वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होना चाहिए। ऐसी हालत में, चेयरमैन महोदय, इनकी सीनियॉरिटी पब्लिक सर्विस कमीशन तय करे, इनका इन्टरव्यू वही ले। थानेदार जो नये लिये जायं उनके बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन तय करे क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है जनता का, हर आफिसर का और सारे लोगों का; ऐसी हालत में उनकी सीनियॉरिटी कमेटी बना कर तय की जाती है वह गलत है।

राजस्थान में पांच मिनिस्टरी बदल चुकी हैं और यह छठी मिनिस्टरी आई है लेकिन एक प्रश्न तय नहीं हुआ है। यहाँ पर जूआ होता है, उसके लिए सरकार कोई कानून बना दे। राजस्थान सरकार में अच्छे आदमी हैं और बुरे आदमी भी हैं। यहाँ दो चार आदमियों को पकड़ लेते हैं और उनसे पैसा लेकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर फीचर होता है उसके लिये लोगों को लाइसेंस सरकार दे दे और एक जगह दे दे। ये लोग भागते हैं, दौड़ते हैं; कभी एक गली में और कभी दूसरी गली में और रात के बारह बजे तक यह हालत रहती है। मैं समझता हूँ कि इनको लाइसेंस दे दिया जाय और एक जगह बता दी जाय कि यहां पर जूआ हो।

मैं यहां पर सरकार से जो भी चीजें कह रहा हूँ, उसमें एक भी गलत हो तो मुझसे कह दें कि यह बात झूठी कह रहा हूं। मैंने जो भी बताया वह सही सही बताया है, आत्मा से वह बातें बतायी हैं। अगर राजस्थान सरकार बदनाम होती है तो हम भी बदनाम होते हैं क्योंकि हम एम. एल. एज़. भी चुनकर आये हैं, ये नहीं कि मिनिस्टर जो कुर्सी पर बैठते हैं वे ही बदनाम होते हैं। वे भी वोट मांगकर यहाँ आते है और हम भी वोट मांगते हैं। लोग हम से भी कहते हैं, गालियां सुनाते हैं। ये सब बातें मैंने सही बताई हैं। इसलिए जूए का भी कुछ इन्तजाम होना चाहिये, कोई कानून बनाना चाहिये। अब राजस्थान सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है, इससे लोग बहुत परेशान होते हैं और उससे रिश्वतखोरी ज्यादा फैलती है। अगर सरकार रिश्वतखोरी को मिटाना

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चाहती है तो जितनी बातें मैंने बताई हैं सड़कों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, उस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

डिस्ट्रिक्ट बैराठ के अन्दर, आपको ताज्जुब होगा कि कुछ गांव ऐसे हैं, कोटपुतली तहसील में, जैसे बैराठ आदि, जो कि तोरावाटी पुलिस से बँधे हुये हैं । इस तहसील में ३०, ४० ऐसे हैं, कांपरा आदि, जिनके मुकदमें तोरावाटी में होते हैं। इससे आदमी इधर उधर फिरते रहते हैं।

(घंटी)

चेयरमेन साहब, यह पचास गांवों की बात है·······

श्री सभापति : पचास गांव की बात जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : पांच वर्ष में तय नहीं हुआ, तब यह चीज कह रहा हूँ । मैंने सोचा अभी तय हो जाय, अभी तय हो जाय लेकिन तय नहीं किया जा रहा है, तब क्या करूं ?

तो मैं कह रहा था कि उनके मुकदमे तोरावाटी निजामत में लेते हैं। एस. डी.ओ. साहब तो उस तहसील में रहते हैं। ऐसा कहीं दुनिया में होता नहीं। ऐसा अन्याय तहसील बैराठ के साथ क्यों किया जा रहा है? मुकदमें में ६ दिन लग जाते हैं । अब नई सरकार बनी है तो वह कम से कम सामुहिक चीज, सामुहिक भलाई, के कामों को देखकर ऐसा इन्तजाम करे तो पांच छः वर्ष में उन्नति होगी। अगर नही करेंगे तो हम अपोजीशन में बैठने वाले जो हैं वे कहेंगे और यहीं रहेंगे, हमें यहां से बाहर निकालने वाला कोई नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार को कम से कम समानता का व्यवहार करना चाहिये। अगर अपोजीशन नहीं होगा और आप लोग ही होंगे तो अभी तो कम लड़ते हो, फिर ज्यादा लड़ोगे। ऐसी हालत में राज्यपाल जी ने जो भाषण दिया उसका तो मैं इसलिये विरोध करूंगा क्योंकि उन्होंने बैराठ तहसील के लिए कुछ नहीं कहा ; वैसे मैं उसका समर्थन कर दूंगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का इस सदन में जो कल भाषण हुआ है उसके प्रति आभार प्रगट करने के चिन्ह स्वरूप हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक भाषण का सवाल है उसमें हमारी सरकार की नीति तथा हमारी सरकार की प्रशासनिक नीति को स्थिति शब्दों के रूप में भाषण में लिखी गई है; वास्तव में इसके आधार पर हमारे प्रान्त का भविष्य निर्भर है और जो योजना इसके अन्दर बताई गई है उन सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है। मै आपका ध्यान राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा सात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अन्दर लिखा हुआ है :

"पहले ६ महीनों में वास्तविक रूप से ६—७ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और पिछले तीन महीनों में हुए खर्चे को मिला कर कुल १३.६२ करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है।"

पहले ६ महीनों में चुनाव वातावरण बना रहे थे। चुनाव योजना पूर्ण हो गई, उसके बाद यहां ७.२२ करोड़ चुनाव के जोर में खर्च किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चुनाव को इन्फ्लुएन्स करने के लिये हमारी योजनाओं का स्वरूप बनता है। योजनाओं के लिए, जैसा कि मुक्तिलाल जी मोदी ने कहा, कि वे नीचे से प्रारम्भ न होकर ऊपर से आती हैं, जन साधारण का ख्याल न करके वे स्वयं का ख्याल करते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूं। राज्यपाल ने यह स्वीकार किया है कि बिजली लाइन डालने में जितनी आशा थी उतनी सफलता प्राप्त नहीं की। मैं एक और उदाहरण आपके सामने उपस्थित करूं कि हमारे सीकर के अन्दर दो इन्जीनियर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। दफ्तर से चार-पांच कागजात आते हैं, वे उन पर दस्तखत कर देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार ने हमें क्यों भेजा है, हम क्यों यहां आये हैं, हमको पता नहीं ? कुछ दिनों से वे कलेक्टर की जीप लेते हैं और घूम आते हैं। आस पास के जिलों का दौरा कर आते हैं और रिपोर्ट बना आते हैं और भेज आते हैं। डेढ़ साल से न वहाँ बिजली के खम्भे लगे हैं और न भाखरा से बिजली लाने की योजना बनी है और इस तरह हजारों रुपया सरकार का, वर्तमान शासक दल है उसका नहीं, राजस्थान के लाखों लोग जो टेक्स देते हैं, उनका रुपया है, उसको बर्बाद किया जा रहा है और यह एक जबरदस्त सुबूत है योजना का या योजना के अंग का कि किस प्रकार की योजना सरकार ने बनाई है ! अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि सड़कों के निर्माण में बड़ी अच्छी प्रगति की है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सीकर से जयपुर सड़क आती है उसकी तरफ। जयपुर से रींगस की सड़क, पिछले चुनाव हुए उसके तुरन्त बाद बन गई, उसके बाद दांता-रामगढ़ सड़क जाती है, वहां से जन-संघ का उम्मीदवार जीता इसलिए उसको बन्द कर दिया। अभी भी वह टुकड़ा मुंह बाये सरकार की ओर देख रहा है कि कब मेरा नम्बर आये और कब कंकरीट पत्थर गिरें। सीकर से सारथल की तरफ सड़क बननी थी, वहाँ से भी किसान सभा का उम्मीदवार जीता इसलिए वह टुकड़ा भी पड़ा है। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया है। सीकर से हरस रोड़ जाती है, यह पिछले सीकर के ठिकानेदार रावराजा माधोसिंहजी की तरफ से बनी। जब से ठिकाना मर्ज हुआ वह सड़क पी. डब्ल्यू. डी. के नीचे आ गई। कई दिनों तक तो यह रहा कि यह किसके अन्दर में है, इसलिए मरम्मत नहीं हुई पर जब ठिकाना मर्ज हो गया तो राजस्थान सरकार को इस सड़क को अपने हाथों में लेना चाहिये, पर वह इसी प्रकार पड़ी हुई है। ठिकाने के समय में जो मरम्मत हुई थी तब से अब तक कोई मरम्मत नहीं हुई है।

तो यह पंच वर्षीय योजना के अन्दर काम करने का तरीका है ! इसके साथ ही राजस्थान जल बोर्ड और भारत सेवक समाज के अन्तर्गत काम होते हैं। राजस्थान जल-बोर्ड का नाम कांग्रेस-जल-बोर्ड रख दिया जाय तो भी वह ठीक होगा क्योंकि इसका एक एक सदस्य कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है। क्या प्रांत में दूसरे कार्यकर्ता हैं ही नहीं, जिनको मन से इस प्रकार की लगन हो कि हम काम करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे ? इसी तरह भारत सेवक समाज के सक्रिय कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा हैं जो पिछले साल राजस्थान भारत सेवक समाज के प्रेसीडेन्ट थे, व अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेसी हैं। अगर यही

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

रखा जायगा तो हम लोग तो इस योजना के समीप तक नहीं पहुँच सकते । इस योजना के राजस्थान में प्रमुख नायक सेठ सोडाणी हैं जिनके बारे में सीकर के मजिस्ट्रेट ने एक फैसला दिया है कि एकाउन्ट के बारे में किस प्रकार की गड़बड़ी कर सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है उसका हिसाब किस प्रकार रखते हैं और उन्होंने जिस प्रकार की अनैतिकता, अप्रमाणिकता का सुबूत दिया उसके फलस्वरूप ३५१ रुपयों का जुर्माना उन पर हुआ; इसकी खबर लोकवाणी और राष्ट्रदूत में निकली है । मुख्य मंत्रीजी ने भी वह खबर जरूर पढ़ी होगी, जिन पर एकाउन्ट्स रखने के सम्बन्ध में ३५१ रुपया जुर्माना हो सकता है । जहां लाखों करोड़ों रुपयों की योजना जल-बोर्ड के अन्दर बनती है वहां कितनी गड़बड़ी हुई होगी ? मैं राजस्थान सरकार से प्रार्थना करता हूं कि एक जांच कमेटी इसके एकाउन्ट्स के लिए बिठायें कि किस प्रकार की गडबड़ी हुई है ? अगर जांच की जाय तो लाखों रूपयों का गबन निश्चित रूप से इस योजना में पकड़ा जायगा !

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो श्रीमान् राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें गौ-वंश के विकास के लिये जो हमारा गौ-धन है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है । गोपाष्टमी आती है, वहां गौ-सप्ताह मनाया जाता है, पर जहां काम का नाम आता है कोई काम नहीं किया जाता । गौ-देश के विकास के लिए, गौ-निकासी बन्द करने के लिए, अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं आता । जहां गौचर भूमि का प्रश्न आता है तो सरकार की ओर से जान बूझ कर यह प्रश्न किया जाता है कि उसे टाला जाय । कानून तो यह है कि ४६ से पहले भी किसी ने कब्जा कर लिया हो तो उसको हटाया जाय पर उसके बाद में कलक्टर के तरफ से इस प्रकार का आर्डर दिया गया है, रिटन ओर्डर दिया गया है कि गौचर में से भूमि न दी जाय परन्तु रेवेन्यु मिनिस्टर की ओर से १५ बीघा जमीन गौचर में से दी गई है ।

सीकर गौचर भूमि का जो यह सवाल है मुख्य मंत्री ने दौरा किया, सीकर में एक तालाब भी है, दो लाख रुपये की लागत का तालाब है, मुख्य मंत्री जी ने उसे देखकर बताया था कि इस तालाब को बचाना चाहिए और उन्होने स्पष्ट रूप से कलेक्टर साहब को आदेश दिये थे कि इस तालाब के चारों ओर जो भूमि है, उसमें से जिनको राजस्थान सरकार द्वारा किसी तरीके से दिला दी गई है वह वापिस ली जाय । सार्वजनिक सभा में भी उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि दोनों पक्षों को जन-हित में बात होनी चाहिये, वही होनी चाहिए : कलेक्टर साहब का हक में फैसला हुआ पर जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट ने उल्टा फैसला दिया और जान-बूझ कर राजस्थान सरकार ने उसे सरेन्डर किया, जान-बूझ कर अच्छी तरह से पैरवी नहीं की और फैसला जनता के हक के विरोध में हो गया और यह गोचर भूमि का प्रश्न वहीं पडा हुआ है ।

इसी प्रकार पिछले सदन में गौ-निकासी को बन्द करने के बारे में प्रश्न था गजट में हमने देखा था कि जिलाधीश गौ-निकासी के बारे में कोई ऑर्डर नहीं देते पर राजस्थान का गौ-धन निरन्तर बम्बई और पाकिस्तान में बध होने के लिए जाता है । पिछले सदन में इस सम्बन्ध में आवाज उठाई गई थी और एक समिति बिठाई गई । उस समिति का

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्या हुआ यह सदन के नेता ही जान सकते हैं कि वह समिति कागजों में है या हृदयों में है। इसके बाद एक और गौचर भूमि का उदाहरण देना चाहता हूँ। तालाब की जो ज़मीन है वह झगड़े की जमीन है, पर दूसरी जमीन गौचर-भूमि की थी उसको जान-बूझ कर सरकार द्वारा आदेश दिला कर कमलनयन बजाज के नौकर चंदर को दिलाना चाहा पर उस समय सीकर के कलेक्टर सुरेन्द्रसिंह जी ने, जो कि अब कोटा में कलेक्टर हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे नहीं देंगे। मन्त्री आये, मुख्य मन्त्रीजी आये, सब ने सुरेन्द्रसिंहजी को दबाया पर उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा। यह सब जानते हैं। सुरेन्द्रसिंहजी का ट्रान्सफर कर दिया गया। दूसरे कलेक्टर साहब जाते हैं और जाते ही ६० बीघा जमीन उसको दे देते हैं। इसमें कोई भी जांच कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी गये तो उन्होंने कहा कि ३० बीघा तो तुम छोड़ दो, गौचर भूमि में मिला दो, वह मिलाई गई; पर वह मुकदमा हाई कोर्ट में गया और वहां राजस्थान सरकार ने कोई पैरवी नहीं की और जनता के विरुद्ध फैसला हुआ।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है, देखा है तो सहानुभूति से इस प्रश्नपर विचार करें और गौचर भूमि की समस्या है उसको हल करें।

३ म० प०

इसके बाद में, प्रश्न जागीर रिजःम्पशन का आता है। हमारा सीकर ठिकाना है। वास्तव में वह था तो ठिकाना ही। लेकिन ठिकाना नहीं था, एक बहुत बड़ी जागीर थी जिसका अलग एडमिनिस्ट्रेशन था। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। वहां रेवेन्यू ऑफिसर थे, फाइनेन्स ऑफिसर थे और भी दूसरे कई ऑफिसर थे। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। वहां पर मेडिकल और पुलिस के विभाग भी अलग अलग थे, हजार से अधिक कर्मचारी काम करते थे। जिस समय ठिकाना मर्ज हुआ उससे पहले ही पुलिस विभाग को राजस्थान सरकार ने ले लिया था और बाद में मेडिकल और जुडिशियल डिपार्टमेंट भी सरकार ने ले लिये थे। ज्यों ज्यों विभागों को सरकार लेती गई, ठिकाने के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार राजस्थान के रूल्स के अनुसार एपोइन्ट करती गई और उन लोगों को राजस्थान की सर्विसेज में फिक्स कर लिया। मगर अभी भी उसके बाद बहुत से इस प्रकार के ठिकानों के कर्मचारी हैं जो ठिकाना रिज़्यूम होने के साथ साथ राजस्थान में मिल गये और जिनको पुराना वेतन ठिकाने के रूल्स के आधार पर मिलता था वही वेतन उनको मिलना चाहिये, मगर उनको वह वेतन नहीं दिया जा रहा है। बड़े मजे की बात तो यही है कि उन लोगों को यह कहा जाता है कि तुम को तो अनुचित रूप से वेतन में तरक्की दी गई है। ठिकानों में यह होता था कि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता था या होशियार होता था तो उसको कलेक्टर या अधिकारी तरक्की दे देता था। मगर आज उन कर्मचारियों को, जिनको इस प्रकार से तरक्की दी गई थी, यह कहा जाता है कि यह उचित नहीं है, तुमको इतना वेतन नहीं दिया जावेगा। जिनको ठिकाने में ७०) रू० वेतन के मिलते थे आज उनको ७०) के बजाय ५०) रू०) कर दिये हैं और यह कहा जाता है कि २०) जो उसने अधिक प्राप्त कर लिये हैं उसको वेतन में से काटने की जरूरत है। ठिकाने में यही

Page No.58

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हुआ करता था कि कोई कर्मचारी ईमानदारी से अच्छा काम करता था तो हाकिम उससे खुश होकर उसकी तरक्की कर देता था और यह उस अधिकारी के अधिकार की बात थी, मगर आज उसको कर्मचारी के वेतन से वापिस काटी जाने की बात कही जा रही है।

इसी प्रकार ठिकाने की तरफ से कई गरीब लोगों को जो अपंग और बे वारिस थे पेन्शन मिलती थी; किसी को ५) रू० और किसी को ७) रू० माहवार मिलते थे। मगर जब से राजस्थान में ठिकाना मिला है तब से उनकी पेन्शन का भी कोई तस्फिया नहीं हुआ है। जिस समय मुख्य मंत्रीजी उधर पधारे थे उनको उन लोगों से मिलाया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, उन लोगों को वह रकम नहीं मिल पाई है।

इसके अलावा ठिकाने के कर्मचारियों को पेन्शन ठिकाने के रूल्स के अनुसार मिलती थी, मगर जिस समय ठिकाना रिज़्यूम किया गया उस समय सरकार द्वारा यह कहा गया था कि इन लोगों को अब पेन्शन राजस्थान रूल्स के आधार पर दी जावेगी। बाद में जब राजस्थान सरकार के रूल्स बने तो यह कहा गया कि इनकी पेन्शनें बढ़ गयी हैं इसलिए सरकार अधिक पेन्शन नहीं देगी। ६५ कर्मचारी पेन्शन के अधिकारी हैं। लेकिन अभीतक उनमें से केवल पांच आदमियों को ही पेन्शनें मिली हैं, बाकी किसी को नहीं मिली है। यदि इस अर्से में जब तक उनका केस तय हो मर गया तो मर गया। उसके बाद किसको पेन्शन मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता। उसके बाल-बच्चे को मिलेगी या नहीं, कौन जानता है लेकिन वह तो बेचारा मर ही गया। वास्तव में तो पेन्शन की यह स्थिति है।

इसके बाद स्कूलों को टेक ओवर किया गया। लेकिन उस समय अध्यापकों के वेतन के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। वहां पर प्राइमरी स्कूलें हैं जहां अध्यापकों को केवल २५ रु० और ३० रु० माहवार मिलते हैं और वहां के चपरासियों को ४०) माहवार वेतन मिलता है। इस प्रकार की स्थिति वहां पर स्कूलों की है।

इसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में राज्यपाल ने संकेत किया। इसी प्रकार मद्रास के चीफ मिनिस्टर श्री राजगोपालाचार्य ने भी कहा था कि हमारे यहां देश के दो दुश्मन हैं। एक तो कम्युनिस्ट हैं जो दुश्मन नम्बर १ हैं और दूसरा देश का दुश्मन है देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार। मद्रास के चीफ मिनिस्टर फरमाते हैं, कि उसी प्रकार मैं भी यह कहूँगा कि हमारे यहां पर देश का दुश्मन नम्बर एक है सार्वजनिक विभाग और दूसरा एनिमी है ट्रान्सपोर्ट विभाग। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। किसी ठेकेदार ने ठेका लिया तो उसको कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने पब्लिक के हित के लिये मोटर चलाने की परमिट ली तो उस मोटर को, फिट है या अनफिट, इसका सर्टिफिकेट ट्रान्सपोर्ट के इन्सपेक्टर को देना होता है। इसके बाद पुलिस भी बड़ी सतर्कता से अपना काम करती है और यदि किसी मोटर का पर्दा फटा हुआ हो या कोई कांच टूटा हुआ हो तो पुलिस का कर्मचारी उसका फौरन चालान करता है। इसका नतीजा यह होता है कि मोटर तो लोसल में खड़ी रहती है और सिंगरावट में चालान पेश होता है। इससे

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पुलिसमैन चालान जो करता है वह यह होता है कि बत्ती का कांच टूटा हुआ था या पर्दा फटा हुआ है। मगर इससे जनता को बहुत कठिनाई होती है। हम इसके लिये कलेक्टर के पास जब जाते हैं तो कलेक्टर कहते हैं कि मोटर मालिक इसको देख क्यों नहीं लेते कि कांच टूटा हुआ है या पर्दा फटा हुआ है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि खास प्रश्न यहां पर जो है वह यह कि मोटर के फिटनेस को देखने के लिये जयपुर से यातायात के इन्सपेक्टर आते हैं और मोटर को फिट करार देते हैं तभी तो मोटर चलती है लेकिन ज्योंही मोटर रूट पर दौड़ने लगती है तो वह अनफिट हो जाती है। मोटर फिट है या नहीं, इसको देखने के लिये यातायात के इन्सपेक्टर जयपुर से जाते हैं, मोटर मालिकों से मिल लेते हैं और उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे उधर शेखावाटी में सड़कें तो हैं नहीं, टीबे हैं और दचके इस तरह लगते हैं कि कभी सिर को संभालना पड़ता है और बचाना पड़ता है, तो कभी पीछे की तरफ झटका लगता है तो उसको संभालना पड़ता है। मोटर के पर्दे फटे हुए होने के कारण गर्मी में लू आती रहती है और वर्षा में पानी अन्दर आता रहता है और लोग भीगते रहते हैं। इस प्रकार की मोटर राजस्थान की पब्लिक को खींचने के लिये इन्सपेक्टरों द्वारा फिट करार दी जाती हैं। कभी आप, अगर समय हो और वेष बदलकर उधर जावें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार की मोटरों को फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखा जाए तो इसमें मरते कौन हैं? मरते हैं वही मजदूर। उनका (इन्सपेक्टर साहब का) क्या बिगड़ता है? मोटर ड्राइवर ही मरता है। मोटर उसी को चलानी पड़ती है और उसी का चालान पुलिस द्वारा होता है। अगर वह मोटर लेकर नहीं जाता है तो उसको मोटर मालिक निकाल देता है और अगर जाता है तो उसका चालान पुलिस कर देती है। इसके अलावा जितने चालान होते हैं वे सब उसके लाइसेन्स बुक में नोट होते हैं कि कौन व्यक्ति मोटर चला रहा था और अगर उसका नाम नहीं लिखा जाता है तो चालान ही सफल नहीं होता। अगर उस ड्राइवर का नाम चालान में तीन चार दफा लिखा गया तो उस व्यक्ति का लाइसेन्स ही जब्त हो जाता है। इसलिए एक तरफ तो इन्सपेक्टरों की रोटी-रोजी का प्रश्न है कि वे मोटरों को फिट कर देते हैं और दूसरी तरफ बेचारे गरीब ड्राइवरों के पेट का सवाल है। इन्सपेक्टर तो अपना पेट भर कर फिटनेस का सर्टिफिकेट देकर चला जाता है। रही बात गरीब ड्राइवर की तो वही तो मरता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करें तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में स्थिति क्या है?

इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि निर्माण विभाग में भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और इसका आरोप अगर निर्माण विभाग पर लगाया जाता है तो वास्तव में सत्य ही है। आप देखेंगे कि इंजीनियर, ओवरसियर्स को १५०), २५०) रु० वेतन के मिलते हैं और रिटायर होने से पहले उनके बंगले बन जाते हैं। यह कहां से और कैसे बन जाते हैं? अगर वे रिश्वत नहीं लेते हैं तो उनके बंगले कहां से बनते हैं, दूसरों के क्यों नहीं बनते? आप लोग जो मिनिस्टर बने हुए हैं, आप भी इस बात को

Page No.60

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके ठेकेदारों से पर्सेन्टेज तय किये हुये और पहले से ही बन्धे हुए होते हैं। अकाउन्टेंट के दो आने, ओवरसियर के चार आने, इंजीनियर के ६ आने; इस प्रकार सब लोगों के अलग अलग पैसे बंधे होते हैं और सब लोग जानते हैं कि यह बात सही है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जब कोई मकान बनाया जाता है तो उस मकान के वेतन से पहले ही उस मकान के मेन्टीनेन्स का प्रबन्ध हो जाता है, मकान बाद में बनता है। इस प्रकार निर्माण विभाग वास्तव में जनता के धन का दुरुपयोग ही करता है। अब यह कहा जाए कि ठेकेदार क्यों दें, ठेकेदार क्या करें? उनको तो किसी न किसी तरह से अपना काम करना ही पड़ता है। मकान चाहे जितना ही अच्छा और मजबूत क्यों न बना हो लेकिन जब तक इंजीनियर साहब उसको देख कर फिट न कर दें तब तक उसको पैसे नहीं मिल सकते, यह एक शर्त होती है कॉन्ट्रैक्ट में। इंजीनियर साहब रिश्वत लिये बगैर छोड़ते नहीं। इंजीनियर साहब मकान को देखने के लिये जाते हैं और चाहे वह अच्छे ढंग से ही क्यों न बना हो, कह देते हैं कि यह हिस्सा ठीक नहीं है इसको तोडा जावे। ठेकेदार किसी न किसी प्रकार से दे ले कर उसको फिट करवाता है और इस बात को सारा सदन जानता है कि जब तक फिटनेस का सर्टिफिकेट इंजीनियर नहीं देते ठेकेदार को पैसा सरकार नहीं देती। इसलिये ठेकेदार को तो किसी न किसी तरह से अपने पैसे लेने ही होते हैं। यह सारा सदन जानता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है?

इसके बाद मैं आपका ध्यान एक और बात पर दिलाना चाहता हूं। हम सभी कहते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में आजादी प्राप्त कर ली है। मैं यह कहूँगा कि देश हमारा जरूर आजाद हुआ है लेकिन अभी तक गुलामी की प्रथा वैसी ही कायम है जैसी कि पहले थी और मुझको सामने नजर आता है और वह कौन है, वह है एक पट्टा लगाया हुआ कर्मचारी। उसकी पोशाक बेशक अच्छी है। वह है फोर्थ क्लास कर्मचारी। यदि वह व्यक्ति किसी चीफ मिनिस्टर से या किसी बड़े अधिकारी से संबन्ध रखता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। मगर दूसरे फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं उनकी गति बहुत खराब होती है। उनकी यह हालत होती है कि यदि उसने किसी अधिकारी के बच्चे को नहीं खिलाया तो उसको नौकरी से अलग कर दिया जाता है, यदि किसी अधिकारी के यहां रोटी नहीं पकाई तो उसको नौकरी से अलग कर दिया जाता है, किसी ने अधिकारी की औरतों और बच्चों के कपड़े नहीं धोये तो उसको नौकरी से फौरन अलग कर दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि अपना देश अब आजाद हो गया है आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं तो यह कहूँगा कि जिस प्रकार अमेरिका में गुलाम प्रथा थी उससे भी अधिक गुलाम प्रथा हमारे यहां पर है और उससे भी ज्यादा खराब हालत हमारे फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की है। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स ने हाल ही में एक सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि हमसे अधिकारियों द्वारा जो घरेलू काम लिया जाता है नहीं लिया जावे। आप देखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी, जैसे कोई मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है उसके

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मकान पर तीन-तीन और चार-चार आदमी लगाये जाते हैं, यह क्यों ? इसके लिये या तो सरकार यह तय कर दे कि मजिस्ट्रेट के पास तीन नौकर होंगे जो उनके मकान पर काम करते रहेंगे। मगर जब तक ऐसा कोई आदेश सरकार नहीं दे तब तक इन लोगों से घरेलू काम लेना यह समझा जाता है कि ये अफसर एक प्रकार से रिश्वत खाते हैं, बेईमानी करते हैं क्योंकि उन लोगों को जो उनके मकान पर काम करते हैं तनख्वाह तो राज में से ही मिलती है। तनख्वाह तो हमारी ट्रेज़री उनको देती है और काम वे उनके मकान पर करते हैं। जब तक एक भी कर्मचारी के मकान पर इस प्रकार का कार्य होता रहेगा यह बन्द नही होगा क्योंकि दूसरा अधिकारी समझेगा कि उस अधिकारी के यहां पर काम होता है; हम भी तो सरकारी अधिकारी हैं, फिर हमारे मकान पर काम क्यों न लिया जाये ? हमारे पास इस प्रकार के साधन नहीं कि हम उनको चैक कर सकें।

इसके बाद, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स जो हैं उसके ५ या ६ बच्चे हैं, उसको ४० रुपया वेतन मिलता है। आप सब लोग, जब देश आजाद नहीं था, कहा करते थे कि फोर्थ क्लास नौकरों को वेतन बहुत कम दिया जाता है और जब आज देश आजाद हुआ तो भी हम देखते हैं कि उनको वही ४० रुपया मिलते हैं; यह है सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी !

मैं चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का आप निर्णय करें कि कम से कम इतना वेतन हो और ज्यादा से ज्यादा इतना। कम से कम १०० रुपया हो और ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपया इससे अधिक किसी भी अधिकारी को नहीं दिया जावे। इसके अलावा इन गरीब कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाई जावे। बजट में तो कहा गया है कि इन लोगों को इन्क्रीमेन्ट दिया गया है। पहले इनको २५-१-३५ मिलते थे, अब इनको यह कहा जाता है कि पहले से तुमको कितना अधिक कर दिया है तुनको पहले कितना कम मिलता था, अब हमने २५-१-३५ से २५—१—४० के पे स्केल में रख दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने उनको ४० रुपये की पे स्केल में तो रख दिया लेकिन वास्तव में दिया क्या है, यह देखने की बात है। देखा जाये तो आपने उनको कुछ नहीं दिया। उनको इससे क्या फायदा हुआ ? पहले उनको २५ रुपया मिलते थे और अब भी उनको वही २५ रुपये मिलते हैं। मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों के हाथ में वास्तव में बजट बनाने की शक्ति थी उन्होंने बराबर अपने फायदे को ध्यान में रखा और अपनी स्पेशल पे बढ़ा ली, किसी ने ५० रुपया और किसी ने १०० रुपया और किसी को २५० रुपया स्पेशल पे में बढ़ गये। अगर किसी की स्पेशल पे नहीं बढ़ी तो वह चपरासियों की या यू० डी० सी० की नहीं बढ़ी। बड़े-बड़े कर्मचारियों की अवश्य बढ़ी है। उन छोटे कर्मचारियों की नहीं बढ़ी जो वास्तव में देखा जाए तो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था के आधार हैं।

३-०६ म० प०

(श्री बरकतउल्लाह खां सभापति, पदासीन)

मैं मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि प्रजा-

Page No.62

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तंत्र को सफल बनाने के लिये जिन लोगों के कन्धे पर शासन का भार है उन्हें चाहिये कि वे इसकी चिन्ता करें। अभी बजट में फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स के पांच पांच रुपये जरूर बढ़ा दिये गये हैं लेकिन उन लोगों को इससे संतोष कैसे हो सकता है? यह जो बढ़ोतरी की गई है उनके वेतन में नहीं की गई बल्कि उनके मंहगाई भत्ते में की गई है। बेसिक पे में इसकी तरक्की की होती तो मुझे संतोष होता, लेकिन यह पांच रूपये की जो तरक्की की है वह महंगाई भत्ते में की गई है। महंगाइ भत्ते में जो इस तरक्की को किया गया है तो महंगाई भत्ते की रकम तो न जाने किधर की किधर ले ली जाती है और बहुत ही थोड़े लोगों को फायदा होता है। बेसिक पे में अगर तरक्की होती तो सभी लोगों को फायदा होता, इससे तो अच्छा था कि तरक्की ही न की जाती।

साथ ही मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात भी कही थी। वास्तव में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अवस्था सबसे ज्यादा विचारणीय वस्तु है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान हमारे पड़ौसी स्टेट की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। पड़ौसी स्टेट से मेरा मतलब पंजाब से है। वहां पर जिस समय भीमसेन जी सच्चर मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने एक आदेश निकाला कि सरकारी अधिकारियों के घरों पर अगर किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को काम करते पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जायगा। तो इस प्रकार के आदेश निकलने के तुरन्त पश्चात ही सब हालत ठीक हो गई। तो इसी प्रकार से हमारे भी मुख्य मंत्रीजी को इस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए और उनको एक समिति बिठानी चाहिये जिससे कि वह यह जांच कर सके कि कौन कौन अधिकारी, इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अपने घरों पर काम लेते हैं और जो ऐसा करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय, तभी यहां की दशा सुधरेगी।

इसके पश्चात् अब मैं पंचायत के अधिकारों के बारे में कहूँगा। हमने बारबार कहा है कि पंचायतों को और अधिकार देने चाहिये। हमने पंचायतें बनाईं, एक प्रकार से गावों में जनतांत्रिक प्रणाली अपनाने के लिए। पंचायतें बनाईं, यह तो अच्छी बात है और पंचायतें बननी भी चाहिए, पंचायतें बनाना कोई बुरी बात नहीं है। देश का शासन चलाने में पंचायतों का भी बहुत बड़ा भाग होता है, यह हम सभी मानते हैं और फिर हमारे देश का शासन तो पंचायतों के आधार पर सदा से ही चलता आया है। हमने अभी ही यह पंचायतें कायम की हों, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में पुराने समय में भी पंचायतों की प्रथा थी। लेकिन जो अधिकार इन पंचायतों को दिये गये हैं और जिस प्रकार के अधिकार इनको दिये गये हैं, उससे वास्तव में पंचायतों का सही पोषण नहीं हो पाता। पंचायतों के निर्माण के लिए तो अधिकार दिये जाते हैं लेकिन सचमुच जो दिये जाने चाहिये वे नहीं दिये जाते हैं। पंचायतों को जो भी अधिकार अब तक दिये हैं उनसे तो ऐसा मालूम देता है जैसे बन्दर के हाथ में गिलोल दे दी। पंचायतों के अन्दर पंचों को यह अधिकार तो दे दिये कि वह चाहे जितना जुर्माना कर सकते हैं। उसमें भ्रष्टाचार की बहुत अधिक गुंजाइश है। अगर किसी पंच की किसी से दुश्मनी है वह उस पर चाहे जितना जुर्माना कर सकता है और अगर वह जुर्माना

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं दे सकता है तो फिर उसको और भी अधिक सजा दी जा सकती है। पंचायतें तो क्या, मैं आपको तहसील पंचायतों के फैसलों के बारे में कहूं कि जिस आदमी पर कोई फैसला दिया गया, वह मर भी गया लेकिन उसको सजा भी नहीं दी जाती है। तो तहसील पंचायतों का यह नमूना है। तो इस प्रकार के अधिकार आपने उनको दे दिये तो आप ही बतायें कि यह कैसे संभव है कि पंचायतें सफल हों। पंच हैं, मैं मानता हूं, कि वे बहुत बड़े हैं और फिर पंच तो परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है, लेकिन उनको जिस दायरे के अन्दर अधिकार देने चाहिए उस दायरे में अधिकार दिये नहीं गए। मैं कहता हूँ कि जो अधिकार देने चाहिये वे नहीं दिए गए हैं बल्कि जो भी अधिकार दिए गए हैं और उसके दायरे में जो जो भी काम इन पंचायतों ने किये हैं आप मुझे बतायें कि उनका क्या क्या उपयोग हुआ है? मैं कहता हूँ कि पंचायतें को सही रूप में अधिकार देने के लिए एक समिति बिठाइये और वह समिति यह जांच करे कि पंचायतों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए ताकि उन अधिकारों से इन संस्थाओं का सही उपयोग हो। पंचायतों की स्थापना जब से हुई है तब से उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया है।

इसके बाद में जिला बोर्ड का सवाल आता है। मैं तो इसके बारे में यह कहूँगा कि यदि आप ईमानदारी से पंचायतों से काम करवाना चाहते हैं तो फिर इन जिला बोर्डों को खत्म कर दिया जाये, 'जिला बोर्ड' को एक इन्टरमीजियरी बॉडी क्यों रख छोड़ा है? अगर आपको जिला बोर्डों को कायम रखना है तो फिर इस विधान सभा को भंग कर दीजिए। जो काम हमारी विधान सभा कर रही है वही काम तो हमारा जिला बोर्ड करता है। एक ओर तो आपकी विधान सभा है जो शासन चलाती है और फिर वही शासन दूसरी ओर जिला बोर्ड भी चलाती है तो फिर यह दोहरा शासन क्यों? जब आप विधान सभा चलाते हैं तो फिर जिला बोर्ड का क्यों बीच में जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं। आप स्कूल चलाते हैं और उसके लिए आपने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स रख छोड़े हैं और वह जिला बोर्ड स्कूल भी चलाते हैं। तो फिर एक ही चीज को क्यों दो दो संस्थायें चलाती हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि या तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ईमानदारी से काम नहीं करता या फिर जिला बोर्ड वाले ईमानदारी से काम नहीं करते, यह दुतर्फा शासन कैसा? आप अब बतायें कि यह बीच में फिजूल खर्च नहीं तो फिर और क्या है? हर जिले के अन्दर आप दवाखानों को ले लीजिए। दवाखाने जिला बोर्ड वाले भी चला रहे हैं और फिर राज्य सरकार भी दवाखाने चला रही है, यह सब क्या बात है? इसका साफ मतलब तो यह हो गया कि आप अपने लोगों का पोषण कर रहे हैं, आप अपने आदमियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। इस प्रकार से एक ही काम दो संस्थाएं करें, यह कहाँ तक उचित है? पहले जब अंग्रेज थे तो बंगाल के अन्दर उसी तरह से हुकूमत होती थी। जिस तरह का दोहरा शासन पहले बंगाल में चलता था उसी तरह का शासन आज आप यहां चला रहे हैं। इससे हमारे यहां का कितना रुपया बेकार खर्च कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो आप जिला बोर्डों को ही यह सारे अधिकार दे दीजिए या फिर पंचायत को ही दे दीजिये ताकि एक ही संस्था एक काम को सही ढंग से कर सके। मैं तो कहूँगा कि पंचा-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यतों को ही अधिकार दे दीजिए। आप इन अधिकारों को पंचायतों के हाथ में देने के लिए एक कमीशन बिठाइये ताकि वह सही सही और जो जो अधिकार इन पचायतों को देने हैं दे सकें। जिला बोर्ड जो है वे एक नोमीनेटेड बॉडी हैं, उसमें सरकार के ही चुने हुए लोग होते हैं, वह एक प्रकार से सरकार के पेड कर्मचारियों के रूप में कार्य करते हैं। आज तक जो भी काम उन्होंने किया है सब पक्षपातपूर्ण किया है । इस पक्षपात की शिकायत हमने सीकर जिला बोर्ड की की थी। चुनाव के दौरान में वहां जितने भी वैद्य थे वे दाँतारामगढ़ के आये थे। इसके साथ ही और दूसरे जिलों के भी वैद्यों का सीकर ट्रांसफर किया गया। सारे वैद्यों का ट्रांसफर किया गया, मास्टरों का ट्रांसफर किया गया। साथ ही जिलाबोर्ड के जितने भी मजदूर थे उन सबको चुनाव में लगा दिया, इस चुनाव में सारी ही गवर्नमेंट मशीनरी लगा दी गई, मगर उसका परिणाम तो खैर दूसरा ही हुआ, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है जो मैंने आपके सामने उपस्थित किया है । मैंने सीकर जिला बोर्ड की जांच के लिए लिखा था मगर कोई जांच नहीं हुई। हमारी समझ में नहीं आता कि जब हम किसी के लिए शिकायत करते हैं तो उन स्वायत्त संस्थाओं की जांच क्यों नहीं होती, इसलिए कि हम विरोधी दल के सदस्य हैं। आज नगरपालिका में बहुमत जनसंघ का है। किसी ने उसके खिलाफ शिकायत की और उसकी जांच हुई मगर मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि नगरपालिका में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया गया; केवल पार्टीबाजी के आधार पर ही काम किया जाता है । सीकर नगरपालिका के संबंध में एक नहीं हजारों, यहां तक कि जिलाधीश सीकर बराबर इस नगरपालिका के लिए लिखता है। चेयरमैन महोदय, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप स्वयं पूछ लीजिए कि जिलाधीश सीकर ने सीकर की नगरपालिका के लिए कितनी बार सरकार को लिखा है। वह लिखते हैं कि जो आदेश मैं नगरपालिका को देता हूं वह उनकी अवहेलना करते हैं। अब आप ही बताइये कि कितना बड़ा जुर्म है? इन बातों के लिए जिलाधीश सीकर ने कई बार सेक्रेटरी को लिखा मगर उसकी भी यहां कोई सुनवाई नहीं हुई। उस सबका कारण एक ही है कि वहां आप लोगों का बहुमत है। सब लोग उसकी शिकायतें करते हैं लेकिन उन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उस नगरपालिका की कोई जांच नहीं होती है और उस नगरपालिका की, कि जहां जनसंघ का बहुमत है उसकी जांच फौरन से हो जाती है, कितना भारी अन्याय है? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूँगा कि सीकर नगरपालिका की जांच शीघ्र ही करवाई जावे। अगर जिलाधीश सीकर रिपोर्ट लिखता है और उसकी जांच करने पर वह रिपोर्ट सही निकलती है तो फिर सीकर नगरपालिका के चेयरमैन को फौरन ही मुअत्तिल कर दिया जाये। कलेक्टर से ज्यादा और रेस्पोन्सिबल अधिकारी कौन हो सकता है ? कलेक्टर जो भी रिपोर्ट करता है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। स्वायत्त शासन के संबंध में भ्रष्टाचार होता है। रुपया खाना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार कई तरह के होते हैं। शासन के कार्य में किसी प्रकार का पक्षपात करना भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। यह जो पक्षपात किया जाता है वह भी भ्रष्टाचार ही है। आपकी पार्टी का कोई आदमी होता है उसके लिए तो सब खून माफ हैं और अगर दूसरी पार्टी का आदमी है तो उसके लिए तुरन्त मुख्य मंत्रीजी आते हैं और उस पर इल्जाम

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लगा देते हैं। क्यों नहीं जब कि हम रिपोर्ट करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी की जांच होती है क्योंकि हम विरोधी पार्टी के सदस्य हैं। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे देश में जन-तंत्र कैसे पनप सकता है? हमें वास्तव में जनतंत्र को पनपाना है। हमारे भी कई सुझाव हैं, हम हर एक चीज का कम्पलीट प्रमाण आपके सामने रखते हैं, हर एक चीज पर सही दलील देते हैं, यदि आपने कोई प्रस्ताव रखा, आपने उसका समर्थन किया और हमने उसका विरोध किया, बहुमत आपके हाथ में है उसके आधार पर आपका प्रस्ताव जरूर पास होगा लेकिन हम भी जो बात आपके सामने रखते हैं, जो सुझाव रखते हैं वे कुछ सोच-समझकर ही रखते हैं, उनमें भी कोई तथ्य की बात होती है, हमारी बातों पर भी आपको गौर करना चाहिए। केवल बहुमत के आधार पर ही हमारी बातें नहीं ठुकरा देनी चाहिए।

इसके बाद में मैं यहां तक कहूंगा कि हमने गांवों के अन्दर दवाखानों की जो व्यवस्था की है वह ठीक नहीं की है। मैं आपको उदाहरण के लिए कह देना चाहता हूँ कि जिस कॉन्सटीटुएन्सी से मैं आया हूं उसमें ५० गांव हैं। वहां इतने बड़े इलाके में जिसमें कि करीब पचास गांव है केवल दो दवाखाने हैं। वहां दवाखानों की कोई खास व्यवस्था नहीं है। मैं प्रमाण के लिए कहता हूँ कि इतने बड़े इलाके में केवल दो दवाखाने ही कैसे काफी हो सकते हैं? हम टेक्नीकल रूप में जो कुछ भी कर सकते हैं उस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

वन विभाग के कर्मचारियों से जब मिलते हैं तो वे कहते हैं कि वन से लकड़ी हम काटने नहीं देंगे, क्योंकि वनों से वर्षा अधिक होती है, जब हम वन लगायेंगे तो वर्षा आयगी। एक तरफ तो वन अधिकारियों का यह कहना है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सीकर में जो बीड़ है अगर उसको जाकर देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि अब वन विभाग के कर्मचारी खुद कटवाते हैं वनों को। सीकर में एक श्यामगढ़ ठिकाना है जिसके १२ गांव के अन्दर पहाड़ ही पहाड़ हैं वहां के ग्रामवासियों को यदि पहाड़वासी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वहां के लोग पहाड़ों पर निर्भर हैं, उन लोगों का गुजर लकड़ी काट कर ही चलता है और उन पहाड़ों पर वे लोग भेड़ बकरियां चराया करते हैं। जिस प्रकार उदय-पुर में भील लोग हैं उसी प्रकार के निवासी यहां भी हैं जिस प्रकार भील लोगों का गुजर पहाड़ से चलता है उसी प्रकार उनका जीवन-यापन का आधार भी पहाड़ ही है। आज वहां की यह स्थिति है कि उन लोगों से टैक्स लिया जाता है। मुझे मालूम नहीं वह टैक्स राज्य-कोष में भी जमा होता है या राज्य के अधि-कारियों की जेब में चला जाता है। वहां के लोगों का इस बारे में इल्लीगल डिटेन्शन भी होता है। उन वनवासियों के साथ जो व्यवहार वन विभाग के कर्मचारी करते हैं वह बहुत ही अशोभनीय है। वन विभाग के कर्म-चारियों से पूछते हैं इस बारे में तो वे कहते हैं वनों की सीमा यहां तक है। वे बेचारे पहाड़ों पर बसते हैं, पहाड़ कभी वन की सीमा में नहीं आ सकते। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन पहाड़ी निवासियों को इस बारे में रियायत देनी होगी। आज हम देखते हैं कि वहां के निवासी यदि पहाड़ से कोई लकड़ी काटकर ले आते हैं खुद के प्रयोग के लिये तो उनका रोजाना चालान होता है। वन मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जांच करें कि ये बातें कहां तक सत्य हैं और इन लोगों को कितनी कितनी रियायत देनी चाहिये ।

अब अन्त में केवल यह निवेदन करूंगा कि जनतंत्र में विरोधी पक्ष का होना जरूरी है। जहां तक जनतंत्र की सफलता का ताल्लुक है विरोधी दल का होना सरकार के लिये भी आवश्यक है। विरोधी पक्ष केवल इस बात के लिये नहीं होता कि वह विरोध के लिये विरोध करे। लेकिन जो सत्य बात होती है उसका हम लोग भी स्वागत करेंगे। हम यह भी मानते हैं कि आपका बहुमत है और जो भी फैसला आप करेंगे वही मान्य होगा। आपकी तरफ से अगर सही बात रखी जायगी तो हम आपका समर्थन करेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। जितनी भी सार्वजनिक निर्माण की योजनायें बनी हैं, भारत सेवक-समाज, जलबोर्ड उसमें हमारा सहयोग नहीं लिया जाता। जनता की भलाई के लिये जितनी भी कमेटियां बनती हैं विरोधी पक्ष का एक आदमी भी नहीं लिया जाता। भारत सेवक समाज में काम करने के लिये हम तैयार हैं, लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं। उनका यह मानना है कि कहीं योजना की सफलता का श्रेय विरोधी पक्ष वालों को न मिल जाय। आपको अब श्रेय और अश्रेय की बातें हृदय से निकाल देनी चाहियें, आप भी पचास हजार जनता के प्रतिनिधि होकर सदन में आये हैं और हम भी पचास हजार लोगों के प्रतिनिधि हैं। सदन में आने के बाद पार्टीबाजी के आधार पर किसी कार्य को करना उचित प्रतीत नहीं होता।

अन्त में अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी सही कार्य होगा सरकार की तरफ से, हमारा दल उसका जरूर समर्थन करेगा। प्रान्त में फैले भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने का हमारे दल ने विचार किया है; जो भी सही बात होगी उसका हम समर्थन करेंगे।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण से एक बात तो यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के अन्दर जनता के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत कुछ किया है और आज हम देखते हैं कि राजस्थान प्रगति की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हर क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसकी मिसाल हमें दूसरे राज्यों में मिलनी असंभव सी मालूम पड़ती है। मुझे सदन में इस बात को कहते हुये बड़ी प्रसन्नता होती है कि राज्य सरकार राजस्थान को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये, एक नये राजस्थान का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। आर्थिक स्वराज्य लाने के लिये, औद्योगीकरण के लिये राजस्थान सरकार प्रयत्न कर रही है और राज्यपाल के भाषण के अन्दर बहुत से उद्योग धन्धों के विकास के लिये भी संकेत किया गया है, लेकिन जो संकेत किया गया है वह छोटे मोटे उद्योग धन्धों के लिए किया गया है। राज्य का आर्थिक विकास, जब तक बड़े बड़े उद्योग धन्धों और बड़े बड़े कल कारखाने साथ में नहीं खोले जावेंगे, तब तक मेरी मान्यता है कि यह विकास जो है वह पूरी तरह से नहीं हो पायगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान

Page No.67

(श्री रामेश्वरदयाल)

इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार करें और यह फैसला करें कि किन किन बड़े बड़े उद्योग धन्धों को यहाँ पर चलाना है और किस प्रकार से उनको चलाना है। इस बात की जो कमी है वह भाषण के अन्दर कुछ अपूर्ण सी नजर आती हैं। इसके अलावा कृषि और सिंचाई के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है। सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार की गई हैं। राजस्थान नहर की योजना द्वारा ३४ लाख एकड़ मरुभूमि को हरे भरे खेत में परिवर्तित करने की बात सोची जा रही है और उधर कोटा के पास चम्बल के बांध की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। सरकार इन योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कोटा शहर में जिसके पास जहां इतनी बड़ी नहरों का काम चल रहा है और इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वहां एक अर्से से मांग करने के बावजूद भी गरमी के दिनों में लोग प्यासे मरते हैं और बिजली और वाटर वर्क्स की सप्लाई की बड़ी दुर्व्यवस्था है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था की जावे जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सके और बिजली भी ठीक प्रकार से मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ उन्नति हुई है और जैसा कि भाषण से प्रतीत होता है बहुत से स्कूल खोले गये हैं, प्राइमरी स्कूलें खोली गई हैं, सेकन्डरी स्कूलें खोली गयी हैं। स्कूलों का नम्बर जरूर बढ़ा है लेकिन मैं दूसरे जिलों की बाबत तो कुछ नहीं कह सकता पर मैं सरकार को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि कोटा शहर के अन्दर स्कूलों की जो हालत है वह वास्तव में सोचनीय है और इसलिये विचारणीय है। जिस गन्दे वातावरण में ये स्कूलें स्थित हैं उसको तुरन्त ठीक किया जाना अत्यावश्यक है। अगर हमें इन्हें भावी नागरिकों के रूपमें देखना है, नन्हे २ बच्चों की तन्दुरुस्ती का ध्यान रखना है तो इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाया जाना अत्यावश्यक है।

इसी प्रकार से दवाखाने जरूर बढ़े हैं लेकिन फिर भी जरूरत के मुताबिक अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है। पर इस संबंध में एक बात मैं, अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), आपके द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूँ कि आज से करीब आठ-दस साल पहले कोटा शहर के अन्दर एक अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी जिसके बारे में वहां के महाराव साहब ने भी करीब सात-आठ लाख रुपया दिया था और उस समय यह बात सोची गई थी कि यह काम तीन साल के अन्दर अन्दर सम्पन्न हो जावेगा। पर आज आठ साल होने को आये पर यह अधूरा पड़ा है। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि अब यह काम इस साल के अन्दर अन्दर पूरा हो जाना चाहिये और अस्पताल चालू हो जाना चाहिये ताकि जनता को शिकायत का मौका न आवे।

सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस भाषण के अन्दर कही गई है वह समाजवादी व्यवस्था की बात है। समाजवादी व्यवस्था को सरकार का ध्येय और नीति बतलाया गया है लेकिन इस भाषण के अन्दर, जो सबसे बड़ी बात है, इसके बारे में यह नहीं कहा गया कि किस प्रकार से यह समाजवादी व्यवस्था लानी है। जब इस बात को लाना है तो सदन के सामने इस पर भी प्रकाश डाला जाना

(श्री रामेश्वरदयाल)

आवश्यक था। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव दूंगा और वह यह है कि सबसे पहले इस सिद्धान्त को प्रशासनिक ढांचे पर लागू किया जावे ताकि जनता के अन्दर इस घोषित सिद्धांत के प्रति विश्वास पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने। आज हम देखते हैं कि बड़े कर्मचारी और छोटे कर्मचारी के अन्दर वेतन की की दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर है और यह अन्तर इतना बड़ा है कि अगर हम इस भारी विषमता को, जब हम मिटाना चाहते हैं, जब इस प्रकार की बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको इस सिद्धान्त को अपने घर में अपनाना चाहिये और यह जो असमानता इस प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त है उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करके दूसरे राज्यों के लिये भी एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये।

एक बात और मैं माननीय अध्यक्ष (सभापति महोदय), कहना चाहता हूँ कि सदन के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आदर की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। आज इस सदन के सामने धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उस पर जो विवाद हो रहा है और विरोधी पक्ष के लोगों ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं और बहुत कुछ बढ़-चढ़ कर भी कहीं हैं, यह भी कहा गया है कि बेईमानी बढ़ुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और इसमें यह हो रहा, उसमें वह हो रहा है, तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन मैं उन विरोधी सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जब तक वे भी इस मामले में सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस राज्य से और देश से बेईमानी और भ्रष्टाचार खतम नहीं हो सकता। बेईमानी और भ्रष्टाचार उसी समय बढ़ता है, उसका पोषण होता है जब कि, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने भी कहा था कि जब आप और हम इसमें पार्टी होते हैं। इसलिये इसमें जनता के सहयोग और जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग की भी अत्यन्त आवश्यकता है।

साथ ही मैं एक यह सुझाव भी राज्य सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि जो कानून इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी मुलाजिमों को प्रोसीक्यूट करने के लिए बनाया गया है वह कानून इतना जटिल है, इतना कोम्प्लीकेटेड है कि जो भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतें लेता है उन पर जब मुकदमा चलता है तो वे किसी तरह से टैकनीकलिटी पर बरी हो जाते हैं और जिस उद्देश्य से सरकार यह काम करती है वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है। वे फिर और भी अधिक भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। इसलिए वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इस कानून में संशोधन किया जावे और अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय दृष्टि से यानी डिपार्टमेन्टल तौर पर कोई बात साबित हो जाती है तो वह काफी है और उसको फिर फौरन सजा दे देनी चाहिये या राज्य सेवा से अलहदा कर दिया जाना चाहिये क्योंकि अगर उसे फिर अदालती मामले में डाल दिया गया तो बहुत सी ऐसी खामियां इस कानून में हैं कि छोटी छोटी बातों पर मामला समाप्त हो जावेगा और वह अदालत से बरी हो जावेगा। बरी होने के बाद वह दुगुना भ्रष्टाचार करेगा। इसलिये इसमें जनता के सहयोग के साथ साथ कानून में संशोधन की भी बड़ी आवश्यकता है।

अब मैं एक बात और अध्यक्ष (सभापति महोदय), अपने विरोधी पक्ष के सदस्यों

(श्री रामेश्वरदयाल)

के सम्मुख रखना चाहता हूँ कि हमको धन्यवाद के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी स्वस्थ परम्परा का अवलम्बन करना चाहिये और इसको कायम करना चाहिये। विरोध हो सकता है कई बातों पर किन्तु जब राज्यपाल के प्रति जो कि हमारे राज्य के प्रमुख व्यक्ति हैं, धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में आता है तो ऐसी स्थिति में दलबन्दी की भावना से ऊपर उठकर हमें राज्यपाल के प्रति आदर की दृष्टि रखनी चाहिये और एक मत से इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये और इस प्रकार की परम्परा हमको कायम करनी चाहिए जो दूसरे राज्यों के लिए भी एक आदर्श हो। राजस्थान के बारे में लोगों की तरह तरह की भावनाएं हैं। इसलिये आज हमको राज्यपाल के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिये। एक बहुत अच्छी परम्परा यह होगी कि धन्यवाद का प्रस्ताव है, जिसका कि मैं हृदय से समर्थन करता हूं, उसको स्वीकार करने के अन्दर हमारे विरोधी भाई भी एक मत हों। उन्होंने बहुत कुछ कहा है सरकार के प्रति और खुले दिल से सरकार की आलोचना की है और माननीय सदस्य जिन्हें बोलना है वे भी बोल सकते हैं, पर जब धन्यवाद का प्रस्ताव वोट के मामले पर आवे तो माननीय विरोधी सदस्यों को भी सदन के अन्य माननीय सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करके व्यापक दृष्टिकोण और उदार मनोवृत्ति का परिचय देना चाहिये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सुझाव को सहानुभूति के साथ हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य देखेंगे और उसको स्वीकार करके एक बहुत अच्छी और स्वस्थ परम्परा कायम करने में सहयोग देंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो कल भाषण माननीय राज्यपाल का हुआ और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया, उसमें योजनाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में प्रस्ताव आये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कोटपूतली के बारे में, बता देना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने जन्म के वक्त सुनी थीं, देखी थी उसी प्रकार अब भी हैं और कोई भी योजना का वहां कोई कुछ नहीं हुआ है। जिस तहसील के बारे में जो जानकारी रखता हूँ और जो जानकारी मुझे है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की योजना तो जो माननीय सदस्य कांग्रेस की ओर से जीत कर आते हैं उनके चुनाव क्षेत्रों में होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। यद्यपि कोई सदस्य यह चाहे कि यहां की जनता को तंग किया जाय, और वहां लोगों से दबाव से, धौंस से काम लिया, मगर वहां भी कोई काम तो किया जाय, मगर वहां भी कोई काम नहीं किया। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम विरोधी दल से हैं, आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, उनके बारे में केवल विरोधी दल समझ कर सुनेंगे और विचार करेंगे तो हम उसके लिए आपको केवल अर्ज ही कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि आप लोग देखें, माननीय मिनिस्टर सोचें, आप सोच लें, आगामी टाइम में उन बेचारे किसानों के, गरीब लोगों और जनता के आम हितों की मांगों का विरोध हुआ तो हम लोग गांवों में उनके घर घर जाकर कहेंगे, राजस्थान के कोने कोने में जाकर कहेंगे, उनको इन कार्यों से सूचित कर देंगे और जब आप दुबारा वोट मांगने जावेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने, जो हमने वोट दिया है, आपको वोट

Page No.70

(श्री रामकरणसिंह)

दिया है मगर हमारे ग्राम हितों के प्रस्ताव को नहीं सुनते, इसलिये आप लोगों को सहयोग किसी तरह से देने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

इसके अलावा मैं आप लोगों को विकास के सम्बन्ध में बता देना चाहता हूँ कि विकास कार्य हुआ लेकिन उसका प्रोपर डिस्ट्रिब्युशन नहीं हुआ है। किसी किसी जिले में विकास कार्य की इतनी भरमार है कि वहां जिला और तहसीलें उल्टी कर रही हैं। (हंसी) कई जिला, तहसील ऐसे हैं कि वहां उनका विकास का नाम ही नहीं मिलता, उधर की जनता ने कभी विकास का नाम भी सुना नहीं। पिछले दिनों एक मोटर उधर गई, उस पर लिखा हुआ था जल–बोर्ड। हमें ताज्जुब हुआ कि जल-विभाग भी है। भारत सेवक समाज के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है कि कोई संस्था है। श्रमदान का विचारे किसानों से काम कराया जाता है, हर तरह से काम लिया जाता है, वे श्रमदान के लिये तैयार हो जाते हैं लेकिन जब उनको सरकारी मदद का आश्वासन मिल जाता है और जब वे रुपयों के लिये आते हैं तो उनको ऑफिसेज़ में आकर खड़े होने का मौका नहीं मिलता, उनको चपरासी लोग अन्य लोगों के इशारों से हटा देते हैं। मैं उन चपरासियों के बारे में यह नहीं कहना चाहता, वे सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं करते हैं वे तो हुक्म मानते हैं, अगर न मानें तो उनकी नौकरी का ठिकाना ही न रहे। तो इस प्रकार श्रमदान में उत्साह रखने वालों को निराश करते हैं। उत्साह भाषणों में दिखानेवाले जितने माननीय सदस्य हैं वे भाषण ही देते हैं, कार्य रूप में परिणत करके दिखायें। कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं जो कोई विलायत का रहने वाला हो सब जानते है, हमारे इलाके के उन झोपड़ों में रहने वाले, हर आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं, और उनको जानते हुए भी, जब इन पंखों की हवा में बैठते हैं इन कुर्सियों पर बैठते हैं ऐश और आराम करते है, अन्य बातें भूल जाते है और वे बातें चुनावों के वक्त नाम मात्र के लिए याद आती हैं लेकिन उस समय भी माननीय मेम्बरान के कुछ ऐसे गुर्गे होते हैं जिन गुर्गों के द्वारा उस इलाके में हर तरह से आतंक रहता है, उनको डरा धमका कर उन बिचारे किसानों को काबू में रखा जाता है और वे गुर्गे उन पर काबू पा लेते हैं। उन्हें अब समझ लेना चाहिये कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो कोई व्यवस्था और योजना यहां भाषण के रूप में आती है, अथवा पेपर्स के द्वारा गांवों में भेजते हैं, इसको पूरी सूचना विरोधी दल गांवों में पहुंचायेगा और कहेगा कि यह काम हुआ है और यह नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था और योजना की डींग हाँकते हैं उनको चाहिए कि उनको पूरे राजस्थान में कार्य रूप में परिणत करके दिखावें।

इसके अलावा जल-बोर्ड, भारत सेवक समाज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कल्याण विभाग, ये जितने विभाग हैं, उनकी ऐसी सीमा है, उन तक तो केवल बड़े बड़े जिनका रोब–दाब है पहुँचते हैं, वे ही पहुँचते हैं वहां बेचारे हरिजन भाइयों की कोई नहीं सुनता, किसानों की कोई नहीं सुनता, पैसे आते हैं तो बीच में परसेन्टज़ के हिसाब से खा जाते हैं। कोई भी सुझाव अगर कभी भी वहां तक पहुंचता है, तो उनको धमकाया जाता है, तुम्हारी तहसील से फलां सामाजिक कार्यकर्ता है, एजेन्ट है; उसके द्वारा काम होता है इस तरह की चीजें

(श्री रामकरणसिंह)

हमारे राजस्थान में कई जगह होती हैं। उसके लिए माननीय मिनिस्टर साहब का, चेयरमैन महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन पर गौर फरमावें और अनियमिततायें हो रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें।

तकावी के लिये, बहुत कुछ कूओं के लिये लोग दरख्वास्तें पेश करते हैं। पहले तो तहसीलदार साहबान दरख्वास्तें लेने में ही रोड़ा अटकाते हैं, कई दिनों के लिए टोकरी में डाल देते हैं, फिर हुक्म मिलता है, जांच कराई जाय, फिर जबाब मिलता है कि तकावी मंजूर तो हो गई है लेकिन मिलेगी बाद में। वह क्यों? इसलिए कि कहीं किसी साहब की जेब गरम नहीं हुई है, कहीं कड़ब की गाड़ी नहीं दी है, कहीं चारा और सामान नहीं जुटाया इसलिए नहीं दी जाती। इसी तरह से सीमेन्ट की योजना बनाई जाती है, सप्लाई डिपार्टमेन्ट की योजना है। सीमेन्ट जब आता है तहसीलों तक पहुंचने में काफी तितर-बितर हो जाता है, अन्य सामान का भी यही हाल होता है। इसलिए माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था रखें कि तहसील में सप्लाई का सामान इकठा पहुंच जाय और वह वहां बंट सके। इसके अलावा जो सीमेन्ट लेने के लिए आना पड़ता है उनको कई दफा जाना पड़ता है फिर भी कह दिया जाता है कि सीमेन्ट नहीं मिलेगी। बेचारे गरीब मजदूरों और किसानों को पांच दस दफा आने जाने में सीमेन्ट की दुगुनी कीमत देनी पड़ जाती है इसलिए मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाय कि आसानी से उनका काम हो जाय; तहसील में व्यवस्था कर दी जाय ताकि उनको वहीं सामान मिल जावे।

इसके अलावा नये नये बांध बनाने की योजनायें तो बनाई जा रही हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि पुराने बांधों को भुलाया जा रहा है। यह क्या बात है कि पुराने खतम किये जांय और नये बनाये जांय। बुचारा बांध जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोटपूतली के पास है। यह कभी योजना में नहीं आया वरना इस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाय तो यह २-३ तहसीलों में पानी दे सकता है, लेकिन इसको कभी ध्यान में नहीं रखा जाता है। पुरानों को भुलाकर नये योजना में रखे जाते हैं और पैसा खर्च किया जाता है।

इसके अलावा नेशनल हाईवे जयपुर से दिल्ली तक जाती है, वह शाहपुरा बैराठ होकर जाती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पुराने इतिहास को देखिये या रेकार्ड देखिये, आपको पता चलेगा कि तीन तीन कोस की दूरी पर दिल्ली तक प्याऊ के निशान मिलेंगे। कोटपुतली होता हुआ सीधा रेवाड़ी जाता है और आगे दिल्ली को सड़क से मिलता है ऐसे चिन्ह पाये जाते हैं। लेकिन केवल कुछ इने गिने लोगों के इशारे पर सरकार ने इस सड़क को ऐसे ढंग से मोड़ा है कि वह कामयाब पूरी नहीं होगी और अन्त में सरकार को मजबूर होकर रास्ता बदलना पड़ेगा जिसमें काफी और दूरी का फर्क पड़ेगा।

योजना और व्यवस्था के लिए जो कुछ कहा है उस सिलसिले में एक भाई ने कहा कि विरोधी दल को चाहिए कि वे सहयोग दें। मैं यह कहूँगा कि हम लोगों से कभी यह आशा नहीं करनी चाहिये कि हम साथ देने को तैयार नहीं। यदि सुव्यवस्था के लिये

(श्री रामकरणसिंह)

सहयोग लिया जाय तो हम लोग आप लोगों से सहयोग देने में एक कदम आगे रहेंगे। इसके अलावा व्यवस्था के बारे में यह कहा गया कि इस समय चोर–डाकू खत्म हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गोविन्ददेवजी के मन्दिर में चोरी हुई। बड़े बड़े चोर डाकू खत्म हो गये बताये जाते हैं तो वहाँ पर चोरी करने वाला कौन था। इसके अलावा जब कभी चोरी होती है उस समय मीणा जाति के लोगों को बहुत तंग किया जाता है। क्या मीणा जाति में जन्म लेने से सब चोर हो जाते हैं। गोविन्ददेव जी की चोरी के सिलसिले में भिन्न २ तहसीलों के मीणों को इकट्ठा किया गया और उनको तंग किया गया। लेकिन न जाने किस जाति में चोर मिले। इस तरफ पुलिस अधिकारियों और राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई किसी जाति में जन्म लेता है तो जन्म लेने के कारण से ही उसमें दोष और पाप नहीं ढूंढे जाने चाहिए।

इसके अलावा पशु पालन पर भी काफी जोर दिया गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् ५० के बाद काफी गोचर भूमि एलोट कर दी गई है वह उन आदमियों को एलोट नहीं हुई है जिनको कि जमीन की जरूरत थी बल्कि उनको एलोट हुई है जो मिनिस्टरों के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या जिन्होंने उनको वोट दिलाये हैं; ऐसे लोगों को जमीन दी दी गई है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये और इस दिशा में आपको काफी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये।

कानून और व्यवस्था के साथ जागीर खत्म करने की भी बात कही गई है और कहा है कि हम इनको खत्म करना चाहते हैं। इस सिलसिले में इतनी ढिलाई बर्ती गई है कि जागीरदार और किसान दोनों आपस में लड़ने को खड़े हो गये और आपस में मुकदमे बाजी पैदा हो गई है और उन दोनों को लड़ाकर नष्ट किया जाता है। क्यों नहीं ऐसे कानून बनाये जायं कि १०-१५ दिन या महीना दो महीने बाद कोई मुकदमा नहीं चल सके और जो कानून बना दिया जाय उसके बाद बेदखली नहीं हो सकेगी। इसके अभाव में बेचारे किसानों और जागीरदारों, दोनों की बर्बादी होती है और वकील लोग एक दूसरे को लड़ा कर, अपना काम बनाकर खत्म करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नियम और कानून हैं उनको ऐसा बनाया जाय कि जिससे किसी ढंग से मुकदमा चलाने की गुंजायश नहीं हो और सख्त सजा दी जाय। जो बेदखलियाँ हुई उनके लिये यदि किसी गरीब के पास पैसा है और खर्च कर सकता है तो वह काफी दिनों तक लड़ कर सहयोग प्राप्त कर सकता है लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता उसको अन्त में कानून होते हुए भी नीचा देखना पड़ता है। इसलिये इनके लिये ऐसा उचित कानून होना चाहिये जिससे दोनों की बर्बादी नहीं हो।

इसके अलावा भिन्न भिन्न जगहों पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलने की स्कीम रखी गई है और सोसाइटीज़ खोली भी गई हैं लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां से एन्टी कांग्रेसी जीत कर आया है वहां पर डेवलपमेन्ट के कार्य या सोसाइटी खोली गई हो। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामकरणसिंह)

कि ऐसी पक्षपात भरी बातें नहीं होनी चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेयरमैन महोदय, दो आदमी क्यों बोलने के लिये खड़े हुए हैं ?

श्री सभापति (श्री बरकतुल्लाहखां) : (श्री मुरलीधर व्यास से) आप बैठ जाइये। अभी इनकी स्पीच खत्म नहीं हुई है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली):(जारी) अब मैं आपका ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा का भी यही हाल है। कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो इतनी स्कूल्स और कॉलेजेज हैं जो उल्टी करते हैं और कई जगहों पर खोजने पर भी स्कूल और कॉलेजेज नहीं मिलते हैं। मैं उदाहरण के लिये कोटपुतली की बात रखना चाहता हूँ। ६० मील में कोई कॉलेज नहीं है। कोटपुतली में केवल एक हाई स्कूल है जो ठिकाने ने हेन्ड ओवर की है। वहां पर तनख्वाह का यह हाल है कि यदि किसी चपरासी को नये स्केल से नियुक्त किया गया है तो उसको ४५ रुपये मिलते हैं और ठिकाने के समय के अध्यापक को चाहे वह ग्रेजुएट ही क्यों न हो उसको ३८ रु० और कुछ आने पहले थे वे ही अब भी मिल रहे हैं। ठिकानों के द्वारा स्कूलों को हेन्डओवर किये ३ साल हुए लेकिन अब तक उनको ३८ रु० और कुछ आने ही मिल रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी का आभारी रहूँगा यदि वे कोटपुतली, खेतड़ी और सीकर ठीकानों द्वारा हेन्ड ओवर की गई स्कूलों के मास्टरों का फिक्सेशन करने की ओर शीघ्र कदम उटावेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी तहसील कोटपुतली के अन्दर पशु-चिकित्सालय ठिकाने का था। मगर अब आस-पास की तहसीलों में कोई पशु चिकित्सालय नहीं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तहसील के जो किसान है, उनके पशु की बीमारी के लिए पशु चिकित्सालय का प्रबन्ध करावें।

४.०१ म० प०

शपथ न लेने पर भी सदन में बैठने पर आपत्ति

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir, on a point of information that one of the Hon'ble members has not taken oath, and he is participating in the proceedings of the House. According to rules the Hon'ble Member is a stranger to the House.

श्री सभापति (श्री बरकतुल्लाह खाँ) : An Hon'ble member who has not taken oath is not entitled to sit in the House or participate in the debate.

श्री श्रीभानसिंह : He is already participating in the meeting of the House since, I think, 12 O'clock.

श्री सभापति : If the Hon'ble Member has not taken oath, he is not entitled to participate in the debate or sit in the house.

श्री श्रीभानसिंह : That is what ? I am pointing out. The Hon'ble Member is still sitting in the House.

श्री सभापति : Will the Hon'ble member please let me know who is the Hon'ble Member ?

श्री श्रीभानसिंह : Shri Raghubir Singh Javali, the would be leader of Opposition, Sir.

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंहजी मुझे यह बतायें कि क्या अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली ...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, यदि कोई सदस्य शपथ नहीं लेता है और वह डिबेट्स में भाग लेता है तो वह स्ट्रेन्जर के रूप में कार्य करता है। डिबेट में भाग लेने का प्रश्न नहीं है। वे सदन में बैठे हैं और सदन में बैठने का उनका अधिकार है इसलिए माननीय सदस्य को हटाया नहीं जाय, सदन में न बैठने की पाबन्दी न लगाई जाय। दूसरी बात यह है कि जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली थी, उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया था कि हमें इस समय शपथ दिला दीजिये लेकिन अध्यक्ष महोदय ने, यह समझ कर कि शपथ कल दिलाई जायगी, कहा कि वे सदन में बैठे रहें तो अनुचित न होगा। अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि उन्होंने शपथ नहीं ली है और उन्होंने यह पूछा कि वे यहां बैठे रहें या बाहर चले जांय ? अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है कि वे बैठे रह सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह केवल आपत्ति उठाये जाने की गरज से आपत्ति उठाई है।

श्री श्रीभानसिंह : Your Honour has already given a ruling that the Hon'ble member cannot participate in the proceedings of the House, and the Hon'ble Member is challenging your ruling.

श्री भैरोंसिंह (१४) : डिबेट में भाग न लेने के सम्बन्ध में रूलिंग हुई है।

श्री सभापति : Under rule 18 ; रूल १८८ के मुताबिक कोई मेम्बर हाउस में बैठा नहीं रह सकता, डिबेट में बोल नहीं सकता जब तक कि ओथ नहीं ले लेता।

The actual wordings are :

"Eevry member of the legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule."

तो इसलिए श्रीमान्...........

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज जब कार्यवाही शुरू हुई थी उस समय मैंने अर्ज किया था और निवेदन किया था कि क्योंकि श्री रघुवीरसिंह जी आ गये हैं और वह ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण शुरू करेंगे और धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोधी दल की ओर से बोलेंगे; मैंने उस समय इजाजत मांगी कि ओथ एडमिनिस्टर करा दें। उस समय

(श्री तनसिंह)

बताया कि क्योंकि वे लेट आये हैं इसलिए उनको ओथ नहीं दिलाई जा सकती। उस समय मैंने पूछा भी था कि क्या वे हाउस में बैठ सकते हैं या नहीं, कहा गया कि अभी बैठे रहें। अभी मैं माननीय अध्यक्ष के पास चेम्बर में गया, उनसे कहा कि अभी आप मेम्बर को ओथ एडमिनिस्टर करा दें। उन्होंने कहा कि अभी तक चेम्बर में कोई ओथ एडमिनिस्टर नहीं की है, इसलिए लाचार हूँ। मैं श्री रघुवीरसिंह को निवेदन करने आया था कि वे चेम्बर में जाकर कन्विन्स कर दें कि वे ओथ दिलवा दें क्योंकि चेम्बर में ओथ ली जा सकती है। मैं निवेदन करने जा रहा था कि माननीय सदस्य ने इस आपोर्चुनिटी का फायदा उठाकर स्थिति बनाने की कोशिश की। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उनको ओथ दिलाने के लिए तैयार कर रहा था और वे बाहर जाने ही वाले थे।

श्री सभापति : चाहे स्पीकर ने कोई ओफिशियल रूलिंग दी हो, लेकिन मैं यह कैसे समझ सकता हूँ कि श्रीमान् मेम्बर इस हाउस में कैसे बैठ सकता है जब कि अन्डर रूल १८८ में क्लियरकट लिखा हुआ है कि जब तक शपथ नहीं ले लेंगे, कोई सदस्य हाउस में बैठ नहीं सकता। लेकिन अब प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मेम्बर साहब खुद ही तशरीफ ले जा चुके हैं।

(श्री रामकरण सिंह की ओर संकेत कर) हां साहब, शुरू कीजिए।

श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : स्पीकर (चेयरमैन) महोदय, इसके अलावा पशु चिकित्सालय जो तहसील कोटपुतली में पुराने ठिकाने खेतड़ी का एक पशु औषधालय था, जब ठिकाना खत्म हुआ और राजस्थान गवर्नमेंट ने कार्यभार सम्भाला उस समय से वह पशु-चिकित्सालय खत्म कर दिया और आज तक उन किसानों के प्रति, जिनके अधिकतर पशु बीमार हो जाते हैं और उनको इधर उधर गांवों में दवा नहीं मिलती है, कोई भी किसी तरह का प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा करीब २५ साल पहले जो सड़कें डाबला से कोटपुतली बनाई गई थीं और जो ठिकाने के समय से कोटपुतली से डाबला व अन्य गांवों में आने-जाने का एकमात्र साधन थी उन सड़कों को ठिकाने के समय बनाया गया था, उसके बाद में शायद ही कभी सरकार ने उनको बनाने की कोई योजना बनाई हो या कोई काम भी किया हो।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान पंचायतों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। कितनी ही पंचायतें मैंने देखी हैं, उन पंचायतों के मेम्बर इतने पार्टी पोलिटिक्स में फँसे रहते हैं कि वे लोगों के साथ किसी तरह से कोई भी न्याय नहीं करते और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर, व्यक्तिगत चीजों को लेकर पंचायतों में बैठते हैं। कई पचायतें ऐसी हैं कि जिन पंचायतों के सरपंच और पंच कागजात आदि लेकर चले जाते है, और घर पर ही पंचायत बुला लेते हैं। दो पंच उधर काम करते हैं दो पंच इधर काम करते हैं और अन्य पंच आधे २ बंट जाते हैं और मनमाने ढंग से काम करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा, इसकी अधिक जानकारी मुझे है क्योंकि वहां मैं कुछ दिनों काम कर चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अन्धाधुन्ध काम होता है, बे-तरतीब

Page No.76

(श्री रामकरणसिंह)

जाय और उन गरीब काश्तकारों का पैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आता है उसको बचाकर उन गरीबों को पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें।

पिछड़ी जातियों के लिए जन-कल्याण विभाग है, उससे राजस्थान की हर तहसील में हरिजन पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाते। कोटपुतली और बैराठ साइड में जो हरिजन है उन्होंने इससे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं उठाया है। अन्य सहूलियतें दूसरी तहसीलों में हरिजनों को जो मिलती हैं वे हमारी तहसील में नहीं मिल रही हैं और जन-कल्याण विभाग के इन्सपेक्टर्स एक दफा अभी तक वहां जा पाये हैं। इसके अलावा कोओपरेटिव सोसाईटीज़ के लिए मैं कह सकता हूं कि तीन-चार महीने कोशिश की गयी, जिस विभाग को चलाने के लिये इन्सपेक्टर्स रखे गये हैं, जिस कार्य के लिए यह विभाग खोला गया है उससे हमें बिल्कुल वंचित रखा गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब तरफ ध्यान दें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और डेवेलपमेंट ब्लोक सबकी ओर ध्यान दें, सब इलाकों की ओर ध्यान दें; चाहे वहां से कांग्रेसी उम्मीदवार जीत कर आये हों या नहीं आये हों, वह सब आपकी आम जनता है। इसके अलावा एक और भी बात है कि जहां से कांग्रेसी उम्मीदवार जीत कर नहीं आये हैं वहां पर भी तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये हैं, तो वहां उन्हें कांग्रेस को वोट देने के बावजूद भी फायदा नहीं मिलता। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये उस जनता को कम से कम लाभ मिलना चाहिये।

जिला बोर्ड के चेयरमैन सप्ताह में दो दफा कोटपुतली आते हैं और जाते हैं। क्या उनको इस तरह का अधिकार हैं कि वहां रह कर काम कर सकें और अगर वे वहां रहना ही चाहते हैं तो चार बस मोटरें रोजाना आती हैं और जाती हैं, अगर उनको आना है जाना है तो बसमें आयें जायें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पैसा इस तरह पैट्रोल में खर्च कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने यह समझ रखा है कि किसानों का पैसा इस तरह ऐंठ लिया जाय और अपने आदमियों को फायदा पहुंचाया जाय? उन किसानों की जरा भी परवाह नहीं करके उनको नुकसान पहुँचाया जाता है और उनके पैसे से दूसरे लोग ऐशो आराम करते हैं।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कई जगह स्कूलें हैं और जहां राजकीय स्कूलें भी हैं जिनमें टसल चलता रहना है और इसका नतीजा यह होता है कि न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्कूल फायदा कर सकती हैं और न राजकीय स्कूल फायदा कर सकती हैं। दुर्गापुरा में इस तरह की दोनों स्कूलें हैं, उनमें रोज टसल चलती रहती है और इस तरह दोनों स्कूलों के टीचर्स आपस में लड़ते रहते हैं और जनता उन स्कूलों का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकती।

इसके अलावा फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस डिपार्टमेंट के ऐसे नियम बने हुए हैं कि किसानों को लकड़ी काटने का अधिकार नहीं है। जो किसान कूआ जोतते हैं, हल जोतते हैं, उनका अगर कोई औजार टूट जाय; कूआ जोतते समय लकड़ी के औजार एक दम टूट जायँ तो वह कहाँ से काटें? इसके लिए उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है। गिरदावर जांच करता है, पटवारी जांच करता है फिर लकड़ी

(श्री रामकरणसिंह)

काटने की इजाजत आती है और इस तरह इजाजत मिलने में एक-डेढ़ महीना लग जाता है और कभी लकड़ी काटने की इजाजत मिलती है और कभी नहीं मिलती है। इस तरह की अनियमितता पर रोक हो, इसके लिये मैं दर्खास्त करता हूं कि किसान कुए छोड़ कर जाते हैं और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि हम किसानों को ये सहूलियतें दे रहे हैं वे सहूलियतें दे रहे हैं। सहूलियतें देना तो दूर, आप उनको औजार बनाने की सहूलियत तो दे दें। आपकी लग्जूरियस चीज पंखा बन्द हो जाता है तो फौरन बिजली वालों को तंग किया जाता है, पर किसानों के उनकी खेती के साधन टूट जांय तो वे किस तरह काम चलायें, इसकी आवश्यकता समझ कर फोरेस्ट डिपार्टमेंट के नियमों में अमेंडमेंट करने की कोशिश करके, किसानों को जो लकड़ी की आवश्यकता पड़े उसे काटने का अधिकार जरूर दिया जाना चाहिए ताकि समय पर काट कर अपने काम में सुचारु रूप से लगे रहें।

एक तरफ तो किसानों को अपनी आवश्यकता की लकड़ी काटने की इजाजत नहीं दूसरी तरफ कोटपूतली की तरफ कांसली में आयुर्वेद औषधि निर्माण शाला है वहां हजारों मन लकड़ी जलाई जाती है, जब कि हमको हल और पाट के लिए लकड़ी काटने की इजाजत नहीं दी जाती है। एक तरफ पूंजीपतियों को इतनी लकड़ी काटने की इजाजत दी है और दूसरी तरफ किसानों को अपने खेती के कामों के लिए भी लकड़ी काटने की इजाजत नहीं है, यह कहां का न्याय है ?

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

४. २०–म० प०

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि किसानों को कृषि के काम के लिये जरूरी लकड़ी काटने की इजाजत दी जाय। अगर आपने उन गरीब लोगों की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया या उन पर कृपा नहीं की तो वे लोग आपके खिलाफ हो जावेंगे, यह बात तो मैं नही कहता लेकिन फिर भी जब आप उनसे वोट मांगने जावेंगे तो वे आपसे जबाब मांगने के अधिकारी हो जावेंगे कि जब हमारे प्रतिनिधियों ने आपके सामने हमारे लिए वाजिब मांग रखी और प्रस्ताव किये तो आपने उनकी खिलाफत की। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर पूरी तरह ध्यान देकर कदम बढ़ाना चाहिये और खास कर हरिजन और किसानों की तरफ पूरी तरह ध्यान देकर उनको मदद देनी चाहिये। बड़े बड़े आदमी अपना काम करा लेते हैं मगर इन बेचारे गरीब किसान और मजदूरों के पास पैसा नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं है आप तक पहुँचने के। जब वे आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको डराया और धमकाया जाता है। आज स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार से उन लोगों को डराया नहीं जाना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गीदड़ शेर की खाल पहन कर डराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि इस तरह से शेर की खाल पहनी जाती है और यह कहा जाता है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय, यह ठीक नहीं है; उनकी तरफ उचित ध्यान दिया जाना चाहिये और उनकी मांगों पर पूरा ध्यान देकर उनको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे और उनको यह समझ कर टाल नहीं देंगे

Page No.78

(श्री रामकरणसिंह)

कि यह मांग विरोधी दल की तरफ से की गई है; वे ऐसे ही कहते होंगे, तो यह ठीक नहीं। मैं फिर एक दफा आपसे कहता हूं कि जो उचित मांगे किसानों की और हरिजनों की हैं उनको अगर नहीं माना जावेगा तो किसान आपके सामने एतराज लेकर जरूर उपस्थित होंगे और राजस्थान के कोने कोने से आवाज आवेगी और आपको उस समय जवाब देना मुश्किल हो जावेगा और मालूम होगा कि वास्तव में काश्तकारों के साथ अन्याय किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको किसानों के लिए दया रखनी चाहिये और हमारा भी सहयोग लेकर हर तरह से उनको फायदा करना चाहिये। और अन्य बातें ध्यान में नहीं रखनी चाहिये जहां तक काम हो करना चाहिये, यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री मोघजी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने राजस्थान विधान सभा में जो भाषण दिया है उसके बारे में मेरा यह विरोध है कि पंचवर्षीय योजना में जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जावे और गरीबों और बेकार किसानों की उन्नति के लिए और विकास योजनाओं के लिये, जैसे कि पिछली योजना में किया गया, वह सब गलत तरीके से खर्च किया गया है या किया जा रहा है क्योंकि बांसवाड़ा जिले में विकास योजना किसानों के लिये नहीं रखी गई है और कोई उद्योग धन्धे नहीं खोले गये हैं। कई आदर्श गांव भी बसाये गये जहां पर बिना जमीन के जो भील किसान थे और बगैर बैलों के लोग थे, भील लोग थे उनको बसाया गया, ऐसा उद्घाटन भाषण में बताया गया है लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है, गरीब है, गुलाम है, ऐसी स्थिति में गरीब किसानों को जो आदिवासी भील आदि कई तरह के हैं उनको न बसाकर जिनके पास जमीनें और बैल हैं उन्हें बसाया गया है। इसके अलावा जहां पर आदर्श ग्राम को बसाने का उद्घाटन किया गया उस गांव में स्कूल बनाई गई, कुंआ भी खोदा गया मगर उसी साल बरसात में और उसके बाद कुआ बुंद जाता है और स्कूल भी गिर जाती है। इसलिये इतने रुपयों से जो कुआ खुदाया गया, स्कूल बनाई गई वह सब बेकार गया। आदर्श गांव के जो लोग होते हैं वे बेकार, कामचोर और आलसी बने। वास्तव में जिन लोगों को जमीन की जरूरत थी उनको न बसाकर अपने पक्ष के लोगों को दलबन्दी करके बसाया गया। इस तरह की कोई भी मिसाल माननीय सदस्य बतायें कि हमारे जिले में इस माफिक उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में जहां भील और गरीब काश्तकार दाने दाने के मोहताज हैं, रहते हैं उनके पास पैसा नहीं और जिनकी पहुँच उन तक नहीं वे उन तक पहुँच नहीं पाते, वहां नहीं खोला गया। इसी तरह से ब्लोक को खोलकर गलत तरीके से रुपया खर्च किया जा रहा है और यह जो पंचवर्षीय योजना में रुपया खर्च किया जाता है वह उसी तरह से दलबन्दी के आधार पर खर्च होता है। दलबन्दी पर जो भी रुपया खर्च होता है वह गवर्नमेंट और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही माना जाता है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल बोर्ड और ग्राम उद्योग, आदर्श गांव बसाने, या कई तरह के जो इसके अन्तर्गत हैं, इसमें आदर्श संस्थाएं बनाई हैं वे हैं रूपया के आना, दो आना, चार आना की। इसमें गैर सरकारी आदमी भी खर्च कर सकते हैं और सरकार भी खर्च

(श्री मोघजी)

कर सकती है । यह गलत तरीका है । इसलिये समझ में नहीं आता कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसी प्रकार आगे उद्योग और बेकारी और बेरोजगारी मिटाने के लिये सरकार की ओर से जो एक्शन हो इसी ढंग से बनायें तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह से भील और गरीब लोगों का भला नहीं होगा और उन गरीब लोगों और भीलों के नाम पर हजारों रूपया खर्च हो जावेगा और अभी भी जो खर्च किया जा रहा है वह वास्तव में उन लोगों पर खर्च किया जावे । यों तो सरकार की मोटरें दौड़ेंगी और कहा जायगा कि भील बस्ती बनेगी लेकिन कोई फायदा नहीं होगा । आज भी इसका एक भी नमूना, पंचवर्षीय योजना में जहां जहां विकास खंड खोले गए वहां एक भी नमूना साबित करके बतावें कि आपने ऐसा कौन सा आदर्श ग्राम बनाया है ? एक चीज जो हमेशा के लिये बन गई हो जिसकी लोगों को जरूरत थी ? सरकार एक भी ऐसी चीज अभी तक नहीं बना पाई और रुपया अन्य तरीकों से खर्च होता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार हर पंच वर्षीय योजना में इसी तरह दलबन्दी के आधार पर रुपया खर्च करेगी तो गरीबों के लिये कोई फायदा नहीं होगा और बेकारी और बेरोजगारी जिसको सरकार दूर करना चाहती है दूर होना कठिन है । इसलिए सरकार की जितनी रकम पंच वर्षीय योजना में खर्च होती है वह किसी दलबन्दी के आधार पर खर्च न करके अपने हाथ में खुद रखे और ऐसे कानून की व्यवस्था बनाये कि जिससे सरकार का काम ठीक तरह से चले और किसानों को फायदा हो। किसानों को समय पर रुपया मिलना चाहिये। जैसे किसानों को जब तकावी की जरूरत होती है उसको किसी प्रकार के खेती के औजार लाने की जरूरत होती है, बीज लाने के लिए रुपयों की जरूरत होती है. ऐसे समय पर उनको पैसा मिल जाय तो उनका काम ठीक तरह से चल सकता है । जब कि उसे समय पर पैसा नहीं मिल पाता है तो जो औजार वह खेती करने के लिए खरीदना चाहता है वह औजार नहीं ला सकता, बीज नहीं ला सकता है। किसान को, काश्तकार को पैसों के लिए मारा-मारा फिरना पड़ता है। जब बरसात का मौसम होता है उस समय कहाँ तहसील है और कहाँ कलेक्टर का बंगला है, कहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पड़ता है सब जगह वह फिरता है । इन जगहों से किसान बीस-तीस मील दूर रहता है ? तो ऐसे लोगों को जो कि इतनी इतनी दूर बसते हैं, उनको क्या सुविधा हो सकती है ? वह क्या ला सकता है और क्या कर सकता है? वह खेती भी समय पर नहीं कर सकता है। इस तरह से किसानों के हित में कानून बनते हैं लेकिन कानून किताबों में ही लिखे रह जाते हैं और उसका पालन कराने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वे अपनी मन-मर्जी से काम करते हैं और मन-मर्जी से पैसा खर्च करते हैं और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बताऊं । अब सदन के सामने यह निवेदन है कि कोई हमारे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एस०डी०ओ० हैं जो कि किसानों के बारे में ऐसे उदाहरण हैं जो कि न्याय का अन्याय करते हैं और पक्षपात करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि हमारे बांसवाड़े की फसल आम चौमासे में खराब हो जाती है, रबी की फसल भी खराब हो गई । फसल में नुकसान हो जाता है । इसके लिए ग्राम पंचा-

(श्री मोघजी)

यतें मौजूद हैं, इसके लिये उन्होंने आवाज उठाई, और कलेक्टर के बंगले भी गये और यहाँ तक कि माननीय मंत्रीजी, चीफ मिनिस्टर, पंचायत विभाग और कलेक्टर बांसवाड़ा को इसके लिए जो रजिस्ट्री द्वारा अपनी मांग रखी गई जिसके बारे में ६ महीने तक पंचायत को किसी प्रकार का भी जवाब नहीं दिया। इस तरह से वहाँ की फसल जो नष्ट हुई है उसके बारे में कलेक्टर कोई खुलासा नहीं कर सका है, तहसीलदार उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है। इस तरह से किसानों की यह दुर्दशा करने के अधिकतर जिम्मेदार सरकारी अफसर ही हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हों उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये और अगर उनकी गलती है तो उनको नौकरी से हटा दिया जाय। अगर ऐसी ही व्यवस्था सरकार की बनी रही तो आगे के लिये असम्भव है कि किस प्रकार राजस्थान सरकार सुख और शान्ति की व्यवस्था बनाये रखेगी। इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा गरीबों की आवाज को सुने और उनको समय पर पैसा मिल जाय तो यह सारी दिक्कतें उनको न उठानी पड़ें। किसानों को जो तकावी खेती के लिये, बीज खरीदने के लिए या और दूसरे खेती के काम करने के लिए मिले वह समय पर मिले। इसलिए सरकार हर प्रकार की रकम खर्च करती है और यह रकम किस प्रकार से खर्च करनी चाहिए और किस प्रकार से नहीं, इसके लिये एक कमीशन बिठाये जिससे कि पता लग सके कि काश्तकारों को समय पर पैसा मिल जाता है या नहीं, आया उन तक पैसा भी पहुंचता है या नहीं? इसके लिए सरकार एक जांच समिति बनाये। जहां कूए बन रहे हैं, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिला बोर्ड की ओर से १६५ कुएं बनाये गए, जिन पर न जाने कितने हजार रुपये खर्च किए गए; इसमें आज तक एक भी कूआ कम्पलीट नहीं बन सका। सब के सब कुऐं अधूरे है और आगे के लिये कूओं को पूरा करने के लिए दूसरी रकम प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। जब इतना लाख, डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जाता है और एक भी चीज जनता की पूरी नहीं हो पाती है तो इस तरह से रुपये का दुरुपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कम से कम हर महकमें में, हर विभाग में जो ऐसी सुविधा दी गई है कि अपनी मरजी से चाहे जैसा करें और चाहे जिसमें जितना रुपया खर्च करें, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस सरकार का क्या होगा? तो सरकार गरीबों की दुर्दशा दूर करने के लिये जरूर ऐसा कानून बनाये जो कि किसानों के हित में हो और उनको ठीक समय पर मिल सके। मैं सरकार को फिर कहूँगा कि किसानों को जरूरत के माफिक पैसे का इन्तजाम हो जाय तो वास्तव में उनकी गरीबी किसी हद तक मिट सकती है। लेकिन अधिकारी लोग अन्याय करते हैं और मनमानी करते है, इनकी जांच की जाय और सुबूत मिलने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उनको सजा दी जाय। तो मेरा कहना है कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि लोगों को राहत मिले, यही मेरा निवेदन है। यहाँ के लोगों ने जो लगान के बारे में अपनी मांग की है, टिनेन्सी एक्ट जो कानून बना है उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। गांव में डंडों के जोर पर लगान वसूल किया जाता है, ऐसी सूरत में वहाँ के कलेक्टर महोदय ने लोगों को कहा कि तुम्हें-जल्दी ही खुलासा कर दिया जायगा और फिर उनसे जब दूसरी बार मिलने के लिये जाते हैं तो वे कहते हैं कि

(श्री मोघजी)

कानून में इस प्रकार का कोई प्रोवीज़न नहीं है। पहले तो कहते हैं कि आपको छूट दी जायगी, मगर फिर कहते हैं कि किसी प्रकार की छूट नहीं है। तो इस तरह से किसानों को खुलासा भी नहीं किया जाता है। वहां के लोगों ने यह मांग की कि वहां महंगाई हो रही है, नाज की बाहर निकासी नहीं हो। फिर सरकार उसके लिये कुछ भी नहीं सोच रही है, यह क्या बात है?

तो वहां के लिए यह कहा जाता है कि सस्ते अनाज की दुकानें खोल दी गई हैं, बाहर से अनाज मंगवाया गया है। लेकिन आपको मैं सूचित कर दूं कि आज तीन महीने का अर्सा हुआ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सस्ते अनाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज सरकार जो अपने को गरीबों की हमदर्द कहती है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आज स्थिति यह है कि गरीब लोग, उनका मुंह देखते रहें, उनके पीछे पीछे भटकते रहें फिर भी कोई काम नहीं होता। कानून में ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है।

वहां की स्कूलों के बारेमें सभापति (अध्यक्ष) महोदय, मैं अर्ज करूं पचास-पचास गांवों में कोई स्कूल नहीं है, न दवाखाने का इन्तजाम है, घाटोल वागीडोरा में वर्षों से डाक्टर नहीं, नर्स और कम्पाउण्डर की तो बात ही क्या? घाटोल एक एरिया है, वहां का सीधा सम्बन्ध प्रतापगढ़ से है। खाद्यान्न वगैरह के बारे में भी प्रतापगढ़ से सम्बन्ध रहता है। वहां माही नदी के आगे किसी भी सरकारी आदमी ने जाकर, कलेक्टर ने जाकर नहीं देखा है कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है? आज तक वहां के लोगों को कोई सुविधायें नहीं हैं। इस तरह से एक एरिया जिसका ताल्लुक सीधा प्रतापगढ़ से है उसी के अन्दर इसको मिला दिया जाय। इसी इलाके में एक अरणोद गांव है, वहां पंचायत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही कोई सुविधा है। वहां के लोगों के लिए पंचायत नहीं, वहां के कुओं के लिए तकावी मांगी जाती है, वह हमेशा के लिए टाल दी जाती है। इस प्रकार दूर दूर फैला हुआ जो एरिया है उन लोगों को सुविधा के लिए कुछ करना जरूरी है। वहां जो ब्लॉक पर रुपया खर्च किया जाता है वह कानून और नीति के खिलाफ है।

हमें चाहिए कि भ्रष्टाचार और अनीति को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिये। जो पंचवर्षीय योजना में रुपया हम खर्च करने जा रहे है उसके लिये जांच कमेटी बनायी जाय ताकि यह पता लग सके कि किसी प्रकार दलबन्दी के आधार पर तो खर्च नहीं हो रहा है। सामाजिक सुधारों में भी किस प्रकार दलबन्दी काम कर रही है, आज इसी कारण जनता का पैसा पूरी तरह से काम में नहीं आ सकता। बस मैं यही अर्ज कर बैठ जाता हूं।

श्री हीरा (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, गवर्नर महोदय के भाषण को देखते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिन बातों का गवर्नर महोदय ने जिक्र किया है उनको हम कई अरसे से सुनते आ रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम हमेशा से लड़ते आ रहे हैं किन्तु वे आज तक पूरी नहीं हो पाईं। आजादी के वक्त भी यही बातें कही गई थीं। हमारा बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान में एक प्रकार से खड्डे में गिरा हुआ है, वहां पर योजना की आवाज कई

(श्री हीरा)

अरसे से सुनाई देती रही है और कुछ भी कार्य उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। आज जिस विधान सभा में हम आये हैं वहां हमें पार्टी-बन्दी को छोड़कर कार्य करना चाहिये। यह तो मैं जरूर जानता हूं साहबान कि जहां पक्षपात की चीज आती है वहां अपने अपने रिश्तेदारों को, न्यातियों को ले लिया जाता है। वह एक शिड्यूल्ड एरिया है। वहां के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, वहां सभी अनपढ़ लोग हैं, उस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। सभापति जी, वहां पर जो कूए खुदवाये गये उनका बिल एक हजार रुपये का बनवाया गया। जो कूए दो सौ, ढाई सौ में बनते हैं उनके लिये सरकार ने एक एक हजार का बिल बनाया। हम लोग गरीब तबके के हैं और अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार का खजाना भरते हैं लेकिन वह खजाना दलबन्दी के आधार पर खर्च होता है, आज दलबन्दी के आधार हमारी धनराशि खर्च की जा रही है, कोई भी सुनने वाला नहीं है।

एक तरफ गवर्नर महोदय फरमाते हैं कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं, जो किसान जाति पिछड़ी हुई है उसको ऊपर लाने की जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं। गत साल से बांसवाड़ा जिले में जहां कुशलगढ़ का इलाका है लोगों ने मकान बनवाये, झोपड़ियां बनवाईं। आब आजादी के बाद हर किसान चाहता है कि उसके रहने के लिए ईंटों का पक्का मकान बने। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट एक तरफ तो यह कहती है कि हम किसानों की हालत को ऊपर उठाना चाहते हैं वहां दूसरी ओर जो किसान झोपड़ियां बनाने के लिए जमीन मांगते हैं तो इन्कार कर दिया जाता है। वहां के किसानों को सरकार की ओर से कहा गया कि बिना इजाजत के तुम मकान नहीं बना सकते, तुम्हें मकान बनाने के लिए जमीन नहीं दी जायगी। जब जमीन की इजाजत के लिये सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वहां पर दो-दो साल तक इजाजत नहीं मिलती। जब तहसीलदार महोदय को पूछते हैं तो वह कहते हैं कि आप पड़त भूमि पर मकान बना सकते हैं और पड़त भूमि पर मकान बनाते हैं तो हटाने के नोटिस दिये जाते हैं। जहां तक कानून की पाबन्दी का सवाल है हम भी पाबन्दी चाहते हैं, पर जब अधिकारी मनमानी करते हैं तब कानून हाथ में लोग लेते हैं। वहां पचासों एकड़ में किसान बसे हुए हैं पहाड़ों की तलहटी में। वहां के लिये कानून ऐसा रख दिया, सरकार ही मकान बनाने की इजाजत उसी जमीन पर देती है जो पड़त हो और पड़त जमीन पहाड़ पर ही मिल सकती है। हम तो चाहते हैं कि सरकार ही पहाड़ पर मकान बनाकर दे दे। किसानों को खाली परेशान क्यों किया जाता है, यह क्या बात है? न तो उनको मरने देना चाहते हैं और न उनके साथ जिन्दा रहने देने का बर्ताव किया जाता है

इस तरह से हमारे देहातों में जो पिछड़े हुए इलाके हैं उसमें दरिद्रता बहुत है, वहां पर भी पक्षपात की बातें होती रहती हैं, वहां भी पार्टीबाजी चलती है। हमारे प्रान्त के ऊँचा उठाने में सब लग जावें। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार उसी इलाके में काम करती रहती है जहां चुनाव में उसके आदमी जीत जायेंगे इसलिए पार्टीबन्दी और दलबन्दी से वहां सब काम होता है। आपको यह सोच लेना चाहिये कि आज कांग्रेस की सरकार है। हो सकता है कल समाजवादियों की

(श्री हीरा)

भी सरकार बन सकती है। सरकारें बदलती हैं पर जनता तो जनता ही रहेगी। वह अपने हकों के लिए विद्रोह करे, उसके पहले चेतें अन्यथा कोई भी सरकार हो, समझ लेना वह बारूद के ढेर के ऊपर है। कभी भी आग सुलग सकती है, सिर्फ लगाने वालों की देरी है आज हम देखते हैं कि हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो रहा है खुले आम सरकार खर्च कर रही है। इस तरह से जो धनराशि बरबाद हो जाती है कि जहां कुओं की कीमत केवल सौ, दो सौ रुपये लगी है वहां सरकार को बिल एक हजार रुपये का दिया गया है। हम किसान लोग पसीने की कमाई से राज्य का खजाना भरते हैं उस पर ध्यान न देते हुए आंखे मीचकर बुरी तरह से उसको बरबाद किया जा रहा है। हम कोई पाकिस्तान के लोग नहीं हैं जो सरकार हम लोगों से बदला ले रही है। विरोध जैसी बात तो आप कर रहे हैं, इसलिए हमें तो सही रास्ते के लिए विरोध करना ही पड़ता है। यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बांसवाड़ा में कांग्रेसी दलबन्दी की बात कह देना चाहता हूँ। जहां कांग्रेसी थे वहां पर अच्छी तरह से स्कूलें खुली हैं और हमारे बागीडोरा और कुशलगढ़ जो हैं वहां स्कूलों का कोई ठिकाना नहीं है। फिर आप कहते हैं कि शिक्षा का प्रचार बहुत हुआ है और भाषण निकाल देते हैं। तो यह हमें बुरा लगता है। दस साल आपको कहते हो गये पर हमारे इधर तो अभी स्कूलों का ठिकाना नहीं, सैकड़ों औरतें जापे में मर जाती हैं, कई तहसीलों में डाक्टर नहीं तो फिर दवा भी नहीं, हजारों पशु दवा के अभाव में मर गये। कहते हैं तो जवाब मिलता है कि रोटी नहीं जौ बन जावे और खा लें; होगा धीरे धीरे। आप तो भोली भाली बातें बताकर गरीबों का टाइम निकाल देते हैं, टाइम पर टाइम बताते जाते हैं और हम गरीब लटकते रहें, ऐसा अब नहीं समझना चाहिए। जो पहले जमाने में हुआ वह हो गया, अब वैसा नहीं होने का है।

आप अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुशलगढ़ एरिया में कलेक्टर और तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाकर पूछ सकते है कि किसानों के कितने मकान बन रहे हैं और कितने तहसीलदार ने रोके हैं। तो इसके बारे में श्रीमान जल्दी से जल्दी खुलासा करें ताकि बरसात तक किसान अपने मकान बना सकें। या फिर यह आदेश निकाल दिया जावे कि उनके मकान जो बन गये हैं वापिस तुड़वा दें और खेती करना शुरू कर दें। आइन्दा सैशन पर हमें इसका जवाब मिलना चाहिये कि यह कार्यवाही इस तरह से की गई है।

वैसे ही स्कूलों के बारे में। हमेशा स्कूलों के खुलने की आवाज उठाते हैं पर हमारे आदिवासी एरिया में जहां जहां शहरी स्थान हैं वहां आसपास में स्कूलें होती हैं, इसके आगे नहीं। जो पिछड़े हुए पहाड़ी प्रदेश हैं वहां पर स्कूलों का आज तक कोई ठिकाना नहीं। अगर स्कूल कायम कर दी गई है तो मकान का ठिकाना नहीं। हमारी भील भाषा में कहते हैं कि मास्टर साहब जाते हैं और झाड़ी के नीचे बैठकर किसानों के टूटे फूटे छप्पर में बैठकर, ऐसे स्थान पर बैठकर जिसकी बात मैं कहना नहीं चाहता, अपने पांच सात लड़कों को इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वर्षा में वे भी अपने घर चले जाते हैं। पर सरकार का अखबारों में बयान निकलता है कि अच्छी शिक्षा हो रही है,

(श्री हीरा)

शिक्षा में प्रगति हो रही है। यह शिक्षा के बारे में हमारी सही हालत है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण जल्दी से खतम कर दें।

श्री हीरा (कुशलगढ़) : हां साहब, अभी करता हूं। पर जो हमारे सिर पर दुख हैं वे तो कहने जरूरी हैं........................

(हंसी)

तो स्कूलों के बारे में शीघ्रातिशीघ्र गौर करके परसों की बैठक में हमें जवाब मिलना चाहिए।

दवाखाने की हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे पिछड़े एरिया में दस दस मील की दूरी पर दवाखाने नहीं हैं। आज हमारे स्वतन्त्र जमाने में क्या हो रहा है कि दवाखानों का प्रबन्ध नहीं है। वही पहले वाला हाल अब तक चल रहा है। जहां हमारी बहनों के बाल-बच्चे होते हैं उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है एकतन्त्री जमाने की सी हालत अभी भी है। जहां इन्तजाम करना जरूरी था वहां नहीं कर सके। आप कुछ करते नहीं इसलिए हमें कहना पड़ता है। आप बातें फिजूल करते हैं, होने वाला कुछ नहीं है। हमारी जो बहनें हैं है उनके पशु-जानवरों के मुताबिक दो दो तीन तीन दिन से पसर पसर कर बच्चे निकलते हैं और अन्दर से; ऐसी हालत में हमारे किसानों की औरतों के बच्चे होते हैं और सरकार इधर अखबारों में निकाल देती है कि हमारे बच्चे ठीक हैं; हमारे यहां यह कर दिया है, वह कर दिया है सरकार हमारे बारे में अखबारों में बताती है, पर करती कुछ नहीं; इन्तजार करने को कहती है, रोटी देने की बात कहती है, पर देता नहीं। देने के इन्तजार में बैठे रहें चाहे भूखों मर जावें। तो नहीं देना है तो कह दें। इस तरह से इन्तजार न करावें। जब आप नहीं करेंगे, जनता अपने आप कर लेगी।

तो इस मामले में भी शिड्यूल एरिया को अगर ऊंचा उठाना है वाकई में तो वहां के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये और क्या कार्यवाही की गई है, आइन्दा बैठक में हमें इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो गया है।

श्री हीरा : हां साहब, मैं भी अब खतम कर रहा हूं। थोड़ी सी बात कह दूं तो अच्छी बात है।

(हंसी)

सब साहबान जो हैं उनकी भी बारी परसों आवेगी तो उनको भी समय देना है। अगर परसों के लिये मुझे समय देने का कष्ट करें तो मैं आज अभी बन्द कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आप अभी दो मिनिट में खतम कर लीजिये।

श्री हीरा : जंगलात के बारे में मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। एक तरफ तो जंगल तैयार करने की बात करता है जंगलात का महकमा, जहां किसानों के खेत निकले हैं वहां खेत जंगलों में डाल रहे हैं और वहां पर कूप बना रहे हैं और दूसरी तरफ जंगलों के ठेके देते हैं तो ठेके पर क्या होता है ? बांसवाडा वन

(श्री हीरा)

विभाग से आप मालूम कर सकते हैं कि वहां क्या होता है ? इस प्रकार से ठेकेदार लोगों को तमाम जंगल दे दिया है। जंगल विभाग स्वयं लकड़ी कटवाता है और फिर चोरियां होती हैं, भीलों को चोर कहा जाता है। पचास एकड़ का परमिट देते हैं और पांच सौ एकड़ जगल की बरबादी हो जाती है। दूसरी तरफ हम किसानों को जरूरी काम के लिये एक पास मिलने के लिये १५ रुपया, २० रुपया फीस देनी पड़ती है। तो इस तरह से एक तरफ जंगल बरबाद हो रहे हैं, ठेकेदार और सरकार अपना ड्रामा चला रही है, जनता परेशान है; रिश्वतें चलती हैं, दस-दस बीस-बीस रुपये कर्मचारियों को दे देते हैं और ठेकेदारों के काम चलते हैं। अगर जंगलों को ऐसे ही बरबाद करना है तो फिर जंगल विभाग पर करोड़ों का खर्च क्यों किया जाता है ? सभी को खुली छूट दे दी जावे। जंगल का सही ढंग से किसानों को लाभ मिले। हमने डी० एफ० ओ० और बांसवाडा कलेक्टर के यहां कार्यवाही की है पर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो इसके लिये कार्यवाही करके आप हमें जवाब दे सकते हैं। हां, कहना तो बहुत था, आप मुंह बन्द करते हैं, समय खतम होने की बात कहते हैं इसलिये बन्द करना चाहता हूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : सदन के विभिन्न दलों के नेताओं ने एक लिस्ट दी है उन सदस्यों की जो बोलना चाहते हैं। अगर और कोई माननीय सदस्य ऐसे हों जो इस वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हों तो वे भी अपने नाम दे दें ताकि दो दिन और जो बाकी हैं इस सामान्य वाद-विवाद को खतम करने के लिये, उस समय को देखते हुए हिदायतें करने की कार्यवाही की जा सके।

संसदीय शिष्टाचार पालन करने सम्बन्धी आदेश

एक बात और मैं माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहूंगा कि नये-नये जो हमारे सदस्य आये हैं, वे, सदन के जो छोटे छोटे नियम हैं उनसे भी अनभिज्ञ हैं जैसा कि कोई माननीय सदस्य अगर बोलता है तो उनके और अध्यक्ष के बीच में से निकल कर नहीं जाना चाहिये। ऐसा वाकया आज दिन में भी दस-बारह बार हो गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अपने जो रूल्स ऑफ बिजनैस हैं उनको वे ध्यान से पढ़ें और जो एक छोटी पुस्तिका इस बारे में प्रकाशित की गई है हिन्दी में, उसे भी आप गौर से पढ़ें क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ही आप अवगत हो सकेंगे नियमों से।

अब सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सोमवार को ग्यारह बजे फिर मिलेंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर २ मिनट पर समाप्त होकर सोमवार, दिनांक २६ अप्रैल १९५७ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, २६ अप्रैल, १९५७)
(सायंकालीन)

	स्कम्भ
अध्यक्ष के समक्ष शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेने सम्बन्धी विज्ञप्ति	१३५
श्री सचिव ने वह विज्ञप्ति सदन में पढ़ी जिसके द्वारा श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, को सदस्यों को शपथ दिलाने के लिये राज्यपाल महोदय ने नियुक्त किया।	
शपथ अथवा प्रतिज्ञान	१३६
श्री मुरलीधर (बीकानेर) ने शपथ ग्रहण की।	
तारांकित प्रश्नोत्तर	१३७
१ करनपुर मंडी में एक स्त्री की हत्या।	
२ मंडी केशरीसिंहपुर में पिछले दो महीनों में चोरियें व हत्याएं।	
३ गंगा नगर में १९५४ का आबयाना आन्दोलन।	
४ पदमपुर-सूरतगढ़ सड़क पर आर० डी० लोअर में पुल निर्माण।	
खाद्यान्न स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव	१४५
श्री मुरलीधर व्यास द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुति हेतु भेजा गया किन्तु श्री अध्यक्ष ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की।	
सभापति तालिका	१४५
४ सदस्य सभापति मनोनीत हुए।	
राजस्थान मोटर वाहन नियमावली, १९५१ में संशोधन	१४६
गृह विभाग की विज्ञप्ति उक्त विषय पर सदन की मेज पर रखी गई।	
वित्त लेखा १९५४ एवं उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	१४६
उपरोक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	
पुरः स्थापित विधेयक	१४६
निम्नलिखित विधेयक पुरः स्थापित किये गये :	
(१) राजस्थान नौकानयन नियमन (संशोधन) विधेयक।	
(२) कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (राजस्थान संशोधन) विधेयक।	
(३) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक।	
(४) राजस्थान वेक्सिनेशन विधेयक।	
(५) राजस्थान पुलिस विधेयक।	
राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद	१४७
श्री हरिदेव जोशी ने धन्य-	

वाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं श्री परसराम (ओसियां) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित और सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

१. श्री नरेन्द्रसिंह
२. श्री छोटूसिंह
३. श्री पी० के० चौधरी
४. श्री मुक्तिलाल मोदी
५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
६. श्री रामेश्वर दयाल
७. श्री रामकरणसिंह
८. श्री मोघजी
९. श्री हीरा

शपथ न लेने पर भी सदन में बैठने सम्बन्धी आपत्ति २८०

श्री श्रीभानसिंह के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर कि श्री रघुबीरसिंह सदन में बिना शपथ लिये बैठ गये, तो इस पर श्री बरकतुल्लाह खां, सभापति का निर्णय यह था कि सम्बन्धित सदस्य शपथ लेकर ही सदन में बैठ सकते हैं।

२९ अप्रेल, १९५७ की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार दिनांक २६ अप्रेल, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१४१	२४	मानने लिए	मानने के लिए
१४२	५	पोलटिकल	पोलिटिकल
१४६	४	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
१६५	२६	रसायनिक के खाद का	रसायनिक खाद का
१७०	२-३	भूमि के सुधार	भूमि-सुधार
१७३	१४	क्षेत्र में जो कर्य हमारे	क्षेत्र में जो कार्य हमारे
१७४	१४	सरवर पर तो	सरकार पर तो
१७५	१	अभिभापण	अभिभाषण
१८०	१७	यह क्यों होता है ।	यह क्यों होता है ?
,,	२०	आते हैं वह	आते हैं वे
,,	२५	यह जरूर कहुँगा	यह जरूर कहूंगा
१८१	४	छोटे छोटे वए	छोटे छोटे कुए
१८३	२२-२३	मैंने इस पर मैंने फेमीन	मैंने इस पर फेमीन
,,	२७-२८	लोथियन साहब रेज़ीडेण्ड	लोथियन साहब व रेज़ीडेण्ट
१९७	२	(श्री छेटूसिंह)	(श्री छोटूसिंह)
२०१	१५	समने है कि	सामने है कि
२१६	६	It is apeace	It is a peace
२४७	२	(श्री जगदीशप्रसाद मथुर)	(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
२६७-६८	,,	२६ अप्रल, ५७	२६ अप्रेल, ५७
२६६	२७	लोगों ने भी बहत कुछ	लोगों ने भी बहुत कुछ
२८३	१	सपथ सम्बन्धी आपति	शपथ सम्बन्धी आपत्ति
२८३-३०६.	१	राज्यपाल अभिभाषण	अभिभाषण-वादविवाद